दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स टुडे

वर्ष 6 | अंक 4 | कुल अंक 64 | अक्तूबर 2020 | ₹ 120

महत्त्वपूर्ण लेख

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति : समग्र विश्लेषण
- भारत-बांग्लादेश : निर्माण से सहयोग तक का सफर
- भारत में आयुर्वेद : महत्त्व, चुनौतियाँ और संभावनाएँ
- दक्षिण चीन सागर विवाद

टारगेट प्रिलिम्स-2020

ग्यारहवीं कड़ी

प्रिलिम्स मॉडल अभ्यास प्रश्न-पत्र तथा महत्त्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएँ

टॉपर से बातचीत

आलोक प्रसाद

(UPSC परीक्षा-2019 में 658वें रैंक पर चयनित)

क्लासिक पुस्तकें

(प्रसिद्ध पुस्तकों पर संक्षिप्त चर्चा एवं उपयोगी उद्धरण)

द आर्ट ऑफ लविंग - एरिक फ्रॉम

फैक्टशीट

महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित

संपूर्ण 'योजना', 'कुरुक्षेत्र' (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) समेत महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का सार

- माइंड मैप एवं महत्त्वपूर्ण निबंध
- प्रिलिम्स एवं मुख्य परीक्षा के हल सहित अभ्यास प्रश्न-पत्र
- मानचित्रों से सीखें (भारत एवं विश्व)

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

यदि आप IAS (या UPPCS) की प्रिलिम्स परीक्षा में शामिल हो रहे हैं
और सफलता को लेकर संशय में हैं तो हम आपके लिये लाए हैं

प्रिलिम्स 2020 : क्विक रिवीज़न कोर्स

- सिर्फ 20 वीडियो कक्षाओं में पाठ्यक्रम के महत्त्वपूर्ण टॉपिक्स को तेज़ी से दोहराने की सुविधा
- उन बिंदुओं पर फोकस जो महत्त्वपूर्ण हैं पर तैयारी में सामान्यतः छूट जाते हैं
- इस वर्ष के संभावित टॉपिक्स/प्रश्नों पर विशेष बल

डेमो क्लास/एडमिशन/कोर्स के लिये
आज ही डाउनलोड कीजिये
हमारी एंड्रॉयड ऐप

Drishti Learning App

GET IT ON Google Play

इस कोर्स से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी के लिये
8750187501, 9319290700, 9319290701 अथवा 9319290702
नंबर पर फोन करें।

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
E-mail: online@groupdrishti.com, info@drishtiias.com, *Website: www.drishtiias.com

दृष्टि The Vision | drishti

तेज़ी से बदलते वक्त और डिजिटल होती दुनिया के साथ हम भी रख रहे हैं कदम, पढ़ाई-लिखाई के ऑनलाइन संसार में

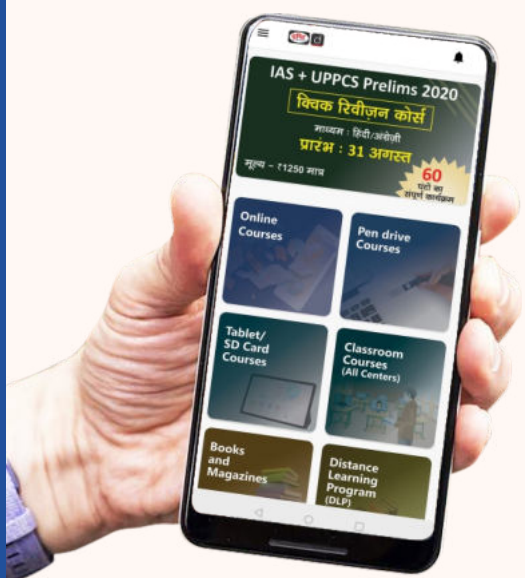

आपका स्वागत है, हमारी एंड्रॉयड ऐप

Drishti Learning App

पर

GET IT ON Google Play

ऐप की विशेषताएँ

1. टीम दृष्टि द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएँ एक ही मंच पर।
2. ऑनलाइन, पेनड्राइव, टैबलेट मोड में कक्षाएँ उपलब्ध।
3. प्रिलिम्स और मेन्स की टेस्ट सीरीज़ भी ऐप के माध्यम से उपलब्ध।
4. सभी पुस्तकें, मैगजीन, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नोट्स देखने व मंगवाने की सुविधा।
5. दृष्टि की वेबसाइट पर उपलब्ध डेली करेंट अफेयर्स, न्यूज़, आर्टिकल्स, क्विज़ तथा कई अन्य सुविधाएँ ऐप पर भी उपलब्ध।
6. हमारे हिंदी और अंग्रेज़ी यूट्यूब चैनल्स के सभी वीडियो वर्गीकृत रूप में उपलब्ध।
7. टॉपर्स की उत्तर-पुस्तिकाएँ, एनसीईआरटी प्रश्नोत्तरी, हज़ारों अभ्यास प्रश्नों की सुविधा।

ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

1. घर बैठे देश के सर्वोत्कृष्ट अध्यापकों से पढ़ने की सुविधा। अब दिल्ली या किसी बड़े शहर जाकर पढ़ने की मजबूरी नहीं।
2. शुरुआत में IAS और UPPCS के कोर्स उपलब्ध। कुछ ही दिनों में RAS, MPPSC और BPSC की सुविधा भी।
3. ऑनलाइन कोर्स करने के बाद, क्लासरूम कोर्स में प्रवेश लेने पर शुल्क में विशेष छूट।
4. हर क्लास अपनी सुविधा से 3 बार देखने की सुविधा।
5. उत्तर लिखकर चेक कराने तथा संदेह-समाधान की व्यवस्था भी शीघ्र उपलब्ध।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) : 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) : ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 8750187501

Think IAS... दृष्टि The Vision Think Drishti

प्रिलिम्स-2020 के लिये

ऑनलाइन करेंट अफेयर्स क्रैश कोर्स

प्रिय विद्यार्थियों,

आई.ए.एस. प्रारंभिक परीक्षा में करेंट अफेयर्स के अत्यधिक महत्त्व को देखते हुए हम पिछले कई वर्षों से इस सेग्मेंट की कक्षाएँ आयोजित करते रहे हैं। हमेशा की तरह इस वर्ष भी ये विशेष कक्षाएँ शुरू की जा रही हैं।

आप जानते ही हैं कि पिछले 5 वर्षों से प्रिलिम्स परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्त्व करेंट अफेयर्स का हो गया है। सिर्फ इस खंड से 25-35 तक प्रश्न (100 में से) पूछे जा रहे हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि प्रिलिम्स परीक्षा में सफलता का मार्ग करेंट अफेयर्स ही है।

करेंट अफेयर्स को समझना और याद रखना तब आसान होता है जब इन्हें आपस में सभी विषयों के साथ लिंक करके पढ़ा जाए। पढ़ाने का यही तरीका दृष्टि की अध्यापन पद्धति के मूल में है।

कुल कक्षाएँ : 40 (लगभग 100 घंटे)

प्रारंभ

अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस क्रैश कोर्स से प्रिलिम्स के करेंट अफेयर्स में पूछे जाने वाले 90% + प्रश्न आसानी से कवर होते हैं। आप भी इस अवसर का लाभ उठाइये और प्रिलिम्स के परिणाम में अपनी दावेदारी सुनिश्चित कीजिये।

ऑनलाइन करेंट अफेयर्स क्रैश कोर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिये आज ही drishtiias.com पर विज़िट करें

अधिक जानकारी के लिये कॉल करें : 8448485521 या विज़िट करे : www.drishtiIAS.com

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली शाखा) का पता
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
8448485519, 87501 87501, 011-47532596

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज शाखा) का पता
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
8448485518, 8750187501, 8929439702

कहाँ क्या है?

संपादक की कलम से... 5
क्योंकि बाहर और भीतर की सफाई होते रहना ज़रूरी है...

टॉपर से बातचीत 7
आलोक प्रसाद
UPSC-2019 में 658वें रैंक पर चयनित (7)

लेख खंड 11
राजनीतिक लेख
- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति : समग्र विश्लेषण (12)*

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित लेख
- *भारत-बांग्लादेश : निर्माण से सहयोग तक का सफर (16)*

स्वास्थ्य संबंधी लेख
- *भारत में आयुर्वेद : महत्त्व, चुनौतियाँ और संभावनाएँ (19)*

ऑडियो लेख
- *दक्षिण चीन सागर विवाद (22)*

करेंट अफेयर्स 25
- *अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम (26)*
- *संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम (31)*
- *आर्थिक घटनाक्रम (39)*
- *अंतर्राष्ट्रीय संबंध (46)*
- *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (53)*
- *पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (58)*
- *भूगोल एवं आपदा प्रबंधन (63)*
- *सामाजिक मुद्दे (68)*
- *कला एवं संस्कृति (74)*
- *आंतरिक सुरक्षा (76)*
- *संक्षिप्तियाँ (78)*

जिस्ट 91
उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं के लेखों का सार
- *संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार (92)*
- *संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार (102)*
- *राजव्यवस्था एवं समाज (109)*
- *अर्थव्यवस्था (112)*
- *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (114)*
- *पर्यावरण (127)*
- *अंतर्राष्ट्रीय संबंध (120)*
- *एथिक्स (122)*

क्लासिक पुस्तकें 129
(प्रसिद्ध पुस्तकों पर संक्षिप्त चर्चा एवं उपयोगी उद्धरण)
- *द आर्ट ऑफ लविंग - एरिक फ्रॉम*

फैक्टशीट 133
- *महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित (133)*

मानचित्रों से सीखें 136
मानचित्र-1 (136)
मानचित्र-2 (137)

निबंध खंड 138
- *यदि हम युद्ध को समाप्त नहीं करते हैं, तो युद्ध हमें समाप्त कर देगा (138)*
- *निबंध प्रतियोगिता (140)*

माइंड मैप 141
- *सर्वोच्च न्यायालय (141)*
- *सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ (142)*

करेंट अफेयर्स पर आधारित प्रिलिम्स अभ्यास प्रश्न 143

करेंट अफेयर्स से जुड़े संभावित प्रश्न-उत्तर 146
- *मुख्य परीक्षा के लिये संभावित प्रश्न तथा उनके उत्तर (146)*

टारगेट प्रिलिम्स 2020 : ग्यारहवीं कड़ी 151
- *प्रिलिम्स मॉडल अभ्यास प्रश्न-पत्र (151)*
- *महत्त्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएँ (200)*

आपके पत्र 210

अक्तूबर 2020 ■ मासिक ■ वर्ष-6 ■ अंक-4 ■ कुल अंक-64

टीम दृष्टि

- **प्रधान संपादक:** *डॉ. विकास दिव्यकीर्ति*
- **डायरेक्टर:** *डॉ. तरुणा वर्मा*
- **कार्यकारी संपादक:** *पुरुषोत्तम 'प्रतीक'*
- **वरिष्ठ संपादक:** *आलोक कुमार अग्रवाल, शशि भूषण तिवारी, निधि सिंह।*
- **समाचार संपादक:** *कवीन्द्र कुमार यादव, अभिषेक पांडेय, आनंद कुमार।*
- **प्रबंधन परामर्श:** *अजय कड़ाकोटी, मो. आफताब आलम, अभिषेक सिंह, विवेक तिवारी, अमृत उपाध्याय, एकता कालिया, अजय शर्मा, चंद्रप्रकाश राय, अमित कुमार श्रीवास्तव, नेहा चौधरी, जितेन्द्र रोहिला, आनंद शुक्ला, दिलीप कुमार, राजू प्रसाद, गोपाल राय।*
- **संपादन सहयोग:** *मुकुल आनंद, सुशांत कुमार, सुरेश पाल सिंह, सूर्य कुमार द्विवेदी, जगदीश पांडेय, पीयूष कांत गांगुली, पुष्पा कुमारी, प्रवेश चौधरी, कृष्ण कुमार सिंह, श्यामवीर सिंह झझोरिया, नीरज कुमार, विवेक सिंह, दीपक तिवारी, आभा प्रजापति, रोहित नंदन मिश्रा, देवेन्द्र कुमार, अमरजीत पासवान, हरि किशोर यादव, गायत्री, शिवानी सिंह, रविकांत, राकेश राजपूत, श्रवण कुमार सुमन, संत विजय, महिमा राजपूत, रेखा, रीना कुमारी, अवनिन्द्र जयसवाल, एजाज़ अनवर, सूर्य प्रकाश, राहुल कश्यप, सिद्धार्थ कुशवाहा, रवि गोले, मनीषा यादव, पंकज तिवारी, निखिल चौहान, कुमार रविशंकर, यशोधरा, स्मिता वर्मा, रामहंस यादव, राहुल गिरी, राम राठी प्रसाद, प्रदीप मौर्या, मो. फैजुल इसलाम, रामबाबू यादव, अजीत कुमार सिंह, प्रियेष कुमार, नीरज कुंदन, दीपाली तायडे, रमंत झंड, वशिष्ट नारायण, कृष्ण कुमार साह, विवेक कुमार सिन्हा, निशां शर्मा, प्रियंका सिंह, रेखा वर्मा, अंकित रावत, श्रद्धा भदौरिया, मो. रिज़वान, खुशबू, संजूर आलम, अर्चना शर्मा, जितेन्द्र, हेमंत गुलपाडिया, धीरेन्द्र कुमार बागरी, अंकित त्यागी, चित्रांँशु पांडेय, अजीत कुमार पटेल, अंकुर कुमार, हिमाँशु सिंह, करिश्मा, मनीषा, बबीता, खुशहाल, केवल कृष्ण पांडेय, आशुतोष सिंह, लोकेश कुमार, सलमान अहमद, हरीश कुमार, आभा कुमारी, ज्योति, किशोर कुमार झा, विकास कुमार, निशा शाहीन, शिल्पी सरकार, ऋतुराज कुमार, दिनेश, नेहा कुमारी, अमित कुमार, नेहा लक्ष्यकर, वर्षा तारण्या, उद्याभान सिंह, प्रीति झा, अमित कुमार, विवेक दिवाकर, आशुतोष कुमार यादव, राजेश कुमार, हिमिका, पिंकी कुमारी, निर्मल कुमार राजू, राम प्रवेश यादव, शशाँक श्रीवास्तव, आँचल वसनीक, आरती सिरोही, राहुल कुमार, सौरभ कुमार गोयल, योगेश कुमार सिंह, आतिफा काज़ी, राजेश्वर प्रसाद पटेल, मनीष कुश्वाहा, विकास तिवारी, अतुल, दीपिका, पूजा उपाध्याय, दीपिका परिहार नेगी, राजदीप चौहान, मनीष कुमार सिंह, प्रेम चंद्र, रोहित सिंह, रोहित कुमार पाठक, अक्षय शुक्ला, साधना सनौडिया, विपिन कुमार यादव, मो. रकीब, मधुबाला, जितेन्द्र कुमार राय, नम्रता सिंह, हिमांशु शर्मा, अनुराग सिंह, अखिलेश कुमार पांडेय, सिद्धांत शुक्ला, साहिल कुमार चौहान, अल्का दरिया, रोशनी, दिपेश कुमार, पंकज कुमार वर्मा, जितेन्द्र चौहान, मीत वर्मा, हर्षवर्धन, भावेश द्विवेदी, सिद्धार्थ पटले, अंकित कुमार, कपिल वर्मा, दीपिका जिंदल, कृष्णकांत चौरसिया, पिंकी शर्मा, हरिओम चिहार, गुलअफ़शाँ, जितेन्द्र कुमार पटेल कलाल, प्रियंका, सोनम साहू, राजीवेश कुमार, विश्वनाथ प्रताप सिंह, सुशील कुमार, राजेश कुमार, पीयूष कुमार, शशाँक चौबे, सत्य प्रकाश, विनोद कुमार मिश्रा, प्रनेंद्र कुमार राय, आशुतोष शेखर, अभिषेक तिवारी, अंकित कुमार सिंह, मोना, राहुल कुमार यादव, शमा बानो, ललित मोहन राय, जितेंद्र मीना, अराधना, कंचन, अमन गुप्ता, कन्हैया कुमार झा, अंकित यादव, अतुल पांडे, गीतांजली शुक्ला, सुधीर कुमार पांडे, दादा बसंत पाटिल, राहुल मौर्या, अभिषेक राय, विकास कुमार चौबे, अमित कुमार उपाध्याय।*
- **टाइपसेटिंग और डिज़ाइनिंग सहयोग:** *लोकेश पाल, जीतेश, अनिल कुमार, विवेक कुमार पाल, पूनम सक्सेना, करुणा अग्रवाल, मेधा, संजू वर्मा, राजो कामती, चेतन कुमार, अमित कुमार बंसल, अखिलेश कुमार, समरजीत सिंह, अजय गुरंग, संदीप कुमार, तारा कुमारी, सुदीप पाल, लोकेश कुमार, पुनीत मंडल, अनुज कुमार, भुपेंद्र पाल सिंह, आसीन, करण भारद्वाज, हिम्मत सिंह, चंदन राम, विशाल।*
- **वेब सहयोग:** *अविनाश कुमार, अनु राज, रवि शंकर, सुनील कुमार यादव, प्रतिभा राय, जया जोशी, शिप्रा, रिमझिम, ब्रिजेश कुमार यादव, जसवंत सिंह रावत, सोनाली चौपड़ा, पायल, प्रिया, सरोज शर्मा, सुषमा यादव, मेघा, गरिमा अरोड़ा, अमित कुमार।*
- **प्रबंधन सहयोग (वरिष्ठ):** *राजेश धस्माना, राजेश कुमार झा, श्रीकांत कुकरेती।*
- **प्रबंधन सहयोग:** *मोहित वालिया, नितेश कुमार झा, मोहित मिश्रा, राकेश सिंह चौहान, कुंदन कुमार, शिव कुमार, वेद प्रकाश, मुकेश कुमार पाठक, असीम करन, अंशुल तिवारी, सुनील शेलके, संजीत कुमार, विपिन गुप्ता, मनीष जैन, संदेश कुमार डोगरा, मनवीर नेगी, शुभम वर्मा, गीता पाल, प्रीति चौधरी, नीतिका शर्मा, राकेश ठाकुर, अनिता जसवाल, गीता शर्मा, किरण मल्होत्रा, नीरज शर्मा, अभिषेक शुक्ला, नितिन बोबल, तब्बसुम मलिक, इरफान खान, श्वेता, रविशंकर, रहमत, अनुराग मिश्रा, यश कुमार मौर्य, सौरभ कुमार, रंजीत कुमार कुशवाहा, अर्पित सोनी, सौरभ कुमार, गौरव मिश्रा, रजनीश कुमार त्रिपाठी, सबिता गिरी, कृष्ण कुमार, सौरभ अहिरवार, रवि कुमार, अंकुर कुमार, पूजा द्विवेदी, आशीष गुप्ता, मो. आसीम, सिद्धार्थ तिजौरिया, हन्नी शर्मा, दीपक कुमार, दिनेश जैन, राजीव कुमार, विवेक मिश्रा।*
- **मीडिया सहयोग:** *राजकुमार कोले, अर्जुन नेगी, सुभाष पाटिल, श्रवण कुमार, संदीप रावल, अतुल सिंह, तरुण ग्रोवर, सुभाष चंद्र, लक्ष्मण कुमार, धीरज कौशिक, क्षितिज साहनी, अनिल स्टिफन, अखिल कुमार, निपेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह, मनोज कुमार, राहुल अग्रवाल, लवनीत सिंह, गणेश हरिभाऊ अधाने, अनिल कुमार पटेल, विष्णु कांत दुबे, रोहित कुमार, कमलेश कुमार, पवन दुआ, मनदीप रावत, दुर्गश कुमार सिंह, नंद किशोर, कमलेश कुमार कमल, सुनील कुमार सिंह, राम नायक तिवारी, रोहित कुमार, रवीन कुमार जी, शिवकांत शुक्ला, राजेश जॉन, वीरू निशद, अजय सिंह मेहता।*
- **दैनंदिन सहयोग:** *गजेन्द्र, रवि कुमार, भावेश गिरी, महेश कुमार, दिलीप तिवारी, विकेश कुमार, पंचानन मिश्रा, अंकित यादव, पुनीत कांगड़ा, राहुल कुमार, मनोज कुमार, अविनीश श्रीवास्तव, सलमान, मो. शकील, सुरेन्द्र रॉय, अमित कुमार रोहिला, दीपक पाल, ऋषभ कुमार, साहिल, सुभाष कुमार, राम सूरत यादव, राजू शर्मा, मनीष कुमार, दीपक कामती, ज्ञान प्रकाश मौर्या, प्रवीण, सूरज प्रकाश, अजीत कुमार, बलवंत सिंह, विश्वेंदर चौधरी, इम्तियाज़ अंसारी, मनोज सिंह, मन्नु कुमार, मुन्ना, सतीश, दिनेश कुमार मिश्रा, सुजीत यादव, विनय कुमार, कैलाश मल्होत्रा, नरेश राय, संतोष कुमार कामत, मनु चौधरी, श्रवण कुमार, सुमित कुमार, अभिषेक, सुजीत कश्यप, तरुण, नरेंद्र कुमार, हरे राम, अतुल शर्मा, नेत्रपाल, राजेश कुमार, नीशु रोहिला, शिव शंकर पटेल, मो. अरमान, आशु मिश्रा, आशीष, सोचिन कुमार यादव, राजेश कुमार, अमित कुमार रे, सौरभ कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार, जशवंत सिंह भकुनी, बेचन चौधरी, पंकज कुमार शर्मा, गौरव कुमार, उमेश, जितेन्द्र कुमार, विपिन कुमार, हिमांशु कुशवाह, ऋषिकेश तोमर, सुनील कुमार शुक्ला, लाल बाबू यादव, मोनू (1), सचिन कुमार, पप्पू कुमार, प्रियांशु, ममता, सचिन लाहुडकर, भीकू, गौतम कुमार, अवधेश कुमार, अमन कुमार, तुलसी कुमार, योगेन्द्र सिंह, मो. अख्तर, हरीनाथ, आशीष, रोहित कुमार, निक्की कुमार, मुकेश कुमार, राजेश कुमार यादव, राम आशीष मिश्रा, सद्दाम हुस्सैन, पप्पू चौधरी, अतुल कुमार, रंजीत, सचिन कुमार, चंद्र भान, सचिन, गोपाल कुमार, दिगम्बर कुमार पासवान, भावेश कुमार, पवन कुमार साहू, संजय कुमार, बोआ झा, राजबीर, रविन्द्र कुमार, विक्रांत सिंह, परवेज़, किशन कनौजिया, सुरेश चंद्रा, रामकिशन बिंशकर, अंकित मिश्रा, कौशल शर्मा, नीरज कुमार, लीलावती, श्याम कुमार सौराष्ट्रिया, जितेन्द्र कुमार, उमाकांत शर्मा, धर्मेन्द्र कुमार, दिलीप, उदय पासवान, अमरजीत कुमार, मनीष, आकाश चौहान, अनिकेत कुमार साह, पुनीत कुमार मिश्रा, विजय, छाया देवी नरेंद्र, अरविंद द्विवेदी, प्रकाश सिंह, अभिषेक कुमार, अर्जुन, अनिल कुमार, पवन कुमार मोदी, योगेश सिंह, सुरेन्द्र, रवि, अंकित, दिलीप चौधरी, ललित मोहन उपाध्याय, मोहित कुमार तिवारी, प्रिंस कुमार, रोहित, अभिषेक, अंकुश, शिवम, मनीष कुमार, अभिमन्यु कुमार, संदीप, संजय कुमार शर्मा, अभिषेक कौशल, कुमार पाल, विष्णु कांत मिश्रा, मनोज कुमार, सूरज कुमार, पवन कुमार, राहुल, सुनील कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, निहाल तिवारी, अंकित कुमार, विनय, सनोज पासवान, अरविंद, अवनीश कुमार, संजीव, विवेक कुमार, नीतू चौहान, सोनू, मोहित, शिव बहादुर, सुनील, नवीन कुमार मिश्रा, आदर्श प्रजापति, ब्रिजेश कुमार, धर्मराज सिंह, गौतम राज सिंह, श्याम कुमार वर्मा, अतुल, जय प्रकाश मौर्य जावेद, अवध राज शुक्ला, राकेश, देवेंद्र सिंह, हन्नी, उदय भान यादव, ब्रिज मोहन सिंह, राकेश, राम नरेश पंडित, आशीष कुमार, मनीष कुमार शर्मा, परवीन, मोनू कुमार रावत, मो. आफ़ताब, सुमन देवी, दीपक भकुमी, अविनाश, रवि शंकर कुमार, राजू राजन, पप्पू कुमार यादव, शुभव कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार पांडेय।*

संपादकीय पत्र व्यवहार

कार्यकारी संपादक,
दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे,
दृष्टि पब्लिकेशन्स,
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि संपादक या प्रकाशक का दृष्टिकोण भी वही हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लेखकों के लेख शामिल करें ताकि पाठकों को किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिल सकें।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पत्रिका में छपे लेख लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखे गए हैं। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो लेखक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- **© कॉपीराइट:** दृष्टि पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पत्रिका की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों व सुझावों तथा वितरण और विज्ञापन के लिये संपर्क (Whatsapp) करें-
अजय कड़ाकोटी (सी.एफ.ओ.)
(8130392355)

पत्रिका के सब्सक्रिप्शन के लिये संपर्क करें-
9599084248

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक विकास दिव्यकीर्ति द्वारा 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 से प्रकाशित एवं एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।
संपादक- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

संपादक की कलम से...

क्योंकि बाहर और भीतर की सफाई होते रहना ज़रूरी है...

प्रिय साथियो,

आपने देखा होगा कि कई लोगों को दुनिया भर की चीज़ें संभालकर रखने का शौक होता है। जिन चीज़ों को बाकी लोग दो कौड़ी के बराबर भी महत्त्व नहीं देते, वे उन्हें भी अनंत काल तक संभालकर रखने की ज़िद पाले रहते हैं। गैर-ज़रूरी चीज़ों से चिपके रहने की इस आदत के कई नुकसान हैं। पहला यह है कि पुरानी और बेकार चीज़ों से घिरे रहने के कारण हम नई चीज़ों को अपने निजी संसार में शुमार नहीं कर पाते और तिथिबाह्य (outdated) होने लगते हैं। दूसरा नुकसान यह है कि हम हर चीज़ को अपने कब्ज़े में रखने की लत के कारण आत्मकेंद्रित होते जाते हैं। हमें इस सुख का अहसास ही नहीं हो पाता कि किसी ज़रूरतमंद को कुछ देने का सुख किसी से कुछ छीनने या आत्मकेंद्रित होने के सुख से कितना बेहतर और संतुष्टिदायक होता है। तीसरा नुकसान यह है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। वह वर्तमान के सहज-सुखों को लगातार स्थगित करता रहता है ताकि भविष्य में कोई समस्या न आए। इस दुष्चक्र में फँसकर वह न तो अपना वर्तमान सुधार पाता है और न ही भविष्य।

पर मसला सिर्फ बाहर की सफाई का नहीं है। उससे ज़्यादा महत्त्व भीतर की सफाई का है। बाहर की सफाई को एकाध बार नज़रअंदाज़ कर भी दिया जाए तो शायद बहुत फर्क नहीं पड़ेगा; पर भीतर की सफाई का निरंतर होते रहना बेहद ज़रूरी है। यह सफाई न हो पाए तो दिमाग को जंग लग जाता है, व्यक्तित्व भीतर से सड़ जाता है। भीतर की सफाई का बुनियादी मतलब यह है कि हम उन पूर्वाग्रहों को हटाते रहें जो हमारी चेतना को घेर लेते हैं और हमें चीज़ों को साफ-साफ देखने नहीं देते। गौरतलब है कि ये पूर्वाग्रह एक दिन में नहीं बल्कि धीरे-धीरे इकट्ठे होते हैं। इनमें से अधिकांश तो हमें परिवार से ही मिलते हैं। धर्म, जाति, नस्ल, भाषा इत्यादि के आधार पर होने वाले भेदभाव के पीछे अक्सर ऐसे पूर्वाग्रह कार्य करते हैं। पूर्वाग्रहों का दूसरा प्रकार विचारधाराओं से बनता है। किसी विचारधारा का अनुकरण करना अपने आप में गलत नहीं है। विचारधारा तो हमें दुनिया को समझने का एक नज़रिया देती है जिसकी मदद से हमें सामान्यत: नज़रों से ओझल रह जाने वाली चीज़ें भी दिखने लगती हैं। किंतु अगर सावधानी न बरती जाए तो विचारधारा पूर्वाग्रह में तब्दील हो जाती है और हम उन विषयों को भी ज़बरदस्ती विचारधारा के चश्मे से देखने की ज़िद पाल लेते हैं जिनका संबंध उससे होता ही नहीं। इस बिंदु पर विचारधारा एक मानसिक बेड़ी बन जाती है जिसे कबाड़ समझकर हटा देना ही अच्छा है। जिस दिन हमें अपनी विचारधारा हर बिंदु पर सही दिखने लगे और बाकी सभी विचारधाराएँ हर बिंदु पर गलत नज़र आने लगें तो समझ लेना चाहिये कि हम विचारधारा की बेड़ी में बंध चुके हैं। ऐसे ही पूर्वाग्रहों के कारण सारे संसार में तनाव का माहौल व्याप्त है। हिटलर को लगता था कि आर्य नस्ल ही ज़िंदा रहने की अधिकारी है। स्टालिन और पोल पोट ने चुन-चुनकर उन सभी को मारा जो मार्क्सवादी विचारधारा और उनके शासन में आस्था नहीं रखते थे। इन झगड़ों का असली समाधान यही है कि लोगों के दिमाग में भरा कचरा साफ किया जाए। इस कचरे को ही मनोविज्ञान की भाषा में 'पूर्वाग्रह' (Prejudices) तथा 'रूढ़ धारणाएँ' (Stereotypes) कहते हैं जो दरअसल हमारी बिगड़ी हुई 'अभिवृत्तियाँ' (Attitudes) ही हैं।

सवाल है कि दिमाग के भीतर भरे इस कचरे की सफाई कैसे की जाए? इसका एक बड़ा अच्छा तरीका पश्चिम के दो विचारकों रेने डेकार्ट (17वीं सदी) और एडमंड हुस्सर्ल (20वीं सदी) ने बताया है। डेकार्ट ने 'संदेह-विधि' की चर्चा की जिसका सार है कि व्यक्ति को अपने प्रत्येक विश्वास पर तब तक संदेह करना चाहिये जब तक कि विश्वसनीय प्रमाण हासिल न हो जाएँ। जिन बातों के पक्ष में ठोस तर्क या तथ्य न हों, उन्हें खारिज करते रहना विवेकशील मनुष्यों के लिये ज़रूरी है। एडमंड हुस्सर्ल ने इसी प्रक्रिया को 'कोष्ठकीकरण' या 'ब्रैकेटिंग' कहा जिसका अर्थ है कि निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया में हमें अपनी सभी पूर्वमान्यताओं व पूर्वाग्रहों से तटस्थ हो जाना चाहिये। यह प्रक्रिया कुछ-कुछ वैसी ही है जिसे वेदांती दार्शनिक शंकराचार्य ने 'साक्षी-भाव' से खुद को देखना कहा है। यह 'साक्षी-भाव' आत्मविश्लेषण व आत्ममूल्यांकन की स्थिति है जिसमें व्यक्ति आत्मश्लाघा या आत्मप्रशंसा में न डूबकर अपनी अच्छाइयों और कमियों का तटस्थ विश्लेषण करता है, अपनी कमियों पर स्वयं ही खुद को टोकता और धिक्कारता है।

भीतर की सफाई करने की या खुद को तराशने की यह प्रक्रिया हर समझदार व्यक्ति के भीतर निरंतर चलती रहनी चाहिये। अपने उन विश्वासों को भी तर्क की कसौटी पर परखते रहना चाहिये जिन्हें हम बचपन से आदतन मानते आ रहे हैं। इस प्रक्रिया में बेचैनी और छटपटाहट तो होती है किंतु इससे व्यक्तित्व निखर जाता है और ऐसा व्यक्तित्व उभरता है जो अपनी परिपक्वता, बौद्धिक स्पष्टता और ईमानदारी के लिये जाना जाए। निर्मम ईमानदारी के ऐसे ही क्षणों में व्यक्ति अपनी कमियाँ इतनी साफ निगाह से देख पाता है और कबीरदास की तरह कह उठता है- "बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय। जो दिल खोजो आपना, मुझसे बुरा न कोय।।"

शुभकामनाओं सहित,

(डॉ. विकास दिव्यकीर्ति)

दृष्टि The Vision

drishti

Think IAS Think Drishti

प्रयागराज शाखा की अभूतपूर्व सफलता के बाद

अब दृष्टि आ रही है

गुलाबी नगरी जयपुर में भी....

ताकि दिल्ली न आ सकने वाले विद्यार्थियों को मिल सके
दिल्ली जैसी गुणवत्ता उनके अपने ही शहर में

जल्द ही आ रहे हैं।

पाठ्यक्रम : IAS और RAS/RTS (दोनों परीक्षाओं के लिये पृथक-पृथक विशेषीकृत बैच)

माध्यम : हिंदी व अंग्रेज़ी (दोनों माध्यमों के लिये पृथक बैच)

श्रेष्ठ अध्यापक हमारे साथ जुड़ने के लिये संपर्क करें

यदि आप RAS/RTS परीक्षा के लिये कम से कम 3 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और विषय पर पकड़ व अभिव्यक्ति कौशल के मामले में श्रेष्ठता सिद्ध कर चुके हैं तो एक आकर्षक, स्थायी व सम्मानजनक भविष्य के लिये आपका दृष्टि में स्वागत है।

संपर्क करें : विवेक तिवारी-9990427041

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली)
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज)
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 87501 87501

टॉपर से बातचीत

आलोक प्रसाद

UPSC परीक्षा-2019 में 658वें रैंक पर चयनित

आलोक प्रसाद जी UPSC सिविल सेवा में अंतिम रूप से अपने चौथे प्रयास में सफल हुए। लेकिन अद्‌भुत बात यह है कि वे इससे पहले के तीनों प्रयासों, इस प्रयास को भी शामिल कर लिया जाए तो चारों प्रयासों में एकदम लक्ष्य के नज़दीक जाकर चूक गए थे। उन्होंने इन चार प्रयासों में चारों बार प्रिलिम्स की परीक्षा उत्तीर्ण की और चारों बार मुख्य परीक्षा में शामिल हुए। इन चार प्रयासों में 3 बार वे साक्षात्कार के लिये चयनित हुए जिनमें वे 2017 में अंतिम कट ऑफ से महज़ 3 अंकों से रिज़ल्ट की सूची से बाहर हुए तथा 2018 में अंतिम कट ऑफ से केवल 8 अंकों से पीछे रह गए। लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से इन असफलताओं को लेकर भाग्य को नहीं कोसा और निराश न होते हुए असीम धैर्य के साथ अगला प्रयास दिया और अंततः चौथे प्रयास में सफलता उनके कदमों तक आई। आलोक जी के प्रतियोगी अनुभव से पाठक अपार धैर्य, निरंतर लगन तथा लक्ष्य के प्रति समर्पण की सीख ले सकते हैं।

टॉपर का परिचय

नामः आलोक प्रसाद

पिता का नामः श्री सच्चिदानन्द

माता का नामः श्रीमती राम सखी

जन्म-तिथिः 01/10/1994

शैक्षिक योग्यताएँः 10th Class - 72%
12th Class - 77.6%
B.Tech Civil Engineering - 6.6/10
(I.I.T Kanpur)

आदर्श व्यक्तित्वः अब्दुल कलाम, डॉ. भीमराव अम्बेडकर

व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्षः
आत्मविश्वास, कठिन परिश्रमी

व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्षः
भावुक व्यक्तित्व (Straight forward) होना

रुचियाँः बैडमिंटन खेलना, पज़ल सॉल्व करना

परिणाम से संबंधित कुछ जानकारियाँ

परीक्षा का नामः CSE – 2019

अनुक्रमांकः 5907765

रैंकः हिंदी माध्यम में आपका रैंक : 12

प्रयास संख्याः 4

परीक्षा का माध्यमः हिंदी

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडेः सिविल सेवा परीक्षा में उच्च रैंक पर चयनित होने पर आपको 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की ओर से हार्दिक बधाई। चयनित होकर आपको कैसा लग रहा है?

आलोक प्रसादः बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि मैं अपनी मेहनत का सार्थक परिणाम प्राप्त कर पाया।

दृष्टिः क्या इस परीक्षा में सफल होना ही आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था? यदि नहीं, तो आगे आपकी निगाह किन उद्देश्यों पर लगी है?

आलोकः जीवन में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं। अल्पकालिक लक्ष्य के रूप में इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना मेरा लक्ष्य था। यहाँ से दीर्घकालिक लक्ष्यों के रूप में देश एवं समाज के लिये कुछ सार्थक योगदान देना चाहूंगा। साथ ही, सिविल सेवक के रूप में अपने दायित्वों एवं कर्त्तव्यों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन कर आत्मसंतुष्ट होना चाहता हूँ।

दृष्टिः सिविल सेवाओं में ऐसा क्या है कि लाखों युवा इनकी ओर आकर्षित होते हैं? आपके लिये इन सेवाओं में जाने का क्या आकर्षण था?

आलोकः युवाओं के सिविल सेवाओं की ओर आकर्षित होने के कई कारण हैं, जैसे समाज में सकारात्मक बदलाव की चाहत, सामाजिक प्रतिष्ठा, बेहतर कॅरियर तथा सिविल सेवा का विविधतायुक्त होना। सिविल सेवक बनकर न केवल आपको सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन का मौका मिलता है बल्कि सरकारी नीतियों के निर्माण का भी।

दृष्टिः अक्सर कहा जाता है कि एक-डेढ़ वर्ष तक कठोर मेहनत करने के बाद भी इस परीक्षा की तैयारी संतोषजनक तरीके से पूरी नहीं हो पाती। क्या यह सच है? क्या आप अपनी तैयारी से संतुष्ट थे एवं सफलता के प्रति आशावान थे?

आलोकः सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम काफी विस्तृत है जिसके कारण तैयारी में समय लगता है, किंतु उचित मार्गदर्शन से सही दिशा में तैयारी की जाए तो डेढ़ वर्ष में पर्याप्त तैयारी संभव है। UPSC के वृहद् पाठ्यक्रम को देखते हुए उसे पूर्ण करना संभव नहीं, लेकिन प्रमुख विषयों तथा टॉपिक्स पर पकड़ बनाकर तैयारी से मैं संतुष्ट था और सफलता के प्रति आशावान भी।

दृष्टिः यूँ तो कोई भी सफलता कई कारकों पर निर्भर होती है, पर हर सफल व्यक्ति के पास कुछ विशेष सूत्र होते हैं। आपकी सफलता के मूल में कौन से सूत्र रहे?

आलोकः निश्चित तौर पर, सफलता के मूल में कई कारक होते हैं। मेरी सफलता में जिन कारकों की भूमिका रही, वे हैं- खुद पर विश्वास, कार्य के प्रति ईमानदार, अपनी गलतियों से लगातार सीखना, सीमित पुस्तकों का बार-बार अध्ययन तथा लक्ष्य के प्रति दृढ़ता।

दृष्टि The Vision | drishti

Think IAS Think Drishti

अब घर बैठे कीजिये
आई.ए.एस. की तैयारी
क्योंकि हम आ रहे हैं
आपके घर

हिंदी साहित्य : पेन ड्राइव कोर्स

(Hindi Literature : Pendrive Course)

प्रिय विद्यार्थियों,

1 नवंबर, 2019 को हमने अपना पहला पेन ड्राइव कोर्स शुरू किया था जो आईएएस प्रिलिम्स परीक्षा के लिये था। जिस दिन वह कोर्स शुरू होने की घोषणा हुई, उसी दिन से लगातार हमें ऐसे संदेश मिलने लगे कि बहुत से विद्यार्थी विकास सर से हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं किंतु वे कक्षाएँ करने के लिये दिल्ली या प्रयागराज नहीं आ सकते। उन सभी का निवेदन था कि हमें हिंदी साहित्य के लिये भी ऑनलाइन या पेन ड्राइव कोर्स का विकल्प उपलब्ध करवाना चाहिये।

इन निवेदनों को देखते हुए, लगभग दो महीनों तक तकनीकी पक्षों पर कार्य करने के बाद, अब हम हिंदी साहित्य के पेन ड्राइव कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। इस कोर्स में विकास सर द्वारा ली गई कक्षाओं की ही रिकॉर्डिंग (सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता में) उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा दावा है कि इस कोर्स की कक्षाएँ गंभीरता से करने के बाद किसी विद्यार्थी के लिये हिंदी साहित्य में अच्छे अंक लाना मुश्किल नहीं होगा।

हमें पूरा विश्वास है कि यह कोर्स उस अंतराल को भरने में सफल होगा जो दिल्ली में रहकर तैयारी करने वाले और दिल्ली नहीं आ पाने वाले विद्यार्थियों के बीच बना रहता है। निकट भविष्य में हम आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं के लिये कई नए पेन ड्राइव कोर्स शुरू करेंगे।

एडमिशन प्रारंभ

पहले 200 विद्यार्थियों को 10% की छूट

मोड : पेन ड्राइव

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल **Drishti IAS** की प्लेलिस्ट **Online Courses** में देखें (डेमो वीडियोज़ 6 जनवरी से उपलब्ध)	ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट **www.drishtiias.com** पर **FAQs** पेज देखें

हिंदी साहित्य : पेन ड्राइव कोर्स

1. UPSC के पाठ्यक्रम के लिए 400+ घंटे की कक्षाएँ।
2. UPPCS एवं BPSC के विशिष्ट टॉपिक्स के लिये 30-30 घंटे की पृथक कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा, ताकि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवीज़न भी कर सकें।
4. हर क्लास में उस टॉपिक से IAS, PCS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का विस्तृत अभ्यास।
5. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी, जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
6. पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक्स व नोट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल, जिनके अलावा किसी अन्य अध्ययन सामग्री की आवश्यकता नहीं।

जानकारी के लिये कॉल करें- 9319290700, 9319290701, 9319290702 या सिर्फ मिस्ड कॉल करें- 8010600300

यूपीएससी डीएलपी | उत्तर प्रदेश डीएलपी | बिहार डीएलपी | मध्य प्रदेश डीएलपी | राजस्थान डीएलपी | उत्तराखंड डीएलपी | छत्तीसगढ़ डीएलपी | झारखंड डीएलपी

दिल्ली शाखा का पता : 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
प्रयागराज शाखा का पता : ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइंस, प्रयागराज
Ph.: 8448485517, 8448485519, 87501 87501, 011-47532596

लेख खंड

शोधपरक, सारगर्भित और परीक्षोन्मुखी लेखों का संग्रह

12 राजनीतिक लेख
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति : समग्र विश्लेषण

–अंकित 'ममता' त्यागी

16 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित लेख
- भारत-बांग्लादेश : निर्माण से सहयोग तक का सफर

–शशि भूषण (विवेक राही)

19 स्वास्थ्य संबंधी लेख
- भारत में आयुर्वेद : महत्त्व, चुनौतियाँ और संभावनाएँ

–नम्रता सिंह

22 ऑडियो लेख
- दक्षिण चीन सागर विवाद

–करिश्मा शाह

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : समग्र विश्लेषण

अंकित 'ममता' त्यागी

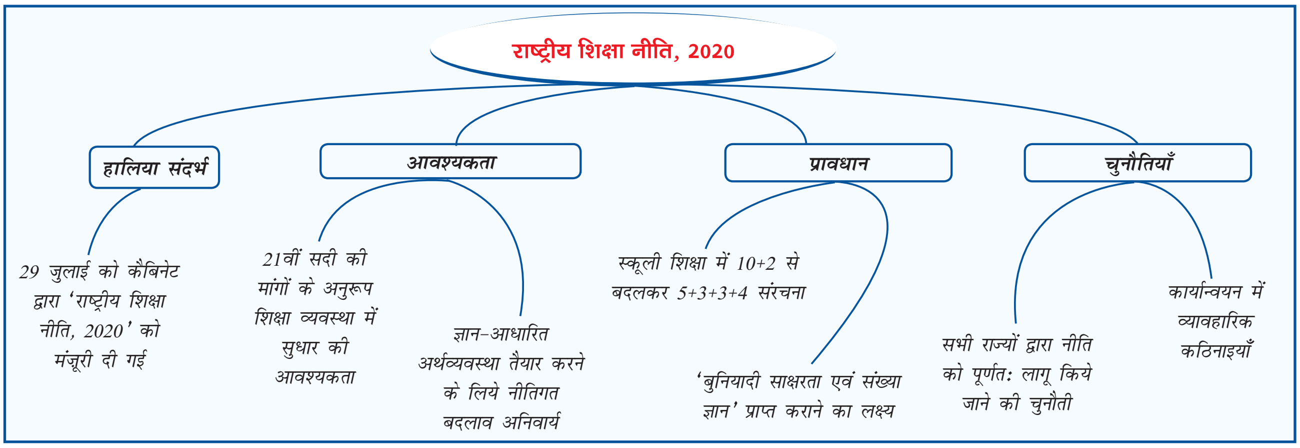

"ज्ञान, प्रज्ञा व सत्य की खोज भारतीय विचार परंपरा तथा दर्शन में सदा से ही उच्चतम मानवीय लक्ष्य माना जाते रहे हैं, प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान का अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्वस्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊँचे प्रतिमान स्थापित किये थे और विभिन्न पृष्ठभूमि व देशों से आने वाले विद्यार्थियों तथा विद्वानों को लाभान्वित किया। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और तिरुवल्लुवर जैसे अनेक विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों, जैसे- गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायन-निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला तथा शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किये। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्त्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिये न सिर्फ सहेजकर संरक्षित रखने की ज़रूरत है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिये, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिये और नए-नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिये।"

29 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020' से उद्धृत उक्त गद्यांश नीति में भारत के गौरवशाली शैक्षणिक-सांस्कृतिक अतीत से सीख लेते हुए इसे भविष्य की प्रगति की आधारशिला के रूप में स्थापित करने पर बल दिये जाने की की ओर संकेत किया गया है। प्रस्तुत लेख में हम 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020' की आवश्यकता व इसके प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करते हुए नीति का समग्र विश्लेषण करेंगे और इस बात का परीक्षण करेंगे कि यह नीति अतीत की समृद्धि से भविष्य का विकास संभव बनने के दावे पर कितनी खरी उतरती है।

भारत में शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि

स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर पहली नीति 1968 में लाई गई। यह नीति कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों पर आधारित थी। इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित किया गया। नीति के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर बल दिया गया। नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया, जिसे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था। शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। माध्यमिक स्तर पर 'त्रिभाषा सूत्र' लागू करने का आह्वान भी नीति में किया गया। इसके बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष ज़ोर देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तार किया। ग्रामीण भारत में ज़मीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिये महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित 'ग्रामीण विश्वविद्यालय' मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आह्वान किया गया। 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया। संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये अखिल भारतीय आधार पर एक कॉमन प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Joint Entrance Examination-JEE) और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (All India Engineering Entrance Examination-AIEEE) तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिये

भारत-बांग्लादेश : निर्माण से सहयोग तक का सफर

शशि भूषण (विवेक राही)

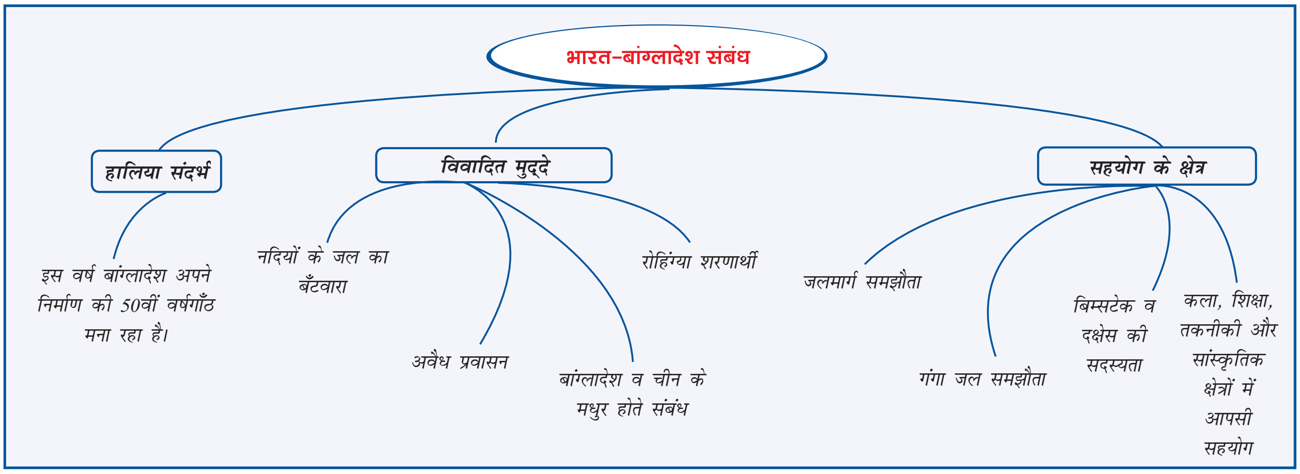

इस वर्ष बांग्लादेश अपने निर्माण की 50वीं वर्षगाँठ मना रहा है। यह एक ऐसा देश है जिसकी नींव के निर्माण में भारत ने एक कुशल राजगीर की भूमिका अदा की है। इसके साथ भारत की भू-भागीय सीमाएँ 4096 किमी. के आस-पास हैं जो भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं में सबसे लंबी है। भारत और बांग्लादेश के संबंध सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक एवं आर्थिक आदि कई स्तरों पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक साझा इतिहास, एक साझी विरासत, भाषा व संस्कृति का मेल, साहित्य, संगीत और कला, स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष और मुक्ति की साझी विरासत दोनों देशों को एक सूत्र में बांधते हैं। दोनों देश एक-दूसरे की अंतरंग भावनाओं को भ्रातृत्व भाव से अनुभव करते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश भारत और दक्षिण एशिया के उभरते टाइगर की उपमा हासिल करने वाले बांग्लादेश के आपसी संबंध अपना अलग स्थान रखते हैं। इसमें परंपरागत पड़ोसी की भाँति कुछ विवाद भी हैं तो आपसी सहयोग व विश्वास की मज़बूत इमारत भी मौजूद है।

संबंधों की पृष्ठभूमि

बांग्लादेश का एक देश के रूप में उदय दिसंबर 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की पराजय का परिणाम था। यह युद्ध पाकिस्तान के क्रूर व आतंकपूर्ण शासन के विरुद्ध बांग्लादेशी विद्रोह का चरमोत्कर्ष था। तेरह दिन के भारत-पाक युद्ध के बाद 16 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान ने अपनी पराजय स्वीकारते हुए आत्मसमर्पण कर दिया जिससे पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में अभ्युदय हुआ। एक तरफ बांग्लादेश की जनता के लिये यह आतंक, क्रूरता व यातना का अंत और देश के स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा थी, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिये यह लोकतांत्रिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की विजय थी।

बांग्लादेश के उदय होने पर उसके राष्ट्रनायक शेख मुजीबुर्रहमान देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 16 से 18 फरवरी, 1972 को भारत की आधिकारिक यात्रा की जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उनकी वार्त्ता के बाद यह घोषणा की गई कि भारत-बांग्लादेश संबंध लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता आदि के सिद्धांतों पर आधारित होंगे। इसके साथ ही दोनों देश जातिवाद व उपनिवेशवाद के सभी रूपों का विरोध करेंगे।

मुजीबुर्रहमान का बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र था। इस अवधि में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध बहुत मधुर रहे जिसमें दोनों देशों ने परस्पर हितों की पूर्ति हेतु व विकास को गति देने हेतु कई समझौते किये। किंतु 15 अगस्त, 1975 को बांग्लादेशी सेना के कुछ मध्यस्तरीय सैनिकों ने एक सैन्य विद्रोह करके मुजीबुर्रहमान तथा उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी। हालाँकि इस हत्याकांड में मुजीबुर्रहमान की पुत्री शेख हसीना पढ़ाई के सिलसिले में उस समय भारत में होने के कारण बच गईं जो आज बांग्लादेश का सफल नेतृत्व कर रही हैं।

बंगबंधु मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में स्थापित हुए जियाउर्रहमान के सैनिक शासन में धार्मिक कट्टरता तेज़ी से बढ़ी और वहाँ भारत विरोधी ताकतें मज़बूत होने लगीं जिससे दोनों देशों के संबंध कटु हो गए। वर्ष 1981 में जियाउर्रहमान की भी हत्या हो गई। उसके बाद शासन करने वाले उसके उत्तराधिकारी के विरुद्ध एक रक्तहीन क्रांति हुई जिसके फलस्वरूप लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद सत्ता में आए। इरशाद के समय भी भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध अच्छे नहीं रहे। उनके उपरांत बेगम खालिदा जिया सत्ता में आईं। उनके सत्ता में आने के बाद भारत के साथ फिर से सामान्य संबंध आरंभ हुए, खालिदा जिया के बाद जब शेख हसीना सत्ता में आईं तो यह सामान्य प्रक्रिया विशिष्ट संबंधों की स्थापना में परिवर्तित हो गई।

दोनों देशों के मध्य विवादित मुद्दे

भारत व बांग्लादेश के बीच के रिश्ते की यह विशेषता रही है कि इसमें समय-समय पर नरमी-गरमी आती रहती है, किंतु कुछ ऐसे मुद्दे

भारत में आयुर्वेद: महत्त्व, चुनौतियाँ और संभावनाएँ

नम्रता सिंह

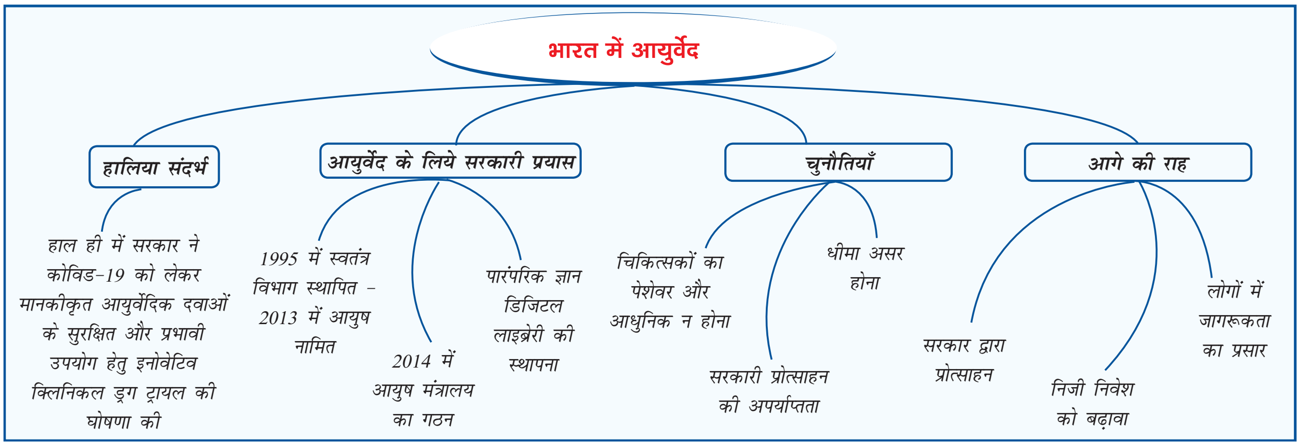

एक स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ परिवार, समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। आज पूरी दुनिया स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्वास्थ्य संरक्षण का मतलब है, 'मैं बीमार न होऊँ से आगे बढ़कर यह सोचना कि किस तरह हम अपनी स्वास्थ्य क्षमताओं में वृद्धि कर सकते हैं।' आज विश्व का पूरा ध्यान इन्हीं दो विषयों पर केंद्रित है। और इस लक्ष्य को पाने के लिये दुनिया जिस रास्ते पर आगे बढ़ रही है, वह है योग और आयुर्वेद का रास्ता।

आज कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया, विशेषकर भारत को अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को फिर से महत्त्व देने के लिये विवश कर दिया है। इसी लिहाज़ से यह आश्चर्य की बात नहीं कि आज कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आयुर्वेद भी शामिल है। सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम और उपचार में चयनित और मानकीकृत आयुर्वेदिक दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग का मूल्यांकन करने के लिये इनोवेटिव क्लीनिकल ड्रग ट्रायल की घोषणा की है। यह संभवत: अपनी तरह का पहला और सबसे बड़े प्रयासों में से एक है। इन प्रयासों के तहत आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक, वैद्यों के साथ मिलकर इस भयानक संक्रामक बीमारी के नियंत्रण से जुड़े शोध करेंगे। इतना ही नहीं, आयुष मंत्रालय ने भी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रतिरक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य में सुधार के लिये कई प्रचलित आयुर्वेद औषधियों के उपयोग पर आम जनता के लिये एक एडवाइजरी भी जारी की है।

इस लेख के माध्यम से हम आयुर्वेद, इसका इतिहास और इसकी चिकित्सा पद्धति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे? इसके साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आयुर्वेद का महत्त्व क्या है? हमारे देश में इसे बढ़ावा देने के लिये क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? इसके सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं और वर्तमान चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद को अव्वल बनाने के लिये कौन-कौन से प्रयास करने की ज़रूरत है?

आयुर्वेद के बारे में

आयुर्वेद संस्कृत के दो मूल शब्दों 'आयुर' और 'वेद' से मिलकर बना है। यहाँ आयुर का अर्थ है जीवन या दीर्घ आयु और वेद का अर्थ है विज्ञान या पद्धति। यानी आयुर्वेद का अर्थ है जीवन जीने या जीवन को दीर्घायु बनाने की पद्धति या तरीका। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि इसे जीवन दर्शन के रूप में देखा जाता है। आज लोग एलोपैथिक थेरेपी के साइड इफेक्ट्स से तंग आकर आयुर्वेदिक उपचार में रुचि दिखा रहे हैं। लोग सौंदर्य प्रसाधन से लेकर भोजन और आहार तक के लिये हर्बल उत्पादों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। सुबह के व्यायाम, योग, खान-पान और उपचार में आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह अब आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान के रूप में देखा जा रहा है। आयुर्वेद एक समग्र जीवन पद्धति है जो व्यक्ति को निरोग जीवन की ओर प्रेरित करती है।

आयुर्वेद का ज्ञान पहले भारत के ऋषि-मुनियों के माध्यम से मौखिक रूप से आगे बढ़ता गया और उसके बाद उसे पाँच हज़ार वर्ष पहले इकट्ठा करके उसका लेखन किया गया। आयुर्वेद पर व्यवस्थित रूप में सबसे पुराने ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय आदि हैं। ये ग्रंथ अंतरिक्ष में पाए जाने वाले पाँच तत्त्व- पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, द्वारा हम पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताते हैं। ये ग्रंथ स्वस्थ और आनंदमय जीवन के लिये इन पाँच तत्त्वों को संतुलित रखने के महत्त्व को समझाते हैं। इन पंच तत्त्वों को संतुलित करने के लिये आयुर्वेद, प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैदिक-शास्त्र चिकित्सा पद्धति पेश करता है। एलोपैथी औषधि या विषम चिकित्सा रोग के प्रबंधन पर केंद्रित होती है, जबकि आयुर्वेदिक पद्धति रोग की रोकथाम तथा रोग के मूल कारणों को समाप्त करने के बारे में बताती है। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति दूसरों की तुलना में कुछ तत्त्वों से अधिक प्रभावित होता है। यह उनकी प्रकृति या प्राकृतिक संरचना के कारण होता है।

दक्षिण चीन सागर विवाद

करिश्मा शाह

(ऑडियो आर्टिकल शृंखला दृष्टि के यूट्यूब चैनल 'Drishti IAS' पर प्रसारित की जाती है जिसमें महत्त्वपूर्ण विषयों पर अंग्रेज़ी अखबारों और पत्रिकाओं में छपे लेखों का सार प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत ऑडियो आर्टिकल The Hindu में प्रकाशित खबर, "U.S. rejects China's claims in South China Sea" और The Indian Express में छपे लेख "How the South China Sea situation plays out will be critical for India's security" में सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं।)

इन दिनों एक ओर जहाँ दुनिया भर के देश कोविड-19 से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर चीन दक्षिण चीन सागर में सैन्य गतिविधियों को बढ़ाकर इस क्षेत्र से जुड़े देशों के सामने दोहरी चुनौती पेश कर रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर में बड़ी संख्या में पोतों और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर अपनी सैन्य मौजूदगी मज़बूत कर रहा है। चीन के इस कदम से इस क्षेत्र में तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। चीन की इन गतिविधियों के मद्देनज़र अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने साफ तौर पर कहा है कि 'दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावे पूरी तरह गैर-कानूनी हैं'।

गौरतलब है कि चीन की कोशिश दक्षिण चीन सागर के बहुमूल्य संसाधनों को हासिल करने की है। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर के द्वीपों और समुद्री चट्टानों पर ताइवान, फिलीपींस, ब्रूनेई, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों का भी दावा है। ऐसे में अपने दावे को मज़बूत करने और इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण हासिल करने के मकसद से चीन आक्रामक रुख अख्तियार करता रहता है, जिसका अन्य देश विरोध करते रहते हैं। ऐसे में दक्षिण चीन सागर विवाद से जुड़े सभी पहलुओं को जानना ज़रूरी हो जाता है। इस लेख के ज़रिये हम दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक अवस्थिति, इसके आर्थिक-सामरिक महत्त्वों के साथ-साथ इस सागर से जुड़े विवाद के सभी पहलुओं को देखेंगे।

दक्षिण चीन सागर का भौगोलिक और सामरिक महत्त्व

दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ और एशिया के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। ब्रूनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश इस सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का एक सीमांत समुद्र है। ध्यातव्य है कि सीमांत समुद्र खारे पानी के बड़े बेसिन हैं जो एक या एक से अधिक संकीर्ण चैनलों द्वारा खुले समुद्र से जुड़े होते हैं। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर मिलकर चीन सागर बनाते हैं तथा ये ताइवान स्ट्रेट द्वारा एक साथ जुड़े हुए हैं। इसके पश्चिम में मलक्का स्ट्रेट के ज़रिये दक्षिण चीन सागर हिंद महासागर से मिलता है और इसके पूर्व में यह लुज़ॉन स्ट्रेट के ज़रिये प्रशांत महासागर में मिलता है। इसके अलावा, यह करीमाता स्ट्रेट के ज़रिये जावा सागर से भी जुड़ता है। टोंकिन की खाड़ी दक्षिण चीन सागर का उत्तरी छोर है जो वियतनाम और चीन के बीच स्थित है।

मिन (Min), मेकांग (Mekong), पर्ल (Pearl), रेड (Red), पमपंगा (Pampanga), पहांग (Pahang), पासिग (Pasig) और जिउलांग (Jiulong) ऐसी नौ प्रमुख नदियाँ हैं जो दक्षिण चीन सागर में गिरती हैं। इनमें से मेकांग नदी यांग्त्जी और येलो नदी के बाद एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण चीन सागर में अक्सर ग्रीष्मकालीन टाइफून आते हैं। स्प्रैटली द्वीप समूह, पार्सल द्वीप समूह, प्रतास, नटुना द्वीप (Natuna Islands) और स्कारबोरो शॉल (Scarborough Shoal) दक्षिण चीन सागर में स्थित कुछ प्रमुख द्वीप और रीफ हैं।

भौगोलिक रूप से, दक्षिण चीन सागर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जापान और दक्षिण कोरिया ईंधन और कच्चे माल की आपूर्ति के लिये निर्यात मार्ग के रूप में दक्षिण चीन सागर पर निर्भर हैं। इसके अलावा इस सागर का सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्त्व भी है। यह हिंद और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। दक्षिण चीन सागर मछली पकड़ने का प्रमुख केंद्र है। इस समुद्री इलाके में जीवों की सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ तेल और गैस के महत्त्वपूर्ण भंडार हैं, जो समुद्री और क्षेत्रीय विवादों का बड़ा कारण है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर काफी समय से अपना दावा करता आ रहा है और उसने इसे "नाइन-डैश लाइन" के ज़रिये इंगित किया है।

नाइन-डैश लाइन

सबसे पहले 1947 में चीन ने अपने दक्षिण चीन सागर के क्षेत्रीय दावों को एक नक्शे पर 'इलेवन-डैश' से बनी यू-आकार की रेखा के साथ सीमांकित किया जिसे 'इलेवन-डैश लाइन' (Eleven Dash line) कहा गया। इसके बाद 1949 में आई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1953 में टोंकिन की खाड़ी को इलेवन-डैश लाइन से हटा दिया था और दो डैश को मिटाकर इसे "नाइन-डैश लाइन" बना दिया।

चीन नाइन-डैश लाइन के ज़रिये दक्षिण चीन सागर के तकरीबन 80 फीसद भाग पर अपना दावा करता है। इसी कड़ी में दक्षिण चीन सागर और उससे सटे द्वीपों पर अपनी निर्विवाद संप्रभुता को पुख्ता करने के लिये चीन ने 2009 में अपने "नाइन-डैश लाइन" के नक्शे को संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया था, जो खारिज हो गया था। चीन के इस दावे का फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों द्वारा विरोध किया गया और इसके बाद से दक्षिण चीन सागर वाला इलाका लगातार विवादों का हिस्सा बनता रहा।

क्या है दक्षिण चीन सागर विवाद?

दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय विवाद जिन मुद्दों पर हैं, वे हैं- वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रूनेई के साथ स्प्रैटली द्वीपसमूह पर विवाद, वियतनाम के साथ पार्सल द्वीपसमूह पर विवाद और फिलीपींस एवं वियतनाम के साथ स्कारबोरो शॉल पर विवाद। इन्हें चीन अपना क्षेत्र

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

Quick Book शृंखला की पुस्तकें

NCERT शृंखला की पुस्तकें

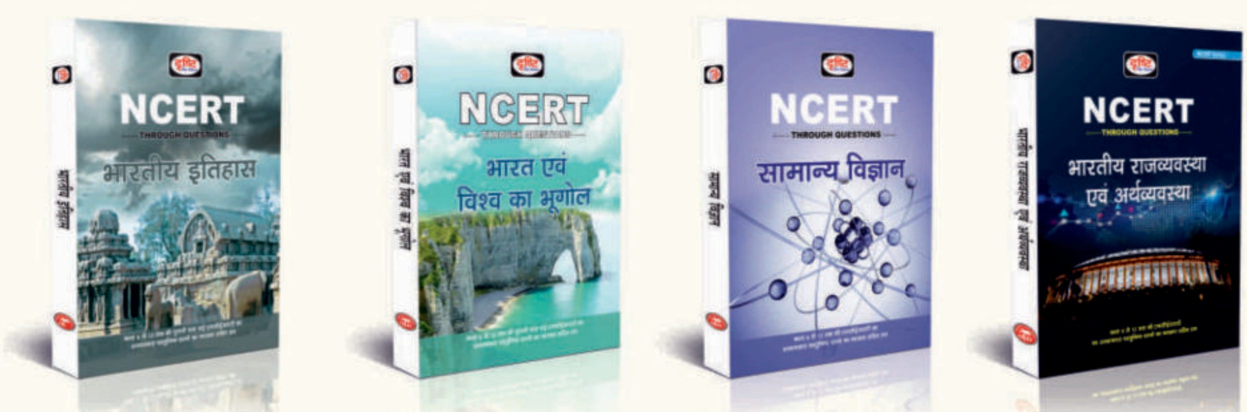

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485516, 87501-87501, 011-47532596

करेंट अफेयर्स

(20 जुलाई-21 अगस्त, 2020 तक कवरेज़)

अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम 26-30

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ★★★ 26
- बाघ संगणना-2018 ★★★ 28
- गरीबी के संदर्भ में UNDP रिपोर्ट ★★★ 29

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 31-38

- न्यायिक अवमानना ★★★ 31
- इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2020 ★★★ 33
- राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ ★★★ 34
- दसवीं अनुसूची के तहत विलय ★★★ 36
- 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' ★★ 38

आर्थिक घटनाक्रम 39-44

- आत्मविश्वास से आर्थिक विकास ★★★ 39
- GST में गिरावट ★★★ 40
- प्रत्यक्ष मौद्रीकरण ★★★ 41
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ★★ 41
- राजकोषीय घाटे में वृद्धि ★★ 43
- आयात शुल्क ★★ 43

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 45-50

- इज़राइल-यूएई शांति समझौता ★★★ 45
- यूरोपियन यूनियन रिकवरी डील ★★★ 46
- मॉरीशस का नया सर्वोच्च न्यायालय भवन ★★★ 47
- भारत-इंडोनेशिया संबंध ★★★ 48
- पाकिस्तान का नया मानचित्र ★★ 49
- PASSEX नौसैनिक मार्ग अभ्यास ★★ 50

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 51-56

- अंतर-ग्रहीय संदूषण ★★★ 51
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति ★★★ 52
- बाईडू नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम ★★★ 53
- COVID-19 वैक्सीन: स्पुतनिक वी ★★ 54
- विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण एवं अदृश्य शील्ड ★★ 55
- डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ★★ 56

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 57-61

- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा, 2020 ★★★ 57
- मॉरीशस में तेल रिसाव ★★★ 58
- हॉर्नबिल ★★★ 59
- अमोनिया का उच्च स्तर ★★ 60
- तिलारी संरक्षण रिज़र्व ★★ 60
- अटलांटिक महासागर में प्लास्टिक प्रदूषण ★★ 61

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 62-65

- सौर-कलंक ★★★ 62
- समुद्र जल स्तर में वृद्धि ★★★ 63
- अगत्ती द्वीप ★★ 64
- वर्षा पूर्वानुमान ★★ 65
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष ★★ 65

सामाजिक मुद्दे 66-71

- पैतृक संपत्ति में समान भागीदारी ★★★ 66
- विवाह की न्यूनतम आयु ★★★ 66
- बाल श्रम अभिसमय ★★★ 68
- महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन ★★★ 69
- भारत में मातृ मृत्यु दर ★★ 70
- सामाजिक सुरक्षा संख्या ★★ 71

कला एवं संस्कृति 72-74

- लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण ★★★ 72
- अबनींद्रनाथ टैगोर ★★★ 73
- तिलक और आज़ाद की जयंती ★★ 73
- मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियाँ ★★ 74

आंतरिक सुरक्षा 75-77

- लड़ाकू विमान: राफेल ★★★ 75
- नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन ★★★ 76
- ब्रू शरणार्थी ★★ 77

संक्षिप्तियाँ 78-90

1 अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र **सरकार ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' (National Education Policy-2020) को मंज़ूरी दी** है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986' [National Policy on Education (NPE)-1986] को प्रतिस्थापित करेगी।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिये जून 2017 में पूर्व इसरो (ISRO) प्रमुख **डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता** में एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति ने मई 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा' प्रस्तुत किया था।
- **'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020' वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी।**
- NEP-2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की **जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा** गया है।
- नई शिक्षा नीति में **वर्तमान 10+2 में सक्रिय शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली** के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है।
- तकनीकी शिक्षा, भाषायी बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि हेतु **तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल** दिया गया है।
- नई शिक्षा नीति में **छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णयन और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल** दिया गया है।
- NEP-2020 के तहत 'शिक्षा और सीखने (Education and Learning)' पर पुन: अधिक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से **मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया** गया है।

प्रारंभिक शिक्षा

पाठ्यक्रम का दो समूहों में विभाजन

- 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये आँगनवाड़ी/बालवाटिका/प्री-स्कूल (Pre-School) के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा' (Early Childhood Care and Education-ECCE) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा।
- NEP में MHRD द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' की स्थापना की मांग की गई है।
- राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-3 तक के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी।

भाषायी विविधता को बढ़ावा और संरक्षण

- NEP-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- NEP-2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिये एक 'भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान', 'फारसी, पाली और प्राकृत के लिये राष्ट्रीय संस्थान (या संस्थान)' स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मज़बूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से मातृभाषा/स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिये जाने का सुझाव दिया है।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव

- NEP-2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली/विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
- **कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा** को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था।
- बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है।
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।

2 संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

न्यायिक अवमानना ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के ट्वीट** (Tweet) **मामले में स्वत: संज्ञान** (Suo Motu) **लेते हुए इसे 'दुर्भावनापूर्ण अपमान' बताया और उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया** है।

प्रमुख बिंदु

- न्यायाधीश अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की इस पीठ ने कहा कि यह अवमानना का गंभीर मामला है। इस पीठ में न्यायाधीश अरुण मिश्र के अलावा न्यायाधीश बी.आर. गावी और न्यायाधीश कृष्णा मुरारी भी शामिल थे।
- दरअसल यह मामला वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा किये गए ट्वीट (Tweet) से संबंधित है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स ट्विटर पर पोस्ट किये गए कथित अवमानना कारक ट्वीट में सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की थी।
- **प्रशांत भूषण ने वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान दूसरे राज्यों से पलायन कर रहे कामगारों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के रवैये की आलोचना की थी।**

न्यायिक अवमानना से तात्पर्य

- न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Court Act, 1971) के अनुसार, **न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है।**
- न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उनका पालन न करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आते हैं।

न्यायिक अवमानना की शुरुआत

- **'न्यायालय की अवमानना' संबंधी अवधारणा का अस्तित्त्व इंग्लैंड में कई सदियों से है।** इंग्लैंड में इसे एक सामान्य कानूनी सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है **जिसका उद्देश्य राजा की 'न्यायिक शक्तियों' की रक्षा करना है।**
- शुरुआत में राजा स्वयं अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता था परंतु बाद में इन शक्तियों का प्रयोग 'न्यायाधीशों के एक पैनल' जो राजा के नाम पर कार्रवाई कार्य करता है, द्वारा किया जाने लगा। न्यायाधीशों के आदेशों के उल्लंघन को स्वयं राजा के अपमान के रूप में देखा जाता था।
- समय के साथ न्यायाधीशों की किसी भी तरह की अवज्ञा या उनके निर्देशों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करना या ऐसी कोई टिप्पणी या कार्य करना जो उनके प्रति अनादर दिखाते थे, दंडनीय माने जाने लगे।
- **भारत में न्यायिक अवमानना के लिये कानून स्वतंत्रता से पहले से ही विद्यमान थे। प्रारंभिक उच्च न्यायालयों के अलावा कुछ रियासतों के न्यायालयों में ऐसे कानून विद्यमान थे।**

न्यायिक अवमानना के प्रकार

- **न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (A) के तहत अवमानना को 'सिविल' और 'आपराधिक' अवमानना में बाँटा गया है।**
- **सिविल अवमानना:** न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(B) के अंतर्गत न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की जान-बूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघन न्यायालय की सिविल अवमानना कहलाता है।
- **आपराधिक अवमानना:** न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(C) के अंतर्गत न्यायालय की आपराधिक अवमानना का अर्थ न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात के प्रकाशन से है, जो लिखित, मौखिक, चिह्नित, चित्रित या किसी अन्य तरीके से न्यायालय की अवमानना करती हो।

न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971

- यह **अधिनियम न्यायालयों के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट आदि की अवहेलना करने पर दंड देने की शक्ति को परिभाषित करता है।**
- यह अधिनियम न्यायालयों को किसी भी निर्णय, रिट, निर्देश या आदेश की अवमानना करने या जान-बूझकर अवज्ञा करने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अधिनियम के तहत **न्यायाधीशों पर भी न्यायिक अवमानना का केस दर्ज किया जा सकता है। उदाहरण के लिये सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना पर न्यायाधीश सी.एस. कर्णन को छह माह के कारावास का दंड मिला था।**

न्यायिक अवमानना (संशोधन) अधिनियम, 2006

- न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 13 के तहत सत्य (Truth) और सुविश्वास (Good Faith) जैसे प्रावधानों को शामिल करने के लिये न्यायिक अवमानना (संशोधन) अधिनियम, 2006 को लाया गया था।
- न्यायिक अवमानना की कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सत्य व विश्वास के आधार पर व्यक्ति अपने बचाव के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर सकता है।

न्यायिक अवमानना अधिनियम का उद्देश्य

- **न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 का उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और महत्त्व को बनाए रखना है।**

3 आर्थिक घटनाक्रम

आत्मविश्वास से आर्थिक विकास ★★★

चर्चा में क्यों?

वैश्विक महामारी COVID-19 के पश्चात् विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में तीव्र गिरावट आई है जिससे **मानव संसाधन, आजीविका और अर्थव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।**

अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ

- **सकल घरेलू उत्पाद:** हाल ही में रेटिंग एजेंसी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने भारत के विकास पूर्वानुमान को संशोधित करके 6% से 2.1% कर दिया है।
- **कोर उद्योगों में संकुचन:** जून 2020 में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, अनुबंधित **आठ कोर उद्योगों (कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली)** के उत्पादन में 15% की कमी दर्ज की गई है।
- **गरीबी और बेरोज़गारी में वृद्धि:** लॉकडाउन के कारण विभिन्न कारखाने व छोटे उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा जिससे व्यापक स्तर पर लोगों की आजीविका प्रभावित हुई और गरीबी-बेरोज़गारी दर में तीव्र वृद्धि हुई।
- **रिवर्स माइग्रेशन:** लॉकडाउन के कारण निर्माण, विनिर्माण और तमाम आर्थिक गतिविधियों के बंद होने से प्रवासी मज़दूर महानगरों से अपने गाँव की ओर लौट चुके हैं जिससे आगे श्रम की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मांग में गिरावट:** लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियाँ ठप हैं, परिणामस्वरूप कृषकों की आय समाप्त हो गई है। कृषकों की आय समाप्त होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाली मांग तेज़ी से घट रही है। **राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय** और नाबार्ड के अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों से कृषि क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों की आय स्थिर रही है।

समस्या समाधान के भावी विकल्प

- भारत को कुछ ऐसे तात्कालिक नीतिगत उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, जो न केवल महामारी को रोकने और जीवन को बचाने की दिशा में कार्य करें बल्कि **समाज में सबसे कमज़ोर व्यक्ति को आर्थिक संकट से बचाने और आर्थिक विकास तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक हों।**
- **बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना** के लिये भी सरकार को इस समय का सदुपयोग करना चाहिये।
- रिवर्स माइग्रेशन के प्रभाव को सीमित करने के लिये पिछड़े राज्यों में छोटे और मध्यम उद्योगों जैसे-कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि कार्यों को प्रारंभ करने की दिशा में कार्य करना चाहिये।
- भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिये सरकार को **विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने पर ध्यान देना होगा।** हमारे सामने चीन एक बेहतरीन उदाहरण है जिसने विनिर्माण क्षेत्र को विकसित कर न केवल बड़े पैमाने पर रोज़गार का सृजन किया बल्कि देश की अवसंरचना को भी मज़बूती प्रदान की।
- विदेशी निवेशकों के मन में चीन के प्रति शंका भारत के लिये एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है क्योंकि कई कंपनियाँ चीन से अपना कारोबार समेट कर बाहर जाना चाहती हैं, ऐसे में भारत को निवेश प्रक्रिया को सरल बनाकर निवेशकों को आकर्षित करना चाहिये।

सरकार द्वारा किये गए प्रयास

- भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु प्रधानमंत्री ने **आत्मनिर्भर भारत** निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज COVID-19 महामारी की दिशा में सरकार द्वारा की गई पूर्व घोषणाओं तथा RBI द्वारा लिये गए निर्णयों को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का है।
- यह आर्थिक पैकेज भारत के **'सकल घरेलू उत्पाद'** के लगभग 10% के बराबर है। पैकेज में **भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।**
- सरकार द्वारा पैकेज के तहत घोषित प्रत्यक्ष उपायों में सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वेतन का भुगतान आदि शामिल होते हैं जिसका लाभ वास्तविक लाभार्थी को सीधे प्राप्त होता है।
- सरकार द्वारा MSME की परिभाषा में बदलाव किया गया है क्योंकि 'आर्थिक सर्वेक्षण' के अनुसार लघु उद्यम लघु ही बने रहना चाहते हैं क्योंकि इससे इन उद्योगों को अनेक लाभ मिलते हैं। अत: MSME की परिभाषा में बदलाव की लगातार मांग की जा रही थी।
- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिये **'मेक इन इंडिया'** पहल पर बल दिया जाएगा। **'आयुध निर्माणी बोर्ड'** का निगमीकरण किया जाएगा ताकि आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार हो सके।
- सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने के लिये **'व्यवहार्यता अंतराल अनुदान'** योजना को प्रयुक्त किया जाएगा।
- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, जून 2020 में **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा)** कार्यक्रम के तहत 62 मिलियन लोगों ने रोज़गार की मांग की।
- लोगों के आर्थिक सद्व्यवहार को प्रोत्साहित करने व उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिये तत्काल नकद हस्तांतरण हेतु सरकार को **यूनिवर्सल बेसिक इनकम** की योजना पर विचार करना चाहिये।

4 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

इज़राइल-यूएई शांति समझौता ★★★

चर्चा में क्यों?

इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिकी हस्तक्षेप के तहत पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिये सहमति व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु

- ऐसी घोषणा करने वाला **यूएई खाड़ी क्षेत्र का प्रथम तथा तीसरा अरब देश** है जो कि इज़राइल के साथ सक्रिय राजनयिक संबंध स्थापित करेगा।
  - इससे पहले **मिस्र ने वर्ष 1979 में तथा जॉर्डन ने वर्ष 1994 में** इज़राइल के साथ 'शांति समझौता' किया था।
- **संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल दोनों पश्चिम एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के करीबी सहयोगी** हैं।

शांति समझौता

- इस समझौते को **'इज़राइल-यूएई शांति समझौता' (Israel-UAE Peace Deal) के रूप में चिह्नित किया** जा रहा है।
- इस समझौते के तहत **इज़राइल, वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की अपनी योजना को निलंबित कर देगा।**
  - वेस्ट बैंक जो कि इज़राइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, का एक प्रमुख शहर फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी 'रामल्लाह' (Ramallah) है।
  - इज़राइल ने छह दिवसीय अरब-इज़राइली युद्ध-1967 में इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था और बाद के वर्षों में वहाँ बस्तियाँ स्थापित की।

- संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में इन देशों के प्रतिनिधिमंडल सीधी उड़ानों, सुरक्षा, दूरसंचार, ऊर्जा, पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।

समझौते की पृष्ठभूमि

- **संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 1971 से फिलिस्तीनियों की भूमि पर इज़राइल के नियंत्रण को मान्यता नहीं देता** है।
- हाल के वर्षों में **ईरान के साथ साझा दुश्मनी और लेबनान के आतंकवादी समूह हिज़्बुल्लाह के कारण खाड़ी अरब देशों और इज़राइल के बीच निकटता** आ गई है।
- आतंकवादी समूह 'मुस्लिम ब्रदरहुड' और 'हमास' के कारण भी दोनों देशों के बीच निकटता बढ़ी है।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अंतर-ग्रहीय संदूषण ★★★

चर्चा में क्यों?

वैश्विक स्तर पर महत्त्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में खगोल जीव **वैज्ञानिकों (Astrobiologists) ने संभावित 'अंतर-ग्रहीय संदूषण' को लेकर चिंता जाहिर की** है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि बीते दिनों मंगल ग्रह संबंधी दो मिशन लॉन्च किये गए, जिसमें पहला **चीन का तियानवेन-1 (Tianwen-1) जो मंगल ग्रह की सतह पर** उतरेगा, वहीं दूसरा **संयुक्त अरब अमीरात का 'होप मिशन'** है, जो मंगल ग्रह पर लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि उसकी कक्षा में रहकर वातावरण का अध्ययन करेगा।
- हाल ही में अमेरिका ने भी मंगल ग्रह के लिये एक अन्य मिशन लॉन्च किया है, यदि सब कुछ सही रहता है तो **वर्ष 1975 से अब तक मंगल ग्रह पर यह नासा की 10वीं सफल लैंडिंग** होगी।
- खगोल जीव वैज्ञानिकों के अनुसार, 'अंतर-ग्रहीय संदूषण' मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं-
  - **फॉरवर्ड कंटामिनेशन (Forward Contamination)।**
  - **बैक कंटामिनेशन (Back Contamination)।**

फॉरवर्ड कंटामिनेशन

- फॉरवर्ड कंटामिनेशन (Forward Contamination) का तात्पर्य **पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवाणुओं (Microbes) का किसी अन्य खगोल-पिंड (Celestial Bodies) पर पहुँचने** से है।
- इतिहास में कई अंतरिक्ष मिशनों के तहत धूमकेतु (Comets) और क्षुद्रग्रह (Asteroid) जैसे खगोल-पिंडों के साथ भौतिक संपर्क स्थापित किया गया है।
  - चूँकि इन खगोल-पिंडों के संबंध में यह सिद्ध है कि यहाँ जीवन संभव नहीं है, इसलिये यहाँ पर फॉरवर्ड कंटामिनेशन एक चिंतनीय विषय नहीं है।
- हालाँकि **मंगल ग्रह के मामले में स्थितियाँ अलग** हैं और इस बात की **संभावना है कि यहाँ जल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध** है तथा यहाँ जीवन की खोज की जा रही है।
- खगोल जीव वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि मंगल ग्रह पर जीवन की कोई संभावना दिखती है, चाहे वह अपने सबसे आदिम रूप में ही क्यों न हो, मानव का एक नैतिक दायित्त्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पृथ्वी पर मौजूद जीवाणु मंगल ग्रह के जैवमंडल (Biosphere) तक न पहुँच सकें ताकि वहाँ जीवन प्राकृतिक रूप से विकसित हो सके।
- **खतरा:** वैज्ञानिक मानते हैं कि **पृथ्वी पर मौजूद जीवाणु यदि मंगल ग्रह पर पहुँच जाते हैं, तो ये मंगल ग्रह के जीवाणुओं की प्रमाणिकता (Integrity) को नष्ट कर देंगे** अथवा सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर मौजूद जीवाणु मंगल ग्रह के जीवाणुओं में मिलावट कर सकते हैं।
- यह उन वैज्ञानिकों के लिये काफी चिंताजनक स्थिति होगी, जो मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश हेतु मंगल ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं।

बैक कंटामिनेशन

- **बैक कंटामिनेशन (Back Contamination) का अर्थ अंतरिक्ष में विभिन्न** खगोल-पिंडों पर मौजूद ऐसे जीवाणुओं के पृथ्वी पर आने से है, जो अभी तक पृथ्वी के जैवमंडल (Biosphere) में मौजूद नहीं हैं।
- नासा मंगल ग्रह से प्राप्त नमूनों जैसे- वहाँ की मिट्टी और चट्टान आदि को पृथ्वी पर वापस लाने से संबंधित एक मिशन की योजना बना रहा है। अनुमान के अनुसार, इस मिशन के तहत संभवत: वर्ष 2031 तक मंगल ग्रह के नमूनों को पृथ्वी पर लाया जाएगा।

ग्रहों की सुरक्षा

- **संयुक्त राष्ट्र की बाहरी अंतरिक्ष संधि-1967**, अंतरिक्ष के **सैन्यीकरण (Militarisation) के विरुद्ध एक नियंत्रण प्रणाली** के रूप में कार्य करने के साथ-साथ इसमें शामिल सभी राष्ट्रों के लिये **अंतरिक्ष के संदूषण जोखिमों संबंधी चिंता पर विचार करना अनिवार्य** बनाती है।
  - अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती को लेकर बाहरी अंतरिक्ष संधि वर्ष 1967 में हुई थी जिसमें भारत शुरू से ही शामिल रहा है।
- इस संधि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये **अंतरिक्ष अनुसंधान समिति** (Committee on Space Research) ने एक **'ग्रह सुरक्षा नीति'** (Planetary Protection Policy) का निर्माण किया है जिसका उद्देश्य **अन्य ग्रहों पर भेजे गए जीवाणुओं की संख्या को सीमित करना** है।
- नासा के अनुसार, 'ग्रह सुरक्षा नीति' में दिये गए दिशा-निर्देशों का दूरगामी प्रभाव मानव अंतरिक्षयान के डिज़ाइन, उसकी परिचालन प्रक्रियाओं और समग्र मिशन संरचना पर पड़ा है।

ग्रह सुरक्षा नीति

- पृथ्वी की सीमा से परे तथा बाह्य अंतरिक्ष में मौजूद विभिन्न तत्त्वों को जानने के लिये विभिन्न देशों द्वारा अब लगातार नए-नए अंतरिक्ष मिशन चलाए जा रहे हैं। मानवता का नैतिक दायित्त्व है हम यह सुनिश्चित करें कि इस दौरान हम **बाह्य अंतरिक्ष में उपस्थित किसी खतरनाक पदार्थ को पृथ्वी पर न लाएँ। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि हम पृथ्वी के किसी जीवाणु को बाह्य अंतरिक्ष में न पहुँचने दें।**
- इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (COSPAR) ने एक ग्रह सुरक्षा नीति तैयार की है।

6 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा, 2020 ★★★

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले कुछ **गैर-सरकारी संगठनों और पर्यावरणविदों ने यह आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा लाया गया पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा, 2020 पर्यावरण प्रभाव आकलन के मूल प्रावधानों को कमज़ोर करता** है, जो पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से तात्पर्य

- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन भारत के पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण घटक** है, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं के संभावित प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है।
- यह किसी प्रस्तावित विकास योजना में संभावित पर्यावरणीय समस्या का पूर्व आकलन करता है और **योजना के निर्माण व प्रारूप निर्माण के चरण में उस समस्या से निपटने** के उपाय करता है।
- यह योजना निर्माताओं के लिये एक उपकरण के रूप में उपलब्ध है, ताकि विकासात्मक गतिविधियों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच समन्वय स्थापित हो सके।
- इन रिपोर्टों के आधार पर तय होगा कि **पर्यावरण मंत्रालय या अन्य प्रासंगिक नियामक निकाय किसी परियोजना को मंज़ूरी** दे सकते हैं अथवा नहीं।
- भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का आरंभ वर्ष 1978-79 में नदी-घाटी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से हुआ और कालांतर में इसके दायरे में **उद्योग, ताप विद्युत परियोजनाएँ** आदि को भी शामिल किया गया।
- भारत में **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया अनुवीक्षण, बेसलाइन डेटा संग्रहण, प्रभाव आकलन, शमन योजना, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट, लोक सुनवाई** आदि चरणों में संपन्न होती है।

भारत में पर्यावरण संरक्षण

- पर्यावरण पर **स्टॉकहोम घोषणा (1972)** के एक हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में भारत ने **जल प्रदूषण (1974) और वायु प्रदूषण (1981)** को नियंत्रित करने के लिये शीघ्र ही कानून बनाए। लेकिन वर्ष **1984 में भोपाल गैस रिसाव आपदा के बाद ही देश ने वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिये एक अम्ब्रेला अधिनियम** बनाया।
- **अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने स्टॉकहोम (स्वीडन)** में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया और **एक ही धरती के सिद्धांत को सर्वमान्य तरीके से मान्यता** प्रदान की।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत भारत ने वर्ष 1994 में अपने पहले EIA मानदंडों** को अधिसूचित किया, जो **प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, उपभोग और (प्रदूषण) को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिये एक विधिक तंत्र** स्थापित करते हैं। प्रत्येक विकास परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये पहले EIA प्रक्रिया से गुज़रना आवश्यक है।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के पूर्व मानदंड की समस्याएँ

- पर्यावरण की सुरक्षा के लिये स्थापित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया पूर्व में भी कई बार संदेह के घेरे में रही है। उदाहरण के लिये **पर्यावरण पर परियोजनाओं के संभावित हानिकारक प्रभावों से संबंधित EIA प्रक्रिया का आधार प्रायः कम दक्ष सलाहकार एजेंसियाँ** होती हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं तथा सरकार को वास्तविक रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराती हैं।
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये प्रशासनिक क्षमता का अभाव समस्या को और अधिक कठिन बना देता है।
- दूसरी ओर परियोजना के निर्माणकर्त्ताओं की शिकायत है कि **EIA प्रक्रिया ने उदारीकरण की भावना को न्यून कर** दिया है, जिससे लालफीताशाही और नौकरशाही को बढ़ावा मिला है। वर्ष 2014 में परियोजनाओं के पर्यावरणीय अनुमोदन में देरी चुनावी मुद्दा बनकर उभरा था।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदे के प्रावधान

- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा, 2020 EIA प्रक्रिया की लालफीताशाही और नौकरशाही के लिये कोई ठोस उपाय नहीं** करता है। इसके **अतिरिक्त यह पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु सार्वजनिक सहभागिता को सीमित करते हुए सरकार की विवेकाधीन शक्ति को बढ़ाने का** प्रस्ताव करता है।
- राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से जुड़ीं परियोजनाओं को रणनीतिक माना जाता है, हालाँकि सरकार अब इस अधिसूचना के ज़रिये अन्य परियोजनाओं के लिये भी **'रणनीतिक'** शब्द का प्रयोग कर रही है।
- नए मसौदे के तहत उन कंपनियों या उद्योगों को भी क्लीयरेंस प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा जो इससे पहले पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करती आ रही थी। इसे **'पोस्ट-फैक्टो प्रोजेक्ट क्लीयरेंस'** कहते हैं।
- इस मसौदे में यह कहा गया है कि सरकार इस तरह के उल्लंघनों का संज्ञान लेगी। हालाँकि ऐसे पर्यावरणीय उल्लंघन की रिपोर्ट सरकार या फिर खुद कंपनी द्वारा ही की जा सकती है।

7 भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

सौर-कलंक ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **'राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन' (NASA) की 'सोलर डायनेमिक्स ऑब्ज़र्वेटरी' द्वारा व्यापक सौर-कलंक समूह-AR2770 को देखा गया जो सौर-कलंक चक्र के 25वें सौर-चक्र** का प्रारंभ होना प्रदर्शित करता है।

सौर-कलंक के बारे में

- सौर-कलंक सूर्य की सतह का ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी सतह इसके आसपास के हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत काली होती है तथा तापमान कम होता है। इनका व्यास लगभग 50,000 किमी. होता है।
- यह **सूर्य की बाहरी सतह अर्थात् फोटोस्फीयर का ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ किसी तारे का चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक** होता है। यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में लगभग 2,500 गुना अधिक होता है।
- सामान्यत: **चुंबकीय क्षेत्र तथा तापमान में व्युत्क्रमनुपाती संबंध होता है अर्थात् तापमान बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र** घटता है।

सौर-चक्र

- **सौर-कलंक अधिकांशत: समूहों** में दिखाई देते हैं तथा उनका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसकी ध्रुवीयता लगभग 11 वर्ष में बदलती है जिसे एक **'सौर चक्र' (Solar Cycle)** कहा जाता है।
- सौर-कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि तथा कमी होती है जिन्हें क्रमश: **सौर कलंक के विकास तथा ह्रास का चरण कहा जाता है, वर्तमान में इस चक्र की न्यूनतम संख्या या ह्रास का चरण** चल रहा है।
- वर्तमान सौर चक्र की शुरुआत वर्ष 2008 से मानी जाती है जो अपने **'सोलर मिनिमम'** (Solar Minimum) चरण में है। **'सोलर मिनिमम' के दौरान सौर-कलंकों** की संख्या में कमी देखी जाती है।

सौर-कलंक से जुड़ी घटनाएँ

- **सोलर फ्लेयर्स: सोलर फ्लेयर्स सूर्य के निकट चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के स्पर्श, क्रॉसिंग या पुनर्गठन के कारण होने वाली ऊर्जा के अचानक विस्फोट से उत्पन्न होते हैं।** सोलर फ्लेयर्स के विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा वर्ष 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए 'लिटिल बॉय' परमाणु बम के लगभग होती है।
- **कोरोनल मास इजेक्शन्स: कोरोनल मास इजेक्शन्स** सूर्य के कोरोना से प्लाज़्मा एवं चुंबकीय क्षेत्र का विस्फोट है जिसमें अरबों टन **कोरोनल सामग्री** उत्सर्जित होती है तथा इससे पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है।
- **ऑरोरा की घटना: सौर-पवनों के कारण मैग्नेटोस्फेयर में परिवर्तन** होता है, जिससे पृथ्वी के **दोनों ध्रुवों अर्थात् दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के आसमान में हरे, लाल और नीले रंग के मिश्रण से प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे ऑरोरा या ध्रुवीय ज्योति** कहा जाता है। **ध्रुवीय स्थिति के आधार पर इन्हें उत्तरी ध्रुवीय ज्योति (Aurora Borealis) तथा दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति (Aurora Australis)** के नाम से जाना जाता है।

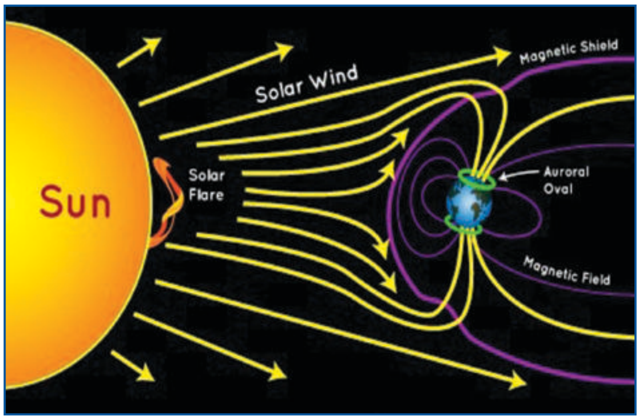

- **माउंडर मिनिमम:** जब **न्यूनतम सौर कलंक सक्रियता की अवधि दीर्घकाल** तक रहती है तो इसे **'माउंडर मिनिमम'** कहते हैं। वर्ष 1645-1715 के बीच की अवधि में **सौर कलंक परिघटना में विराम देखा गया जिसे 'माउंडर मिनिमम'** कहा जाता है। यह **अवधि तीव्र शीतकाल से युक्त रही, अत: सौर कलंक अवधारणा को जलवायु परिवर्तन** के साथ जोड़ा जाता है।

सौर-कलंक के प्रभाव

- सौर-कलंक से उत्पन्न **सोलर फ्लेयर्स के कारण रेडियो संचार, ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम प्रणाली, ऊर्जा-ग्रिड तथा उपग्रह आधारित संचार** प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।
- सौर-कलंक के कारण **'भू-चुंबकीय तूफान'** उत्पन्न हो सकते हैं।
  - 'भू-चुंबकीय तूफान' सौर-तूफानों के कारण पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में उत्पन्न अव्यवस्था है जिससे पृथ्वी की इन खतरनाक विकिरणों से प्राप्त सुरक्षा प्रभावित होती है।
- **माउंडर मिनिमम अर्थात् न्यूनतम सौर कलंक सक्रियता के समय धरातलीय सतह तथा उसके वायुमंडल का शीतलन होता है जबकि अधिकतम सौर कलंक सक्रियता काल के समय वायुमंडलीय उष्मन** होता है।
- 'एल नीनो' और 'ला नीना' की घटना को भी वैज्ञानिकों द्वारा सौर-कलंक के साथ संबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है, यद्यपि यह अनेक दोषों से युक्त है।

8 सामाजिक मुद्दे

पैतृक संपत्ति में समान भागीदारी ★★★

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त के अपने निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारी की शर्तों के समान पैतृक संपत्ति में **हिंदू महिलाओं के उत्तराधिकार और सह-समांशभागी (Co-parceners) या संयुक्त कानूनी उत्तराधिकार के अधिकार को संदेह या अस्पष्टता से मुक्त कर दिया** है। उल्लेखनीय है कि यह निर्णय **हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम [Hindu Succession (Amendment) Act]**, 2005 से संबंधित है।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ के निर्णय के अनुसार, **हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त हो गया है।**
- अपने इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में** वर्ष 2005 में किये गए संशोधनों का विस्तार किया है। अब पुत्रियों की सह-समांशभागिता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उसका पिता जीवित है या नहीं।
- **यह उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं, जबकि बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी को इस कानून के तहत हिंदू माना गया** है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को छह माह के भीतर इस मामले से जुड़े मामलों को निपटाने का भी निर्देश दिया।

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005

- **1956 के अधिनियम को सितंबर 2005 में संशोधित किया गया और वर्ष 2005 से संपत्ति विभाजन के मामले में महिलाओं को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई।**
- **अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए पुत्री को भी जन्म से ही पुत्र के समान सह-समांशभागी (Co-parceners) माना गया।**
- इस संशोधन के तहत पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और उत्तरदायित्व दिया गया।
- यह कानून पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकार के नियम को लागू करता है, जहाँ उत्तराधिकार को कानून के अनुसार लागू किया जाता है, न कि वसीयत के माध्यम से।
- गौरतलब है कि **विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट में हिंदू उत्तराधिकार कानून में सुधार की सिफारिश की गई थी।**
- वर्ष 2005 के संशोधन से पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने कानून में यह बदलाव कर दिया था। केरल ने वर्ष 1975 में ही हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली को समाप्त कर दिया था।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

हिंदू कानून की मिताक्षरा धारा को **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956** के रूप में संहिताबद्ध किया गया था। **संपत्ति के वारिस एवं उत्तराधिकार को इसी अधिनियम के तहत प्रबंधित** किया गया था, जिसने **कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में केवल पुरुषों** को मान्यता दी।

निर्णय के निहितार्थ

- सर्वोच्च न्यायालय का **यह निर्णय लैंगिक न्याय की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है जो एक प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग** है।
- यह कदम भारत में प्राचीन समय से चली आ रही **पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रह** (Patriarchal Prejudice) **से भारतीय कानून को मुक्त करने की दीर्घ प्रक्रिया की तार्किक परिणति** है।
- यह निर्णय भारत के संविधान निर्माताओं के उस सपने से भी मेल खाता है जिसे उन्होंने लैंगिक समानता के रूप में देश के आधारभूत दस्तावेज़ में शामिल किया था।

विवाह की न्यूनतम आयु ★★★

चर्चा में क्यों?

स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि **केंद्र सरकार महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करेगी।**

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु सीमा पर पुनर्विचार करने हेतु एक समिति का भी गठन किया है। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार इस विषय पर निर्णय लेगी।
- भारत में **विवाह की न्यूनतम आयु खासकर महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु सदैव एक विवादास्पद विषय रहा है और जब भी इस प्रकार के नियमों में परिवर्तन की बात की गई है तो सामाजिक और धार्मिक रुढ़िवादियों का कड़ा प्रतिरोध देखने को मिला है।**
- वर्तमान में पुरुषों और महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष निर्धारित है।

समिति का गठन

- **2 जून, 2020 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्त्व की आयु, मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों की जाँच करने के लिये एक टास्क फोर्स का गठन** किया था।

9 कला एवं संस्कृति

लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण ★★★

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, भारत सरकार लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण के लिये **'लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिये योजना'** (Scheme for Protection and Preservation of Endangered Languages-SPPEL) का संचालन कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 1652 भाषाएँ थीं। लेकिन वर्ष 1971 तक इनमें से केवल 808 भाषाएँ ही बची थीं।
- **भारतीय लोकभाषा सर्वेक्षण/पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया** (People's Linguistic Survey of India) **2013 के अनुसार, पिछले 50 वर्षों में लगभग 220 भाषाएँ लुप्त हो चुकी हैं, जबकि 197 भाषाओं को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**
- **वर्तमान में भारत सरकार केवल उन भाषाओं को मान्यता देती है जिसकी अपनी एक लिपि हो तथा व्यापक स्तर पर बोली जाती हो। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 122 भाषाओं को मान्यता दी गई है** जो भारतीय लोकभाषा सर्वेक्षण द्वारा आकलित 780 भाषाओं की तुलना में बहुत कम हैं।
- इस विसंगति का एक प्रमुख कारण यह भी है कि भारत सरकार ऐसी किसी भाषा को मान्यता नहीं देती जिसे बोलने वालों की संख्या 10,000 से कम है।
- **यूनेस्को द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार, कोई भाषा तब विलुप्त हो जाती है जब कोई भी व्यक्ति उस भाषा को नहीं बोलता है या याद रखता है। यूनेस्को ने लुप्तप्राय के आधार पर भाषाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:-**
  - सुभेद्य (Vulnerable)
  - निश्चित रूप से लुप्तप्राय (Definitely Endangered)
  - गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Severely Endangered)
  - गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)
- उल्लेखनीय है कि **यूनेस्को ने 42 भारतीय भाषाओं को गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना है।**

पतन के कारण

- भारत सरकार द्वारा 10,000 से कम लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषाओं को मान्यता नहीं दी जाती है।
- समुदायों की प्रवासन एवं आप्रवासन की प्रवृत्ति के कारण पारंपरिक बसावट में कमी आती जा रही है, जिसके कारण क्षेत्रीय भाषाओं को नुकसान पहुँचता है।
- रोज़गार के प्रारूप में परिवर्तन बहुसंख्यक भाषाओं का पक्षधर है।
- सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन।
- 'व्यक्तिवाद' की प्रवृत्ति में वृद्धि होना, समुदाय के हित से ऊपर स्वयं के हित को प्रथिमकता दिये जाने से भाषाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- पारंपरिक समुदायों में भौतिकवाद का अतिक्रमण जिसके चलते आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य उपभोक्तावाद से प्रभावित होते है।

SPPEL के बारे में

- **इसकी शुरूआत वर्ष 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा की गई थी।**
- इस **योजना का एकमात्र उद्देश्य देश की ऐसी भाषाओं का दस्तावेज़ीकरण और उन्हें संग्रहीत करना है जिनके निकट भविष्य में लुप्तप्राय या संकटग्रस्त होने की संभावना है।**
- इस **योजना की निगरानी कर्नाटक में मैसूर स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (Central Institute of Indian Languages-CIIL) द्वारा की जाती है।**
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिये केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के लिये केंद्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- इस योजना के अधीन केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान देश में 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली सभी मातृभाषाओं, भाषाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रलेखन का कार्य करता है।

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान

- मैसूर स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी।
- यह भारत सरकार की भाषा नीति को तैयार करने, इसके कार्यान्वयन में सहायता करने, भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी तथा समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास में समन्वय स्थापित करने हेतु की गई है।
- इसके अंतर्गत उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
  - भारतीय भाषाओं का विकास
  - क्षेत्रीय भाषा केंद्र
  - सहायता अनुदान योजना
  - राष्ट्रीय परीक्षण सेवा

आगे की राह

- भाषा के अस्तित्त्व को सुरक्षित रखने का सबसे बेहतर तरीका ऐसे विद्यालयों का विकास करना है जो अल्पसंख्यकों की भाषा (जनजातीय

10 आंतरिक सुरक्षा

लड़ाकू विमान: राफेल ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारतीय वायुसेना (IAF) ने हरियाणा स्थित अंबाला एयर बेस** (Ambala Air Base) पर **फ्राँसीसी राफेल लड़ाकू विमानों** (Rafale Fighter Jets) **का पहला बैच (36 में से 5) प्राप्त किया** है।

प्रमुख बिंदु

- इन पाँच राफेल लड़ाकू विमानों के **भारतीय वायुसेना में शामिल होने से उसकी युद्धक क्षमता में अतुलनीय बढ़ोतरी** होगी।
- फ्राँस से भारत आए पाँच **राफेल लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना के नंबर 17 'गोल्डन एरो स्क्वाड्रन' (Golden Arrows Squadron) में शामिल किया जाएगा।**
- 90 के दशक के अंत में रूस से सुखोई-30 (Sukhoi-30) के बाद से भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला यह पहला आयातित लड़ाकू विमान है।

फ्राँस के साथ अंतर-सरकारी समझौता

- भारत सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू **विमानों की खरीद के लिये फ्राँस के साथ सितंबर 2016 में एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये** थे।
- ज्ञात हो कि सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान अनुमानत: वर्ष 2021 तक भारत पहुँच जाएंगे। इसके साथ ही समझौते में यह भी तय किया गया था कि **राफेल निर्माता डसॉल्ट एविएशन (Dassault Aviation) कंपनी भारतीय वायुसेना के पायलटों और सहायक कर्मियों को विमान तथा हथियार प्रणालियों के बारे में पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करेगी।**

क्या खास है राफेल में?

- राफेल (Rafale) फ्राँस का **डबल इंजन वाला मल्टीरोल लड़ाकू विमान** है जिसे फ्राँस की **डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा डिज़ाइन** किया गया है।
- तमाम तरह के **आधुनिक हथियारों से लैस राफेल लड़ाकू विमान में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है और यह एक 4.5 जेनरेशन (4.5 Generation) वाला लड़ाकू विमान** है।
- राफेल लड़ाकू विमान में मौजूद **मीटीओर मिसाइल** (Meteor Missile), **स्कल्प क्रूज़ मिसाइल** (Scalp Cruise Missile) और **MICA मिसाइल प्रणाली** (MICA Missile System) **इसे सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण बनाती है।**
  - **मीटीओर मिसाइल:** यह **हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल** है, जो तकरीबन **150 किमी की दूरी से दुश्मन के विमानों को निशाना बना** सकती है। इससे पहले कि दुश्मन के विमान भारतीय विमानों के करीब पहुँचे, यह मिसाइल उन विमानों को नष्ट कर सकती है।
  - **स्कल्प क्रूज़ मिसाइल:** राफेल में लगी **स्कल्प क्रूज़ मिसाइल प्रणाली हवा-से-ज़मीन पर हमला करने वाले मिसाइल प्रणाली** है और यह तकरीबन 300 किलोमीटर दूर निशाना साधने में सक्षम है।
  - **MICA मिसाइल प्रणाली:** राफेल में मौजूद यह मिसाइल प्रणाली **हवा-से-हवा में मार करने वाली एक बहुमुखी प्रणाली** है और इससे **100 किलोमीटर की दूरी तक फायर किया जा सकता है।** ध्यातव्य है कि यह मिसाइल प्रणाली पहले से ही भारतीय वायुसेना में मौजूद मिराज लड़ाकू विमान में कार्य कर रही है।
- भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट के लिये अत्याधुनिक मध्यम दूरी की मॉड्यूलर एयर-टू-ग्राउंड हथियार प्रणाली हैमर (Hammer) की खरीदारी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
- सटीक निशाना लगाने वाली इस मिसाइल प्रणाली को मूल रूप से फ्राँस की वायुसेना और नौसेना के लिये डिज़ाइन किया गया था।

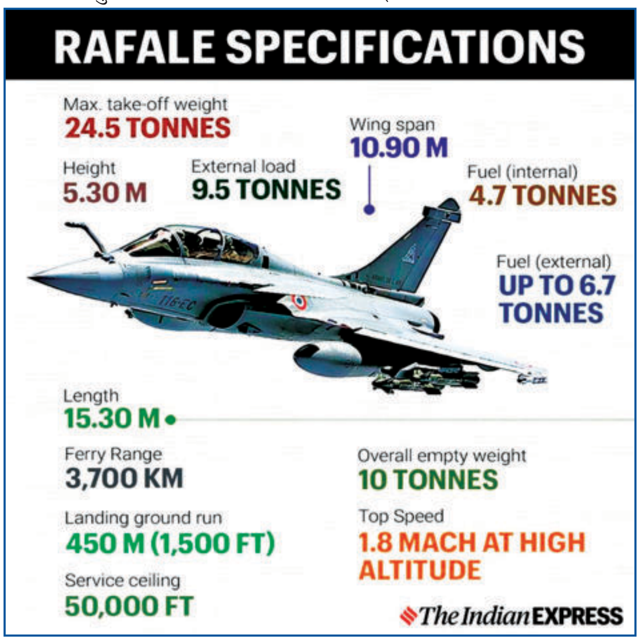

अन्य विशेषताएँ

- विदित हो कि राफेल लगभग 2,222.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 50,000 फीट की ऊँचाई तक उड़ सकता है।
- इस लड़ाकू विमान की रेंज तकरीबन 3,700 किलोमीटर है यानी यह एक बार में लगभग 3,700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, हालाँकि इस रेंज को मिड-एयर रीफ्यूलिंग (Mid-Air Refuelling) के साथ बढ़ाया जा सकता है।
- यह लड़ाकू विमान लगभग 15.27 मीटर लंबा है और यह अपने साथ एक बार में 9,500 किलोग्राम बम और गोला-बारूद ले जा सकता है।

11 संक्षिप्तियाँ

(यूपीएससी एवं राज्य पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाओं पर केंद्रित)

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

- **PURA पहल:** पुणे ग्रामीण प्रशासन ने COVID-19 महामारी के मध्य एक अभिनव आधारभूत संरचना गणना के द्वारा 'प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमेनिटीज़ इन रूरल एरिया' (Provision of Urban Amenities in Rural Areas-PURA) पहल को लागू किया है। PURA को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिये प्रस्तुत किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने PURA योजना को तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) की अवधि के लिये सात समूहों (Seven Clusters) में पायलट आधार पर लागू किया। PURA 2.0 को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में वर्ष 2012 में संभावित विकास केंद्रों जैसे-शहरी जनगणना के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी विभाजन को कम करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों एवं शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये आजीविका के अवसर एवं शहरी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) के माध्यम से एक ग्राम पंचायत (या ग्राम पंचायतों के एक समूह) में संभावित विकास केंद्र के आसपास संगठित क्षेत्रों का समग्र और त्वरित विकास करना है। इसकी अन्य गतिविधियों में जल एवं मल निकासी, गाँव की सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, गाँव की स्ट्रीट लाइटिंग, टेलीकॉम, बिजली उत्पादन, गाँव से जुड़े पर्यटन आदि को शामिल है।
- **ट्राइफेड:** हाल ही में 6 अगस्त, 2020 को भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India-TRIFED) द्वारा अपना 33वाँ स्थापना दिवस मनाया गया तथा उसी दिन TRIFED ने अपने स्वयं के आभासी कार्यालय (Virtual Office) का भी उद्घाटन किया। इस कार्यालय में 81 ऑनलाइन वर्क स्टेशन एवं 100 अतिरिक्त कन्वर्जिंग स्टेट एजेंसी वर्क स्टेशन शामिल हैं जो आदिवासी लोगों को विकास की मुख्यधारा के करीब लाने की दिशा में देश भर में अपने भागीदारों के साथ मिलकर TRIFED की टीम के सदस्यों की मदद करेंगे। कर्मचारियों में आपसी तालमेल के स्तर का पता लगाने तथा उनके प्रयासों को अधिक सुगम्य बनाने के लिये डैशबोर्ड लिंक के साथ एक 'एम्प्लॉई इंगेजमेंट एंड वर्क डिस्ट्रिब्यूशन मैट्रिक्स' (Employee Engagement and Work Distribution Matrix) को भी लॉन्च किया गया है। TRIFED का गठन वर्ष 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्त्वावधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया। इसे बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (Multi-State Cooperative Societies Act) के तहत पंजीकृत गया था। इसने अपने कार्यों की शुरुआत वर्ष 1988 में नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय से की। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ज्ञान, उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों का सशक्तीकरण एवं क्षमता निर्माण करना है। यह मुख्य रूप से दो कार्य करता है पहला-लघु वन उपज (Minor Forest Produce-MFP) विकास, दूसरा खुदरा विपणन एवं विकास (Retail Marketing and Development) है।
- **'हमारा घर, हमारा विद्यालय' कार्यक्रम:** मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में केवल 30% छात्र ही नियमित रूप से 'हमारा घर, हमारा विद्यालय' (Hamara Ghar, Humara Vidyalaya) कार्यक्रम में शामिल हो पा रहे हैं। यह मध्य प्रदेश सरकार के 'स्कूल शिक्षा विभाग' द्वारा घर पर ही शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक शिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य COVID-19 महामारी के चलते विद्यालयों के बंद होने के कारण 22 लाख छात्रों तक इस कार्यक्रम की पहुँच सुनिश्चित करना है। साथ ही इस अवधारणा को सुनिश्चित करना है कि छात्र घर पर नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तथा घर पर ही अपने बड़ों द्वारा जीवन कौशल भी सीखते हैं। इसके तहत मध्य प्रदेश दूरदर्शन द्वारा निश्चित समय पर प्रारूपीय कार्यक्रम (Modular Programme) को प्रसारित किया जाता है। इसके तीन भाग हैं जो पुनर्कथन (Recap), एक नई अवधारणा का वितरण (Delivery of a New Concept) तथा अवधारणा के अभ्यास (Practice of the Concept) पर आधारित है। व्हाट्सएप के डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम (Digital Learning Enhancement Program-DigiLEP) के माध्यम से वीडियो, प्रैक्टिस शीट तथा क्विज़ के रूप में अध्ययन से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को टीवी कार्यक्रमों के साथ समन्वित किया जाता है।
- **सहकार कूपट्यूब एनसीडीसी चैनल:** हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation-NCDC) की एक नई पहल सहकार कूपट्यूब एनसीडीसी चैनल (Sahakar Cooptube NCDC Channel) की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य किसानों और युवाओं को सहकारी समितियों का लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहित करना है। सहकारिता के माध्यम से युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर भी बढ़ सकेंगे। इस पहल से सहकारिता की दिशा में जागरूकता बढ़ेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसी सहकारी संस्था या समिति के गठन और पंजीकरण हेतु अठ्ठारह विभिन्न राज्यों के लिये हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में NCDC द्वारा निर्मित मार्गदर्शक वीडियो भी लॉन्च किये हैं। यू-ट्यूब प्लेटफॉर्म पर सहकार कूपट्यूब चैनल की शुरुआत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, मिज़ोरम, त्रिपुरा, केरल, गुजरात, पंजाब एवं कर्नाटक राज्यों में की गई है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। NCDC का उद्देश्य कृषि उत्पादन, खाद्य पदार्थों,

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

641, Ist Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9 Ph.: 87501 87501, 011-47532596
E-mail: online@groupdrishti.com, *Website: www.drishtiias.com

जिस्ट

उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं के लेखों का सार

खंड संयोजन- निधि सिंह

संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

सांस्कृतिक विविधता

संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

राजव्यवस्था एवं समाज

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
- भारत की जनसंख्या के आँकड़े
- पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार

अर्थव्यवस्था

- वन नेशन, वन मार्केट
- कृषि औद्योगीकरण में द्वितीयक कृषि की भूमिका
- एमएसएमई: उन्नति के लिये डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- भारत में वेट मार्केट और खाद्य कानून
- डेटा एक आर्थिक संसाधन के रूप में
- भारत में 6जी
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता

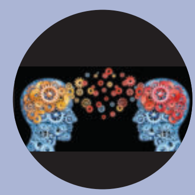

पर्यावरण

- ग्रीन बॉण्ड
- शहरी बाढ़
- प्रारूप पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) 2020 और पूर्वोत्तर भारत

अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा शासन व्यवस्था

- दक्षिण एशिया में भारत
- भारत-बांग्लादेश संबंध
- आरआईसी, एक त्रिकोण

एथिक्स

- शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता
- विज्ञान की नैतिकता और धर्म

संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

सांस्कृतिक विविधता

छाया कठपुतली

- छाया कठपुतलियों की परंपरा ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में छाया कठपुतली नाटक से जुड़ी छह शैलियाँ हैं। महाराष्ट्र में चमाद्याचा बाहुल्य, आंध्र प्रदेश में थोलू बोम्मलाटा, कर्नाटक में तोगालु गोमबेयाट्टा, तमिलनाडु में टोलु बोम्मलाट्टम, केरल में तोल्पावकूथू, ओडिशा में रावणछाया। कर्नाटक में छाया नाटक को तोगालु गोमबेयाट्टा के नाम से जाना जाता है।
- भारत में छाया कठपुलियों की छह परंपराएँ देश के अलग-अलग हिस्सों से हैं। देश के पश्चिम हिस्से महाराष्ट्र के अलावा दक्षिण भारतीय राज्यों- कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी यह परंपरा मौजूद है। इसके अलावा देश के पूर्वी हिस्से ओडिशा में इसकी मौजूदगी है।
- आंध्र प्रदेश में किलंकायत/अरे कपू समुदाय के लोग इससे जुड़े हैं, जबकि कर्नाटक में किलेकायत/दायत समुदाय के लोग इस कला के लिये काम करते हैं। इसी तरह, केरल में नायर समुदाय, महाराष्ट्र में टक्कर समुदाय के लोग इस कला से जुड़े हैं। ओडिशा में भाट समुदाय के लोग इसका प्रदर्शन करते हैं। तमिलनाडु में किलेकायत समुदाय के लोग इससे जुड़े हैं।

भारतीय संगीत का दार्शनिक स्वरूप

भारतीय संगीत की विभिन्न शैलियों की उत्पत्ति और ऐतिहासिक विकास

- भारतीय संगीत की उत्पत्ति वैदिक स्रोतों और मंत्रों के उच्चारण में देखी जा सकती है। छांदोग्य उपनिषद् में गान (संगीत विधाएँ) की सात शैलियों का उल्लेख है जिनमें वैदिक मंत्रों के स्वर के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। जिनका उच्चारण पूर्ण शुद्धता के साथ किया जाना चाहिये जो वैदिक मंत्र की प्रभावोत्पादकता के लिये अति महत्त्वपूर्ण है।
- वैदिक युग के बाद भारतीय काल विधाओं का सबसे प्राचीन संकलन, नाट्य शास्त्र है। इसे 200 बी.सी.ई., (कॉमन एरा पूर्व) से 200 सी.ई. (कॉमन एरा) के बीच संकलित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ऋषि भरत मुनि ने ऋग से वाणी, साम से संगीत, यजुर से अभिनय और अथर्ववेद से भाव को एकीकृत करके नाट्य की सृजना की।
- आचार्य अभिनवगुप्त ने कर्मकाण्डी गंधर्व और कलुषित ध्रुव-गुण के अंतर का उल्लेख किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों के आरंभिक संदर्भों में से एक बौद्ध ग्रंथ सूत्रों में पाया जा सकता है। तिब्बत से प्राप्त 10वीं शताब्दी की चार्यगीति (प्रदर्शन गीत) की पांडुलिपि में जो 8वीं शताब्दी सी.ई. के महासिद्ध सरहया से संबद्ध है।
- भारत के दक्षिणी भाग में एक लोकप्रिय प्रदर्शन शैली प्रबंध गान 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विद्यमान थी। यह प्रबंध परंपरा थी जिसने धीरे-धीरे दो संबद्ध फिर भी विशिष्ट शास्त्रीय संगीत की शैलियों के आविर्भाव को प्रभावित किया जिसे अब हिंदुस्तानी आर कर्नाटक संगीत के रूप में जाना जाता है।

अन्य तथ्य

- 'शास्त्रीय' शब्द शास्त्र की मौलिक परंपरा के अनुसार इसका आधार नियत परिपाटी का अनुसरण करता है। इस संगीत का भारतीय नाम शास्त्रीय संगीत है। इसे कभी-कभी राग संगीत के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह राग है जो इस कला विधा की संरचना के केंद्र में है।
- नाट्य शास्त्र में उत्तर भारत की संगीत शैली को 'उदिच्य' के रूप में उल्लिखित किया गया है जबकि दक्कन क्षेत्र में प्रचलित शैलियों को आंध्रिय कहा गया है। इस प्रकार भारतीय शास्त्रीय संगीत की विविधता का सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ मौजूद है।
- **खयाल संगीत का उद्भव:** हिंदुस्तानी संगीत की खयाल शैली का विकास 17वीं शताब्दी सी.ई. के लगभग हुआ माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से इसकी लोकप्रियता मुगल साम्राज्य के पतन और हिंदी साहित्य में रीति (रूमानी) कविता के उदय के साथ आगे बढ़ी। खयाल शैली जो कि इसके पूर्ववर्ती ध्रुपद नामक शास्त्रीय संगीत की शाखा थी। खयाल कलाकारों में से अधिकांश मुस्लिम थे और इसकी तकनीकी शब्दावली का अधिकांश हिस्सा उर्दू से लिया गया है।
- **रागमाला: दृश्यकला और शास्त्रीय संगीत:** मध्यकालीन भारत की चित्रकला की शृंखला रागमाला (संगीत विधाओं की माला) की उत्पत्ति थी। यह भारतीय लघु चित्रकला की एक शैली थी जिसमें विभिन्न भारतीय संगीत विधाओं या रागों का चित्रण किया गया था।
- **स्वर की शुचिता: भारतीय शास्त्रीय संगीत के एकीकरण का कारण:** भारतीय शास्त्रीय संगीत के सभी रूपों के एकीकरण का एक और कारक स्वर की शुचिता को महत्त्व देना है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ स्वर का व्युत्पत्तिपरक अर्थ बताता है- स्वयमेवरंजतिइतिस्वर:- 'स्व', यानि स्वयं और 'रा' का अर्थ है जो 'चमकता' है। इसलिये, स्वर के माध्यम से आत्म का प्रकाशित होना अपेक्षित है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र : अनुपम आत्मीय संबंध

- देश के अन्य क्षेत्रों के विपरीत, पूर्वोत्तर क्षेत्र विभिन्न मानव जातियों के लोगों का वास रहा है, नृविज्ञानियों ने यहाँ पुरा द्रविड़, यूरेशियन, ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोल, अल्पाइन या आर्मेनॉइड जातियों के अलावा, मेडिटेरेनियन, इंडो-आर्यन और ईरानी-स्कायथियन वंशों की प्रमुख रूप से मौजूदगी के अलावा निग्रिटो नस्ल के अवशेषों की भी उपस्थिति इंगित की है।

संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

परिचय

- केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ कर संकट के समय को कृषि और किसानों की बेहतरी के लिये एक अवसर में बदलने की कोशिश की है।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भूमिका बेहद अहम है। इन उद्योगों को उबारने के लिये सरकार ने कई अहम फैसले लिये हैं। इन उद्योगों को राहत पैकेज के साथ-साथ इनसे जुड़े नियम-कानूनों में कई बदलाव किये गए हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्थाः मज़बूती की ओर आत्मनिर्भर भारत अभियान से गाँवों का कायाकल्प

परिचय

भारत मुख्य तौर पर एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। इसकी दो तिहाई आबादी और 70 प्रतिशत कार्यबल ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। नीति आयोग की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी तकरीबन 46 प्रतिशत है। भारत में 49.7 करोड़ कामगार हैं, जिनमें 94 प्रतिशत निजी या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं।

साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना

भारत सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की रणनीति तैयार करने के लिये सरकार ने अंतर-मंत्रालयी कमेटी का गठन किया है। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिये निम्न स्रोतों की पहचान की गई है-

- **कृषि क्षेत्रः** फसलों के उत्पादन एवं पशुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी, उत्पादन लागत में संसाधनों/बचत का बेहतर इस्तेमाल। एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा फसल तैयार करने पर ज़ोर। ऊँची कीमत वाली फसलों का विविधीकरण और किसानों को मिलने वाली कीमत में बढ़ोतरी।
- **कृषि क्षेत्र के बाहरः** कृषि संबद्ध कार्यों की तरफ बढ़ना (जैसे- पोल्ट्री का काम, बकरी पालन, मछली पालन, डेयरी, फल-सब्ज़ियाँ, खाद्य प्रसंस्करण वगैरह जिनसे बेहतर रिटर्न मिल सकता है)
- किसानों की आमदनी दोगुनी करने की रणनीति से जुड़े सुझावों पर अमल की निगरानी के लिये सरकार ने 23 जनवरी, 2019 को एक अधिकार प्राप्त समिति बनाई थी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिये बनी कमेटी के सुझावों को लागू करने के लिये पहले ही कुछ कदम उठाए जा चुके हैं। इनमें से कुछ कदम इस तरह हैं:
- मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून को लागू करके राज्य सरकारों की मदद से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग (ठेके पर खेती) को बढ़ावा देना, ग्रामीण हाटों को अपग्रेड करना ताकि ये किसानों से कृषि उत्पादों की सीधी खरीदारी का प्रमुख केंद्र बन सकें।
- किसानों को ई-नाम की सुविधा उपलब्ध कराना। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बाँटना।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के ज़रिये कृषि कार्यों में पानी का बेहतर और संतुलित इस्तेमाल सुनिश्चित करना- "प्रति बूंद ज़्यादा फसल"।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की तरह फसलों के लिये बेहतर बीमा कवरेज, ताकि खेती का जोखिम कम किया जा सके।
- किसानों को सस्ती दर (4 प्रतिशत सलाना) पर कर्ज़ उपलब्ध कराना और पशुधन व मछली से जुड़ी गतिविधियों के लिये भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मुहैया कराना।
- सभी खरीफ और रबी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी करना, और बुजुर्ग, छोटे और सीमांत किसानों को ₹3,000 तक की पेंशन मुहैया कराना।
- इसके अलावा, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करते हुए मोटे अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

- 25,000 करोड़ की कर्ज़ सीमा के साथ 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्डों को मंज़ूरी दी गई।
- इसके अलावा, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास फंड के तहत मार्च 2020 के दौरान राज्यों को ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिये सहायता राशि।
- सरकार ने लघु, छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) के लिये 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की घोषणा की है। इस योजना के ज़रिये 12 सरकारी बैंक और निजी क्षेत्र के 16 बैंकों को एमएसएमई के लिये कर्ज़ देने की अनुमति दी गई है।
- शिशु लोन के तहत 2 प्रतिशत सालाना ब्याज पर एक साल के लिये कर्ज़ दिया जाएगा। हाल में मनरेगा के तहत मज़दूरी की दर बढ़ाकर ₹202 (पहले यह ₹182 थी) कर दी गई है।
- इसके अलावा, गरीबों और प्रवासी मज़दूरों को मुफ्त में खाद्यान्न (हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ/चावल और 1 किलो चना) भी दिया जा रहा है। **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** के लाभार्थियों को भी मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है।
- भारत सरकार ने प्रवासी मज़दूरों को **'एक देश एक कार्ड'** योजना के तहत जन वितरण प्रणाली का इस्तेमाल करने की सुविधा दी है।

राजव्यवस्था एवं समाज

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

संदर्भ

यह जानना आवश्यक है कि 'यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट (UNGC) इंडिया स्टडी' के अनुसार भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 2006 में 34% थी, जो घटकर 2020 में 24.8% हो गई है।

विशाखा दिशानिर्देश

- भारत में यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर कानूनी उपायों की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, हालाँकि भारत ने महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन संबंधी कन्वेंशन (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) पर 30 जुलाई, 1980 को हस्ताक्षर किये और 9 जुलाई, 1993 को इसकी पुष्टि की।
- राजस्थान सरकार में संविदा आधार पर कार्यरत ग्रामस्तरीय वर्कर भँवरी देवी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 1997 में नियोक्ताओं के लिये विशाखा दिशानिर्देश जारी किये (विशाखा दिशानिर्देश और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 1997)।
- यौन उत्पीड़न के मामले में महिला संगठनों द्वारा दायर रिट याचिका का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के मौलिक अधिकारों को लागू करना, लैंगिक समानता की प्राप्ति के लिये उपयुक्त तरीके खोजना, यौन उत्पीड़न को रोकना और मौजूदा कानून की खामियों को दूर करना था।
- याचिका में इस मामले को अधिकारों के व्यवस्थागत उल्लंघन के एक ठोस उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया गया, और फिर पाँच अन्य महिलाओं, जिनका कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ था, के उदाहरण प्रस्तुत करके दुर्व्यवहार का एक पैटर्न प्रदर्शित किया।
- इस फैसले ने भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा से संबंधित घरेलू कानूनों की खामियों को दूर किया और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशानिर्देशों को लागू करने के लिये सीईडीएडब्ल्यू (CEDAW) के प्रावधानों को सीधे लागू करके महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखा (सूद 2006)।

अन्य प्रमुख बिंदु

- संविधान और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व भारत में यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून का आधार बने। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का मौलिक अधिकार), अनुच्छेद 15 (लिंग सहित विभिन्न आधारों पर भेदभाव न किये जाने का अधिकार), अनुच्छेद 19 (मौलिक स्वतंत्रताओं), और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) के आधार पर आया, यौन उत्पीड़न के मामलों में इन अनुच्छेदों का उल्लंघन किया जाता है।
- अनुच्छेद 14 की व्याख्या लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से की गई थी, जिसका अर्थ था कि महिलाओं को सम्मान के साथ काम करने का अधिकार है, और उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण मिलना चाहिये। अनुच्छेद 15 का उपयोग करते हुए, यौन उत्पीड़न को लैंगिक आधार पर भेदभाव के रूप में देखा गया था।
- अनुच्छेद 19(1)(छ), जो सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिये समान अवसर की गारंटी देता है, का उल्लंघन देखा गया। अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ने पर इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कार्यस्थल पर जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा।
- संविधान का अनुच्छेद 42, जो राज्य को काम की उचित और मानवीय स्थितियों की व्यवस्था करने के लिये कहता है, ने भविष्य के उपायों और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी उपायों की नींव रखी है।
- विशाखा फैसले ने एक शिकायत समिति के रूप में कार्यस्थल के भीतर एक निवारण तंत्र का प्रावधान करके कार्यस्थल पर महिलाओं के लिये अनुकूल वातावरण की व्यवस्था करने के लिये कहाँ यह परिकल्पना की गई थी कि एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें कर्मचारी और एक बाहरी सदस्य शामिल होंगे, जो संगठन के भीतर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिये सुनवाई करेंगे।
- हालाँकि, विशाखा दिशानिर्देशों में एक बड़ी खामी यह थी कि वे असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को संबोधित करने में विफल रहे (डिसूज़ा 2005)।

असंगठित क्षेत्र के लिये 2013 का अधिनियम

- संगठित क्षेत्र में नियोक्ताओं द्वारा विशाखा दिशानिर्देशों के कम अनुपालन और आंतरिक समितियों (आईसीएस) के कामकाज से जुड़ी समस्याओं तथा असंगठित क्षेत्र में उनके सीमित कार्यान्वयन की समस्या दूर करने के लिये महिला आंदोलन का सरकार के साथ संघर्ष और बातचीत का एक दशक से अधिक लंबा दौर चला था।
- इसके परिणामस्वरूप 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (यहाँ इसे इसके बाद 2013 का अधिनियम कहा गया है) बनाया गया। यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह कार्यस्थलों पर असमान शक्ति संबंधों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिये एक विशेष कानून है। यह संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत सकारात्मक कार्रवाई का एक स्पष्ट रूप था, जो राज्य को महिलाओं के लिये विशेष कानून बनाने की अनुमति देता है।

अर्थव्यवस्था

वन नेशन, वन मार्केट

संदर्भ

- जून की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो कृषि अध्यादेशों को मंज़ूरी दी थी, ये अध्यादेश हैं- 'किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020' तथा 'मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के संबंध में किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश, 2020'।
- इन अध्यादेशों का उद्देश्य कृषि-उपज विपणन कानूनों के तहत अधिसूचित (MhEM) बाज़ारों के भौतिक परिसरों के बाहर कृषि उपज का राज्य के भीतर और अंतर-राज्यीय व्यापार बाधा-मुक्त बनाना तथा किसानों को उनकी पसंद के खरीदारों के साथ सौदेबाज़ी करने के लिये सशक्त बनाना है।

प्रमुख बिंदु

- मौजूदा अनुभवजन्य साक्ष्यों के अनुसार, भारत में विपणन योग्य कृषि अधिशेष का अधिकतम 40 प्रतिशत हिस्सा विनियमित विपणन यार्ड/मंडी से होकर गुज़रता है। शेष 60 प्रतिशत या उससे अधिक, विनियमित परिसर के बाहर बेचा जाता है और इसमें अनेक अड़चनें आती हैं जिससे किसानों, विशेष रूप से छोटे किसानों के लिये अपनी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त करना उतना ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है जितना मंडी परिसर में होता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) अक्सर बेंचमार्क/न्यूनतम मूल्य होने की बजाय इतना अधिकतम मूल्य बनकर रह जाता है कि निजी व्यापारी/एग्रीगेटर सरकारी खरीद की अवधि में किसानों की उपज खरीदने से बचते हैं। हालाँकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद का समय कम होने के कारण, किसान अपनी उपज अंततः निजी खरीदारों को बहुत कम कीमतों पर बेच देते हैं।
- दूसरे, कृषि उपज मंडी समिति (APMC) के परिसरों में कमीशन एजेंटों और खरीदारों के बीच मिलीभगत से 'सर्वोत्तम मूल्य' के लिये बोली लगाई जाती है, जिससे एक ही वस्तु की कीमत हर खरीदार के लिये बदल जाती है। इन परिसरों में किसानों/विक्रेताओं को बाज़ार शुल्क और कमीशन भी देना पड़ता है, जो आधिकारिक रूप से निर्धारित दरों से अधिक होते हैं, जिससे किसानों की उपज की विपणन लागत इतनी अधिक हो जाती है कि वे अपनी उपज को मंडी में बेचना नहीं चाहते हैं।

चुनौतियाँ

- 'मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के संबंध में किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौते के तहत प्रत्यक्ष खरीद संबंधी खंड न केवल खराब तरीके से तैयार किया गया है, बल्कि इसमें छोटे किसानों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव भी है।
- यह अध्यादेश अपने आप में किसानों के हित के बारे में कोई ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि यह पूर्व निर्धारित मूल्य के प्रति वचनबद्धताओं के साथ एक लिखित संविदा को अनिवार्य नहीं बनाता है, जबकि ऐसा करना वांछनीय है।
- इसके साथ ही, एक बड़ी खामी संविदा आधारित कृषि संबंधी खंड में है जो संविदा मूल्य को एपीएमसी मंडी मूल्य या इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार मूल्य के साथ जोड़ता है। आदर्श रूप से, संविदा आधारित कृषि के मामले में, मूल्य को संविदाकारी पक्षकारों द्वारा आपस में बातचीत करके निर्धारित किया जाना चाहिये।
- इसके अलावा, यदि अध्यादेश का उद्देश्य किसानों को वैकल्पिक चैनल प्रदान करना और एपीएमसी बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा पैदा करना है ताकि किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके, तो खराब रूप से तैयार की गई संविदा का यह पहलू इस कानून के उद्देश्य को ही विफल करता है।

निष्कर्ष

80% भारतीय किसान छोटे किसान हैं, यदि उनके लिये जोखिम को कम नहीं किया जाता है, तो उन्हें उचित लाभ नहीं मिल सकता है। ये अध्यादेश मूल्य निर्धारण के लिये एपीएमसी के मापदंडों का उपयोग करके इन छोटे किसानों की चिंताओं को दरकिनार कर रहे हैं। यह उचित समय है कि यदि हम यह चाहते हैं कि वैश्विक महामारी के बाद की अवधि में यह सेक्टर देश के लिये उम्मीद की किरण के रूप में उभरे तो नीति निर्धारकों को कृषि क्षेत्र के लिये बेहतर संभारतंत्र (Logistics) और बुनियादी ढाँचा तैयार करने, आधुनिक पूंजी तक पहुँच बढ़ाने और मूल्य में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने वाले तंत्र पर विचार करना चाहिये।

Source : EPW

कृषि औद्योगीकरण में द्वितीयक कृषि की भूमिका

पृष्ठभूमि

- 1984 में, अमेरिका के कृषि सचिव ने कृषि उपज की कीमतों में गिरावट को नियंत्रित करने के लिये सलाह देने के लिये विशेषज्ञों की एक विशेष बैठक बुलाई। विचार-विमर्श के दौरान यह स्वीकार किया गया कि इसका कारण उत्पादन में लगातार वृद्धि और निर्यात में गिरावट है- अत्यधिक आपूर्ति से बाज़ार की कीमतों में गिरावट आ रही है। इसके परिणामस्वरूप नए कृषि और वन उत्पाद कार्यबल की स्थापना हुई, जिसने मांग के नए अवसर पैदा करने के लिये कृषि में विविधता लाकर उच्च मूल्य वाली फसलें उगाने की सलाह दी।
- पिछले एक दशक से, भारतीय किसानों को भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उपयुक्त आपूर्ति शृंखलाओं के अभाव से कटाई के बाद प्रचुर उत्पादन से प्रेरित कीमतों में और अधिक गिरावट आ जाती है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत में वेट मार्केट और खाद्य कानून

संदर्भ

- कोविड-19 वैश्विक महामारी से पहले 'वेट मार्केट (Wet Market)' शब्द उतना चर्चित नहीं था जितना कि आज है। कोरोना वायरस से पहले भी जंगली जानवरों के साथ निकट संपर्क से मनुष्यों में कई रोग फैले हैं।
- मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (Middle East Respiratory Syndorme, MERS) और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) सहित इस तरह के रोग पशुजन्य (Zoonotic) वायरस के कारण फैले हैं, जिसका अर्थ है कि वे मनुष्यों में फैलने से पहले किसी जानवर या पशु में उत्पन्न हुए थे। इबोला, निपाह वायरस और H1N1 (स्वाइन फ्लू) भी जानवरों से फैले थे।

प्रमुख बिंदु

- एक वेट मार्केट में आमतौर पर कई खुले स्टॉल होते हैं, जो एक बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, जहाँ सब्ज़ियाँ, फल, माँस और ताज़ा समुद्री खाद्य (सीफूड) बेचा जाता है। इनमें से कुछ स्टॉल मुर्गी और मछली सहित जीवित जानवरों को बेचते हैं और वहीं काटते हैं, जबकि कुछ स्टॉल जंगली जानवरों के अवैध व्यापार में भी लिप्त होते हैं। इसे वेट मार्केट (गीला बाज़ार) इसलिये कहा जाता है, क्योंकि इस तरह के बाज़ार में खाद्य पदार्थों और माँस को ताज़ा रखने के लिये पानी और बर्फ का उपयोग किया जाता है।
- भारत माँस की खपत के लिये एक बहुत बड़ा बाज़ार है। 2019 में, भारत में कुल माँस उत्पादन 8.11 मीट्रिक टन था। देश भर में वेट मार्केट में पारंपरिक मुर्गी, गोजातीय पशुओं और मछली के अलावा, कुछ संरक्षित प्रजातियों का भी भोजन के लिये अवैध रूप से व्यापार किया जाता है। उदाहरण के लिये, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कछुए के माँस की बिक्री जारी है।
- दरअसल माँस का सेवन करने से स्वत: रोग फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। यह तब फैलता है जब जानवरों को दबाकर छोटे पिंजरों में बंद करके रखा जाता है और वेट मार्केट में काटने के दौरान मनुष्यों के साथ निकट संपर्क में रखा जाता है, जिससे रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

भारत में विनियम और कानून

- भारत में, खाद्य से संबंधित सबसे महत्त्वपूर्ण कानून 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए), 2006' है जो उससे पहले लागू खाद्य संबंधी अन्य सभी कानूनों का अधिरोहण करता (Override) है। एफएसएसए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारत के खाद्य नियमों को सुसंगत बनाता है। खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 माँस और माँस आधारित उत्पादों सहित खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस और पंजीकरण के पहलू को देखता है।
- विनियमन 2.1 के तहत, देश में सभी खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (Food Business Operators, FBO) को पंजीकृत होना आवश्यक है। किसी भी खाद्य-संबंधित प्रचालन के लिये एक वैध लाइसेंस की आवश्यकता होती है ताकि सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके।
- ऐसे व्यवसायों को अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से उचित लाइसेंस प्राप्त करना होता है और स्वच्छता से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करना होता है। यहाँ तक कि ऐसी दुकानों में केवल बकरी, भेड़, सूअर, गोजातीय पशु, मुर्गी और मछली को काटने की अनुमति दी जाती है।
- पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (बूचड़खाना) नियम, 2001 में यह प्रावधान है कि माँस के लिये किसी भी पशु का वध करने से पहले पशुचिकित्सक को यह प्रमाणित करना चाहिये कि पशु स्वस्थ और रोग मुक्त है।
- इसके अलावा, कई नगरपालिका कानून माँस बाज़ारों और बूचड़खानों पर भी लागू होते हैं। उदाहरण के लिये, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 415 में यह प्रावधान है कि नगरपालिका या पंजीकृत बूचड़खाने को छोड़कर किसी भी स्थान पर जानवर का वध नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 407 में कहा गया है कि जिन इलाकों में नगरपालिका के बूचड़खाने मौजूद हैं, वहाँ जानवरों का किसी अन्य स्थान पर वध किया जाना गैरकानूनी है।
- जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत, बूचड़खाने के कचरे को किसी भी जल निकाय में डालना अवैध है। नियमों के तहत, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के पास बिना किसी सूचना के किसी भी बूचड़खाने का निरीक्षण करने की शक्ति है।

कार्यान्वयन में कमी

- एफएसएसए का कार्यान्वयन भी विभिन्न पहलुओं में आदर्श से बहुत दूर पाया गया है। 2017 में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अधिनियम के कार्यान्वयन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में विभिन्न नियमों और मानकों के निर्धारण में प्रणालीगत अक्षमता, देरी और कमियाँ पाई गईं। यह पाया गया कि 50% से अधिक मामलों में अधूरे दस्तावेज़ों के आधार पर लाइसेंस जारी किये गए थे।
- रिपोर्ट में कहा गया था कि न तो एफएसएसएआई और न ही राज्य खाद्य अधिकारियों ने जोखिम आधारित निरीक्षणों पर नीतियों और प्रक्रियाओं का दस्तावेज़ीकरण किया है। इसमें आगे उल्लेख किया गया था कि खाद्य परीक्षण और प्रमाणन कार्यों के लिये ज़िम्मेदार 72 में से 65 राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं में न केवल उपकरणों की कमी थी बल्कि उनके पास नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन लेबोरेटरीज़ (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, NABL) का प्रत्यायन भी नहीं था।

पर्यावरण

ग्रीन बॉण्ड

संदर्भ

- क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव के ग्रीन बॉण्ड मार्केट सारांश के अनुसार, 2018 में 167.3 बिलियन डॉलर (₹ 13,000 बिलियन) के ग्लोबल ग्रीन बॉण्ड जारी किये गए।
- पारंपरिक/वैनिला बॉण्डों के विपरीत, ग्रीन बॉण्ड नवीकरणीय ऊर्जा, जल और ऊर्जा दक्षता, बायोएनर्जी और कार्बन का कम उत्सर्जन करने वाले परिवहन साधन जैसी 'ग्रीन' परियोजनाओं में वित्त या पुनर्वित्त निवेशों के लिये जारी किये जाते हैं।

प्रमुख बिंदु

- विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों, निजी कंपनियों, राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारी संस्थानों द्वारा ग्रीन बॉण्ड जारी किये गए हैं।
- विश्व बैंक ग्रीन बॉण्ड द्वारा वित्तपोषित सोलर वोल्टिक सिस्टम्स ने मेक्सिको और पेरू में ग्रामीण परिवारों को बिजली पहुँचाने में मदद की है। जमैका में, ऊर्जा सुरक्षा और दक्षता संवर्धन परियोजना ने विंड फार्म्स (Wind Farms), सोलर फार्म्स (Solar Farms) और एक जलविद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिये ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से निवेश की सुविधा प्रदान की।
- जलवायु बॉण्ड पहल (Climate Bonds Initiative) ने जलवायु बॉण्ड मानक और प्रमाणन योजना शुरू की है ताकि ग्रीन बॉण्डों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिये पात्रता मानदंड निर्धारित करके और जलवायु बाॅण्डों का वर्गीकरण करके ग्रीन बॉण्डों का प्रमाणन किया जा सके।
- 2018 बाज़ार सारांश के अनुसार, उभरते बाज़ारों ने 2018 में केवल 40 बिलियन डॉलर के ग्रीन बॉण्ड जारी किये थे, जो जारी किये गए कुल बॉण्डों के पाँचवे हिस्से के लगभग है। भारत में, ग्रीन ऋण जारी करने और सूचीबद्ध करने के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों में ग्रीन ऋण प्रतिभूतियों (Green Debt Securities) के लिये अनुमेय अंतिम-उपयोगों को परिभाषित करते हुए, ग्रीन बॉण्ड सिद्धांतों के अनुरूप व्यापक परियोजनाओं/ परिसंपत्तियों की सूची दी गई है।

ग्रीन बॉण्ड से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

- वित्तीय बाज़ारों में ग्रीन बॉण्ड बूम के लिये मुख्य बाधाओं में से एक है 'ग्रीनवाशिंग (Greenwashing)' का जोखिम। यह शब्द 1986 में पर्यावरणविद् जे वेस्टरवेल्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ग्रीनवॉशिंग का अर्थ ग्रीन बॉण्ड से मिलने वाली प्राप्तियों को ऐसी परियोजनाओं या गतिविधियों के लिये उपयोग करना है, जिनका पर्यावरणीय लाभ नगण्य या नकारात्मक होता है।
- कुछ विवादास्पद घटनाओं में से एक घटना चीन में थ्री गोरजेस कॉर्प (Three Gorges Corp) के संचालक द्वारा एक ग्रीन बॉण्ड जारी किया जाना है, जिसकी पानी को प्रदूषित करने और आसपास के पारिस्थितिकीय तंत्र को नुकसान पहुँचाने के लिये लगातार आलोचना की गई है।
- एक अन्य उदाहरण, जीडीएफ स्वेज द्वारा 2014 में ब्राज़ील में जिराउ बांध (Jirau Dam) के वित्तपोषण के लिये ग्रीन बॉण्ड जारी किये गए थे, जिसके कारण एक वर्षावन में बाढ़ आ गई थी।
- ग्रीन बॉण्ड मार्केट की अखंडता को बढ़ावा देने के प्रयास में, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन ने 2014 में ग्रीन बॉण्ड सिद्धांत (Green Bond Principles, GBP) विकसित किया, जो बाज़ार के व्यापक उपयोग के लिये स्वैच्छिक दिशानिर्देश प्रदान करता है, जिसमें ग्रीन बॉण्ड से होने वाली आय के उपयोग, परियोजना मूल्यांकन की प्रक्रिया, चयन, आय का प्रबंधन और ग्रीन बॉण्ड जारी किये जाने की रिपोर्टिंग के बारे में सिद्धांत शामिल हैं।
- ग्रीन बॉण्ड पर राष्ट्रीय विनियमों ने भी अपनी चुनौतियाँ पेश की हैं। 2015 में जब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपनी 'ग्रीन प्रोजेक्ट्स कैटलॉग' जारी की, तो इसमें चीन के ग्रीन बॉण्डों से होने वाली आय को 'स्वच्छ कोयला (Clean Coal)' में निवेश करने की अनुमति दी (अब हटाए जाने का प्रस्ताव है), इस पर यूरोपीय संघ के वर्गीकरण के तहत स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई है।

आगे की राह

- एक सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता ग्रीन बॉण्ड के लिये अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू दिशानिर्देशों और मानकों के बीच सामंजस्य बनाना है ताकि एक सुदृढ़ ग्रीन बॉण्ड बाज़ार विकसित किया जा सके।
- ग्रीन परियोजनाओं को परिभाषित करने में, 'नकारात्मक सूचियों' को शामिल करना सार्थक हो सकता है, ताकि जीवाश्म ईंधन और ऐसे अन्य क्रियाकलापों/ क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निवेश से बाहर रखा जा सके जो जलवायु के अनुकूल नहीं हैं।
- मानकीकरण के अलावा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग्स ग्रीन बॉण्ड की बाह्य समीक्षा करने में मदद कर सकती हैं और प्रणाली में विश्वसनीयता ला सकती हैं। मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसियों द्वारा ग्रीन बॉण्ड मानक और सूचकांक पहले ही शुरू कर दिये गए हैं।
- ग्रीन निवेश की गति बढ़ाने में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान महत्त्वपूर्ण है। ग्रीन बॉण्ड के संदर्भ में, रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश निजी

अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा शासन व्यवस्था

दक्षिण एशिया में भारत

संदर्भ

भारत अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ कुछ तनाव की स्थिति में है। भारत को न केवल अपने पारंपरिक विरोधी पाकिस्तान के साथ संबंधों में बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और संभवत: श्रीलंका के साथ संबंधों में भी परेशानी हो रही है।

भारत में तनाव के प्रमुख कारण

- इस वर्ष मई में, नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से पर दावा करते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया है जिसमें भारत के उत्तराखंड राज्य के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्रों को नेपाल में दिखाया गया है।
- नए मानचित्र की अब नेपाल की संसद द्वारा पुष्टि कर दी गई है और ओली सरकार इस मानचित्र को संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य बहुपक्षीय संस्थानों को भेजने की योजना बना रही है।
- भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस लिये जाने की पहली वर्षगाँठ की पूर्व संध्या पर, पाकिस्तान ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसमें पूरे जम्मू और कश्मीर के साथ-साथ गुजरात के कुछ हिस्से भी शामिल थे।
- भारत को बांग्लादेश के साथ भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कारण संबंध खराब हुए हैं, इस अधिनियम को मुसलमानों, विशेष रूप से बांग्लादेश के प्रवासियों को लक्षित करने के रूप में देखा जा रहा है।
- राजपक्षे बंधुओं के सत्ता में वापस आने के बाद एक और दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश श्रीलंका भी भारत के लिये चिंता का कारण हो सकता है। राजपक्षे बंधु चीन के करीबी माने जाते हैं, और ऐसी खबर है कि चीन यह चाहता है कि श्रीलंका भारत और उसके अन्य सहयोगियों, जैसे कि जापान से दूरी बनाकर रखे। हाल में श्रीलंका सरकार ने जापान द्वारा वित्तपोषित एक हल्की रेल परियोजना को रोकने का निर्णय लिया है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- भारत के अपने अधिकांश पड़ोसी देशों के साथ संबंध तनावपूर्ण होने के कारण वह चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिये मालदीव में अपनी पैठ बना रहा है। भारत मालदीव के लिये एक 'बड़े वित्तीय सहायता पैकेज' की घोषणा करने की योजना बना रहा है ताकि वह कोविड-19 वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभाव को दूर कर सके।
- जुलाई में, मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त संजय सुधीर ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं (High Impact Community Development Projects, HICDP) के तहत मालदीव में नौ परियोजनाओं को पूरा करना शामिल है। इस योजना के तहत, भारत ने मछली प्रसंस्करण इकाइयों को विकसित करने, पर्यटन क्षेत्र स्थापित करने और बोतलबंद पानी संयंत्र स्थापित करने के लिये कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं।

Source : The Diplomat

भारत-बांग्लादेश संबंध

संदर्भ

भारत व बांग्लादेश के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं और इन्हें किसी पड़ोसी देश के साथ संबंधों का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। हालाँकि, हाल में दोनों देशों के बीच संबंधों में कमी देखी गई है।

भारत बांग्लादेश के मध्य संबंधों में खटास के प्रमुख कारण

- द्विपक्षीय संबंधों के बिगड़ने का एक प्रमुख कारण इस वर्ष जुलाई में प्रधानमंत्री शेख हसीना और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच फोन कॉल है। दोनों नेताओं के बीच हाल ही में किये गए इस फोन कॉल को पाकिस्तानी मीडिया ने दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से शुरू करने वाला बताया।
- भारत द्वारा नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register of Citizens) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) लागू किये जाने के बाद बांग्लादेश की जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया और यह कदम भारत के बारे में उसकी नाराज़गी दर्शाता है।

भारत बांग्लादेश संबंध वर्तमान परिदृश्य

- कोविड-19 वैश्विक महामारी जैसी आपदाओं से निपटने और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। बांग्लादेश कोविड-19 से लड़ने के लिये क्षेत्रीय आपातकालीन कोष स्थापित करने के लिये प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का प्रमुख समर्थक रहा है और उसने मार्च 2020 में कोष में 1.5 मिलियन डॉलर का योगदान करने की घोषणा की। भारत ने भी बांग्लादेश को कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिये चिकित्सा सहायता प्रदान की।
- भारत बांग्लादेश के रेलवे को अनुदान सहायता के रूप में 10 लोकोमोटिव प्रदान कर रहा है क्योंकि उसे अपनी सेवाओं को बरकरार रखने के लिये लोकोमोटिव की आवश्यकता थी और अधिकांश मौजूदा लोकोमोटिव का सेवाकाल समाप्त हो गया है।
- भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग संपर्क को भी मज़बूत किया गया है। मई में, दोनों देशों ने अंतर्देशीय जल व्यापार और पारगमन संबंधी प्रोटोकॉल के लिये एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किये तथा दो नए मार्गों और पाँच बंदरगाहों को जोड़ा।

निष्कर्ष

दोनों देशों के संबंधों में हालिया प्रगति दोनों देशों के बीच सकारात्मक समझ के बिना संभव नहीं थी। भारत और बांग्लादेश संबंधों को बनाए रखने के लिये सभी ओर से समर्थन की आवश्यकता होगी। संबंधों का विश्लेषण करते समय इसकी विशिष्टता को पहचानना दोनों देशों के बीच मेलभाव को मज़बूत करने में योगदान देगा।

Source : ORF

एथिक्स

शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता

- शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता बेहद महत्त्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर नैतिकता की व्याख्या प्रतिबद्धता एवं नैतिक कर्त्तव्य के साथ अच्छे और बुरे से निपटने के अनुशासन के रूप में की जाती है। इसे सत्यनिष्ठा, अनुशासन, ईमानदारी आदि जैसे अद्वितीय मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, नैतिकता व्यवहार को प्रभावित करती है और यह किसी व्यक्ति को सही विकल्प चुनने के लिये प्रेरित करती है। जीवन के किसी भी स्तर पर नैतिकता के महत्त्व की अनदेखी नहीं की जा सकती है।
- आजकल, जीवन के सभी क्षेत्रों में नैतिकता का एक अनिवार्य स्थान है। शिक्षा भी मानव जीवन की एक बुनियादी पद्धति है। इसलिये शिक्षा में नैतिकता की अत्यंत महत्त्वपूर्ण और उपयोगी भूमिका है। एक बेहतर नागरिक बनने के लिये, नैतिकता को शिक्षा प्रणाली में एक ज़रूरी उपाय के रूप में शामिल किया जाना चाहिये। शिक्षा मानव जीवन की एक मौलिक आवश्यकता है। इसलिये शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता को शामिल किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
- शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता को शिक्षा के मानव अधिकार के रूप माना जाता है। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य सीधे तौर पर उसके प्रयोजन के लिये नैतिकता को सीखना नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य इस ज्ञान का दो उद्देश्यों के लिये उपयोग करना है। पहला उद्देश्य बौद्धिक आयामों को बढ़ाना है जिससे लोगों को अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ चिकित्सा, अर्थशास्त्र और नीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मुद्दों के नैतिक आयामों को पहचानने और नैतिक मुद्दों का समाधान करने में मदद मिलेगी। नैतिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य समालोचनात्मक चिंतन कौशल का विकास करना, विशेष रूप से चिंतन करने की क्षमता तथा मनुष्य के व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रभाव को विकसित करना है।
- नैतिकता नैतिक मूल्यों और नियमों के बारे में एक अमूर्त विचार है। शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता के चार सिद्धांत हैं:

ईमानदारी (Honesty)

शिक्षा के क्षेत्र में ईमानदारी एक बहुत महत्त्वपूर्ण गुण है। ईमानदारी का सामान्य मतलब है वफादार, सच्चा, विश्वसनीय, निष्ठावान और निष्पक्ष होना। लगभग सभी संस्कृतियों और धर्मों में भी इन्हें महत्त्वपूर्ण गुण माना गया है। स्कूल में छात्र और शिक्षक के बीच अच्छा संबंध आपसी विश्वास और सम्मान से स्थापित होता है। अन्य सभी गुणों के साथ-साथ ईमानदारी एक महत्त्वपूर्ण गुण है जो सभी छात्रों के लिये आवश्यक है। ईमानदारी स्वाभाविक रूप से नहीं आती है बल्कि एक व्यापक अवलोकन के माध्यम से इसे अपनाया जाता है। शिक्षा प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि एक छात्र को नैतिकता के करीब लाने के लिये कुछ महत्त्वपूर्ण गुणों को उनकी दिनचर्या में शामिल किया जाए। छात्रों में ईमानदारी लाने के लिये उनका बचपन से ही सही मार्गदर्शन किया जाना चाहिये।

गोपनीयता (Confidentiality)

नैतिकता का एक और पहलू गोपनीयता है जो शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक है। गोपनीयता का तात्पर्य अनधिकृत लोगों को जानकारी न देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से है। इसमें लोगों या संगठनों दोनों के बारे में जानकारी न प्रदान करना शामिल है।

हितों का टकराव (Conflict of Interest)

शिक्षा के क्षेत्र में हितों का टकराव संबंधी नैतिकता एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुख्य ज़िम्मेदारी का दूसरी प्राथमिकताओं के साथ समझौता किया जाता है। हितों का टकराव विभिन्न संदर्भों में और विभिन्न कारणों से प्रदर्शित हो सकता है। हितों का टकराव तब सामने आता है जब किसी व्यक्ति का सर्वोत्तम हित किसी दूसरे व्यक्ति या ऐसे संगठन के सर्वोत्तम हित में नहीं होता है, जिसके प्रति उस व्यक्ति के वफादार बने रहने का कर्त्तव्य होता है। हितों के टकराव में, गलती से किसी ऐसी बात को प्राथमिकता देना जिससे अपना निर्णय प्रभावित होता हो, से लेकर व्यक्तिगत लाभ के लिये किसी स्कूल की नीति को जानबूझकर प्रभावित करना शामिल हो सकता है।

ज़िम्मेदारी (Responsibility)

- शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता के अन्य पहलुओं के साथ-साथ ज़िम्मेदारी भी एक महत्त्वपूर्ण नैतिक गुण है। छात्र को ज़िम्मेदार तब माना जाता है जब वह यह स्वीकार करते हुए लगन से अध्ययन करता है कि वह अपनी शैक्षणिक सफलता के लिये स्वयं ज़िम्मेदार है। छात्र की यह ज़िम्मेदारी है कि वह शिक्षकों और स्कूल के अन्य सहपाठियों के साथ सम्मानजनक ढंग से और सावधानीपूर्वक बात करे। छात्र तब ज़िम्मेदारी प्रदर्शित करते हैं जब वे कोई ऐसा विकल्प चुनते हैं और कदम उठाते हैं जो उन्हें उनके शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये मार्गदर्शन करता है। इनमें कक्षाओं, सेमिनारों और प्रयोगशालाओं में भाग लेना और इसके साथ ही शिक्षक द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्धारित समय में पूरा करना शामिल है।
- शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता सभी छात्रों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वह छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन करने में सहायता करती है और यह सुनिश्चित करती है कि ये आदतें सकारात्मक रूप से मानव कल्याण में सहयोग करें। शिष्टाचार और नैतिक सिद्धांतों के बीच नैतिक ज्ञान जागरूकता की आंतरिक विशेषता है। शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता की दृष्टि से छात्र को शिक्षक का सम्मान करने और उसकी आज्ञा का पालन करने तथा उनके द्वारा स्थापित सभी नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। छात्रों को शैक्षणिक ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये तथा निष्ठावान बनना चाहिये और आत्म-अनुशासन का पालन करना चाहिये।

Source : Ecole Globale International Girls School

क्लासिक पुस्तकें

प्रसिद्ध पुस्तकों पर संक्षिप्त चर्चा एवं उपयोगी उद्धरण

-पुरुषोत्तम 'प्रतीक'

प्रिय विद्यार्थियो, पिछले कुछ अंकों से हमने क्लासिक पुस्तकों की एक शृंखला प्रारंभ की है। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में प्रसिद्ध पुस्तकों तथा विचारकों को संदर्भ सहित उद्धृत करना आपके उत्तर एवं निबंध को प्रभावी बनाता है। आपको इन पुस्तकों की मूल अवधारणाओं से परिचित होते हुए संबंधित उद्धरणों को आत्मसात् करना चाहिये तथा नियमित लेखन में इनका अभ्यास करना चाहिये।

द आर्ट ऑफ लविंग - एरिक फ्रॉम

प्रसिद्ध मनोविश्लेषक और सामाजिक दार्शनिक एरिक फ्रॉम (Erich Fromm) द्वारा लिखी गई पुस्तक 'द आर्ट ऑफ लविंग' प्रेम को लेकर सामान्य प्रचलित भावनाओं से इतर एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक समझ प्रदान करती है। इस पुस्तक में फ्रॉम प्रेम को एक स्वत: या आकस्मिक रूप से होने वाली रहस्यमयी घटना की बजाय एक ऐसे कौशल के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसे सिखाया और विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार वे प्रेम के भावनात्मक विचार को, जिसका विश्लेषण और व्याख्या नहीं की जा सकती, के रूप में खारिज़ करते हैं। फ्रॉम ने इस पुस्तक को चार भागों में विभाजित किया है- 1. क्या प्रेम एक कला है? (Is Love an Art?) 2. प्रेम का सिद्धांत (The Theory of Love) 3. समकालीन पश्चिमी समाज में प्रेम और उसका विघटन (Love And Its Disintegration In Contemporary Western Society) 4. प्रेम का अभ्यास (The Practice Of Love)।

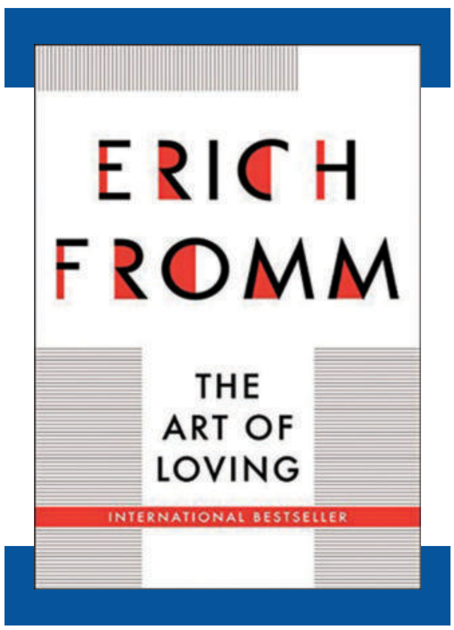

पहले भाग में फ्रॉम प्रेम के प्रचलित विचारों की समस्याओं की ओर इंगित करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार जिन्हें हम प्रेम या प्रेम के कारक समझते हैं वे वास्तव में सामान्य व्यापार या बाज़ार के नियमों से संचालित होते हैं। वे लिखते हैं, "अधिकांश लोग प्रेम को मुख्य रूप से अपनी क्षमता के अनुसार प्रेम करने की बजाय दूसरों से प्रेम पाने के रूप में देखते हैं। उनके लिये प्रेम का मूल प्रश्न यह होता है कि कैसे दूसरों से प्रेम पाया जाए, कैसे प्रेम पाने योग्य बना जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वे सामाजिक मानकों के अनुरूप कई उपाय करते हैं। पहला उपाय, जो विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यह कि उतना सफल, शक्तिशाली और समृद्ध हुआ जाए, जितना किसी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत के अंतर्गत संभव है। दूसरा उपाय, जिसका उपयोग विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, वह है अपने शरीर, पहनावे आदि में सुधार करके अपने आप को आकर्षक बनाना।

वे आगे लिखते हैं कि हमारी पूरी संस्कृति एक पारस्परिक रूप से अनुकूल आदान-प्रदान के विचार से खरीदने की इच्छा पर आधारित है। आधुनिक आदमी की खुशी दुकान की खिड़कियों को देखने के रोमांच में है, और वह सारी चीज़े खरीदना चाहता है जो वह नकदी या किस्तों पर खरीद सकता है। वह लोगों को भी इसी तरीके से देखता/देखती है। पुरुष के लिये एक आकर्षक लड़की- और महिला के लिये एक आकर्षक पुरुष- ऐसे पुरस्कार हैं, जिसे वे पाना चाहते हैं। 'आकर्षक' का आशय आमतौर पर उन गुणों के एक अच्छे पैकेज से होता है जो व्यक्तित्व बाज़ार में लोकप्रिय और मांग वाले होते हैं। किसी व्यक्ति को विशेष रूप से कौन सी चीज़ शारीरिक और मानसिक रूप से आकर्षक बनाती है, यह उस समय के चलन पर निर्भर करता है। बीस के दशक में शराब पीने और धूम्रपान करने वाली, सख्त और सेक्सी लड़की आकर्षक मानी जाती थी; आज का फैशन अधिक घरेलूपन और लज्जाशीलता की मांग करता है। उन्नीसवीं सदी के अंत में और इस सदी की शुरुआत में, एक आदमी का आक्रामक और महत्त्वाकांक्षी होना अच्छा माना जाता था- वर्तमान चलन में उसे एक आकर्षक 'पैकेज' बनने के लिये सामाजिक और सहिष्णु होने की मांग है।

इस प्रकार दो व्यक्ति तब एक-दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके स्वयं के विनिमय मूल्यों की सीमाओं को देखते हुए उन्हें बाज़ार में उपलब्ध सबसे अच्छी वस्तु मिल गई है। मानव प्रेम संबंध विनिमय के उसी पैटर्न का पालन करते हैं जो कमोडिटी और श्रम बाज़ार को नियंत्रित करता है।"

इसके आगे फ्रॉम लिखते हैं कि यदि हमें वास्तव में प्रेम को समझना है, प्रेम में उतरना है तो हमें प्रेम की कला को समझना होगा। प्रेम एक कला है, जैसे जीना एक कला है; यदि हम यह सीखना चाहते हैं कि प्रेम कैसे किया जाता है तो हमें उसी तरह आगे बढ़ना चाहिये, जिस तरह हम किसी अन्य कला, जैसे कि संगीत, पेंटिंग, बढ़ईगीरी या चिकित्सा अथवा

फैक्टशीट

महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित

भारत और राज्यों के लिये जनसंख्या अनुमान 2011-2036 (Population projections for India and States 2011-2036)

- राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2011-36 की अवधि के लिये जनसंख्या अनुमानों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- **लिंगानुपात:** रिपोर्ट के अनुसार 2036 में 2011 की जनसंख्या की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का लिंगानुपात 943 (2011) से बढ़कर 957 (2036) हो जाएगा। ध्यातव्य है कि लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि 2036 में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर अठारह राज्यों में लिंगानुपात 2011 की तुलना में बढ़ जाएगा।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2036 में सबसे कम लिंगानुपात (899) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का होगा, इसके बाद गुजरात और हरियाणा का लिंगानुपात क्रमश: 900 और 908 होने का अनुमान है।
- **जनसंख्या वृद्धि:** 2011 के संदर्भ में भारत की जनसंख्या 2036 तक 1.52 बिलियन तक पहुँच जाएगी। 2036 में भारत की जनसंख्या में 2011 की तुलना में 25% वृद्धि होने का अनुमान है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2011 से 2021 के बीच, जनसंख्या वृद्धि दर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच जाएगी। 2011 और 2021 के बीच, जनसंख्या वृद्धि दर 12.5% होगी। यह 2021-31 में और घटकर 8.4% हो जाएगी।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 15-24 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं की जनसंख्या 2011 में 23.3 करोड़ से बढ़कर 2021 में 25.2 करोड़ होने और फिर लगातार घटकर 2036 में 22.7 करोड़ रहने का अनुमान है। कुल जनसंख्या में इसका अनुपात 2011 में 19.3 प्रतिशत से घटकर 2036 में 14.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- 2031 तक, भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा।
- **शिशु मृत्यु दर (Infant mortality rate, IMR):** रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की शिशु मृत्यु दर (Infant mortality rate, IMR), जो 2010 में 46 थी, 2031-35 की अवधि के अंत में घटकर 30 तक होने का अनुमान है। 2011-35 के दौरान सभी राज्यों में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आने का अनुमान है।
- वर्ष 2011-15 के दौरान सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में थी जो 58 थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की शिशु मृत्यु दर 57 थी, जो 2031-35 में घटकर मध्य प्रदेश में 37 और उत्तर प्रदेश में 38 होने का अनुमान है।
- 2031-35 में सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल में 9 होने का अनुमान है।
- **कुल प्रजनन दर (टीएफआर):** रिपोर्ट के अनुसार , 2011-2015 के दौरान कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.34 से घटकर 2031-35 के दौरान 1.72 होने का अनुमान है। यह अनुमान है कि कुल प्रजनन दर (टीएफआर) हाल में हुई गिरावट की गति का अनुसरण करेगी।

27% छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं के लिये स्मार्टफोन, लैपटॉप तक पहुँच नहीं है : NCERT सर्वे

- एनसीईआरटी के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 27 प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिये स्मार्टफोन या लैपटॉप तक पहुँच नहीं है, जबकि 28 प्रतिशत छात्रों और अभिभावकों का मानना है कि रुक-रुककर या बिजली की कमी शिक्षण-अधिगम की प्रमुख चिंताओं में से एक है।
- यह सर्वेक्षण केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल के प्राचार्यों सहित 34,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ किया गया था।
- सर्वेक्षण के अनुसार कोविड के दौरान लगभग 36 प्रतिशत छात्रों ने पाठ्यपुस्तकों और उनके साथ उपलब्ध अन्य पुस्तकों का उपयोग किया। लैपटॉप शिक्षकों और प्रिंसिपलों के बीच दूसरा सबसे पसंदीदा विकल्प था। टीचिंग-लर्निंग के लिये टेलीविज़न और रेडियो सबसे कम उपयोग किये जाने वाले उपकरण थे।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कोविड-19 के कारण उत्पन्न युवा रोज़गार संकट से निपटने से संबंधित रिपोर्ट (Tackling the COVID-19 Youth Employment Crisis in Asia and the Pacific Report)

- यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है।
- यह रिपोर्ट 'ग्लोबल सर्वे ऑन यूथ एंड कोविड-19 (Global Survey on Youth and COVID-19)' के क्षेत्रीय आकलन पर आधारित है और इसमें विभिन्न देशों में उपलब्ध बेरोज़गारी के आँकड़ों के आधार पर अनुमान लगाए गए हैं।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण भारत में 41 लाख युवाओं की नौकरी जा चुकी है। सात प्रमुख क्षेत्रों में से निर्माण और कृषि क्षेत्र के मज़दूरों की नौकरियाँ सबसे अधिक गई हैं।

मानचित्रों

जाँचिये कि क्या आप इन नक्शों में

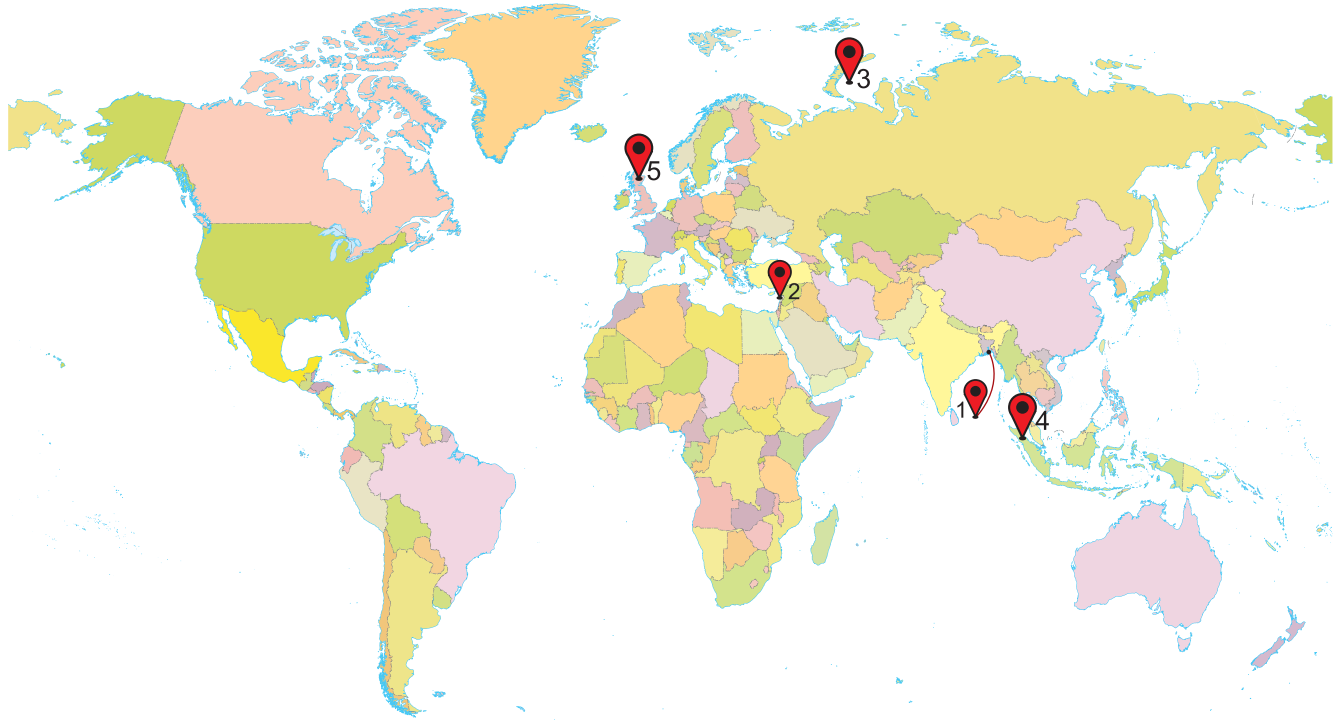

मानचित्र-1 (विश्व)

प्रश्न

1. रोहिंग्याओं के पुनर्वास के लिये नामित बांग्लादेश के द्वीप को पहचानें।
2. उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट में सैकड़ों लोग मारे गए।
3. उस देश की पहचान करें जिसने अब तक के सबसे बड़े हाइड्रोजन बम के परीक्षण का वीडियो जारी किया।
4. उस ज्वालामुखी की पहचान करें जो हाल ही में इंडोनेशिया में फटा है।
5. उस यूरोपीय देश की पहचान करें जिसने महात्मा गांधी के सिक्के बनाने का निर्णय लिया है।

(इस मानचित्र के उत्तर पेज-139 पर देखें)

से सीखें

रेखांकित स्थानों को पहचानते हैं?

मानचित्र-2 (भारत)

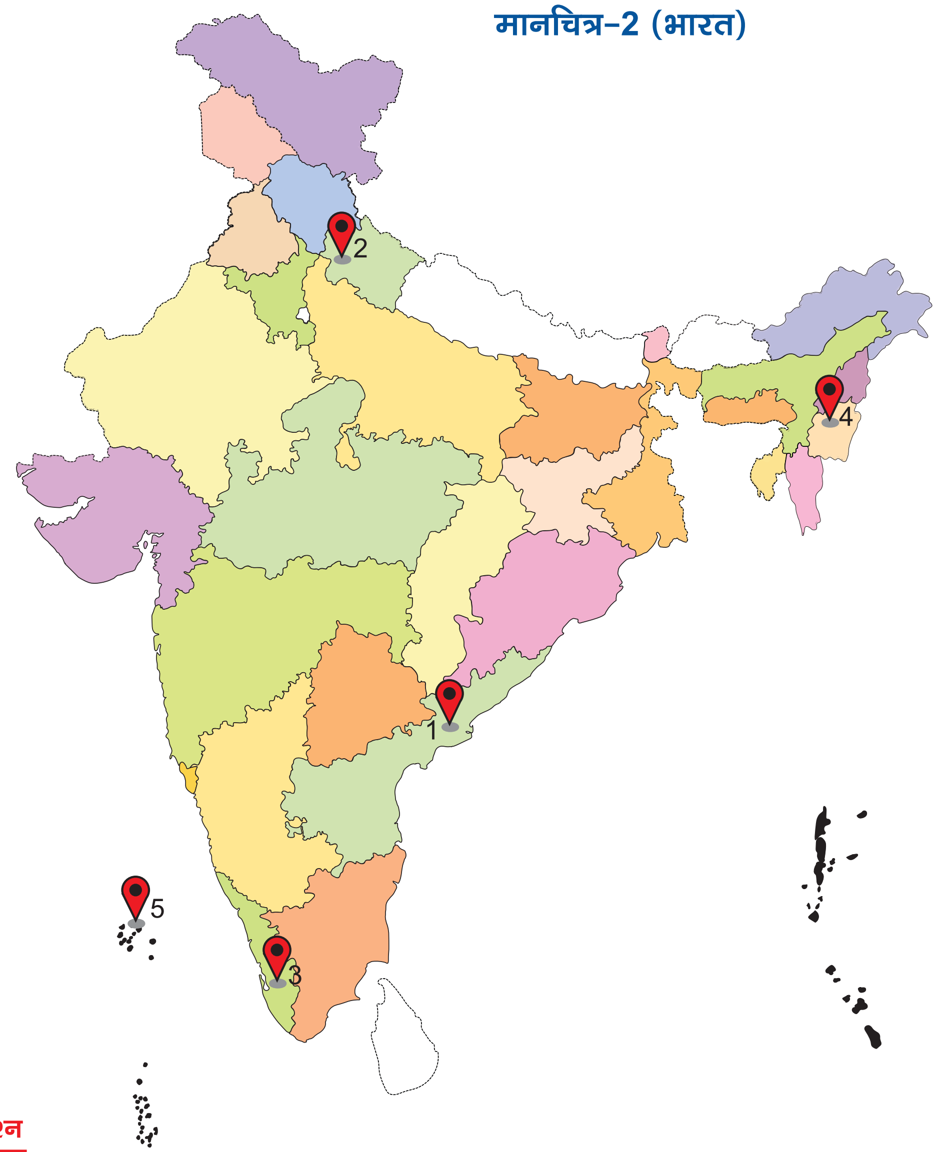

प्रश्न

1. उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ दुर्लभ प्रजाति की माहसीर (Mahseer) मछली को देखा गया है।
2. उस राज्य की पहचान करें जहाँ पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र (Snow Leopard Conservation Centre) विकसित किया जाएगा।
3. उस राज्य की पहचान करें जहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने ड्रैगनफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया था।
4. उस राज्य की पहचान करें जहाँ भारतीय रेल दुनिया के सबसे ऊँचे स्तंभ पुल (Pier Bridge) का निर्माण कर रहा है।
5. उस भारतीय द्वीप की पहचान करें जो ऑप्टिक फाइबर लिंक के माध्यम से मुख्य भूमि से जोड़ा जाएगा।

(इस मानचित्र के उत्तर पेज-139 पर देखें)

निबंध खंड

यदि हम युद्ध को समाप्त नहीं करते हैं, तो युद्ध हमें समाप्त कर देगा

(निबंध प्रतियोगिता-61 में प्रथम पुरस्कार के लिये चयनित)

-विद्यार्णवेन्दु त्रिपाठी

मनुष्य संसृति का सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी है। जिज्ञासा, कौतूहल, महत्त्वाकांक्षा, हर्ष, विषाद, क्रिया, प्रतिक्रिया, रचनात्मकता इत्यादि मनुष्यत्व के अभिलक्षण हैं। मूल्य, नैतिकता, मानवता, सौहार्द्र इत्यादि विशिष्ट गुण उसे पशुओं से अलग एवं श्रेष्ठ बनाते हैं। इसी क्रम में जब मनुष्य के नकारात्मक गुण उसकी रचनात्मकता पर हावी हो जाते हैं तो मानव आततायी हो जाता है एवं अति महत्त्वाकांक्षा का जन्म होता है। ऐसे ही, अति महत्त्वाकांक्षाओं से युद्ध जैसे अमानवीय, विभीषक एवं अवांछनीय परिस्थितियों का जन्म होता है।

इतिहास साक्षी है कि मानवता ने हर शताब्दी में युद्ध की विभीषिका एवं त्रासदी को झेला है। सभ्यता एवं संस्कृति के हर विकास सोपान पर युद्ध का कलंकित अध्याय जुड़ा है। यदि हम सभ्यता के अतीत पर दृष्टिपात करें तो 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध हमारे मानस पटल पर रक्तरंजित छायाचित्र प्रस्तुत करता है जिसमें लाखों लोग काल कवलित हुए। इसी प्रकार प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में सत्ता की विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा में अनेकानेक युद्ध हुए जिनमें अपार हत्याएँ हुईं। इस क्रम में यदि हम द्वितीय विश्वयुद्ध मुख्यत: 6 एवं 9 अगस्त, 1954 को क्रमश: हिरोशिमा एवं नागासाकी में हुए परमाणु हमले का ज़िक्र न करें तो शायद पूरी परिचर्चा अधूरी छूट जाएगी। उस परमाणु हमले में करीब तीन लाख बीस हज़ार लोग काल के गाल में समा गए थे एवं लाखों की संख्या में हताहत व विकलांग हो गए थे। पूर्व में मानवता ने युद्ध का इतना विनाशकारी अंतिम परिणाम कभी नहीं देखा था। युद्धोत्तर काल में भी उस क्षेत्र में पैदा होने वाले बच्चों में अपंगता देखी गई। हिरोशिमा एवं नागासाकी की उस घटना ने विश्व समुदाय में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन को अपरिहार्य बना दिया जिससे भविष्य में होने वाले युद्धों को समाप्त किया जा सके एवं हमारे विनाश को रोका जा सके। एक उदाहरण शीतयुद्ध के दौर के सबसे भीषण सैन्य संघर्षों में से एक वियतनाम युद्ध (1 नवंबर, 1955-30 अप्रैल, 1975) का भी आता है; जहाँ एक तरफ चीनी जनवादी गणराज्य और अन्य साम्यवादी देशों से समर्थन प्राप्त उत्तरी वियतनाम की सेना थी तो दूसरी तरफ अमेरिका और मित्र देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही दक्षिणी वियतनाम की सेना। वियतनाम युद्ध के चरम पर होने पर 'लाओस' ने अपनी धरती उत्तरी वियतनाम की सेना के लिये मुहैया करा दी। इस एक निर्णय ने लाओस के भविष्य को बारूद के ढेर के नीचे हमेशा-हमेशा के लिये दबा दिया। लाओस में वर्ष 1964 से लेकर 1973 तक पूरे नौ साल अमेरिकी वायुसेना ने हर आठ मिनट में बम गिराए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नौ सालों में अमेरिका ने लगभग 260 मिलियन क्लस्टर बम वियतनाम पर दागे हैं जो इराक के ऊपर दागे गए कुल बमों से 210 मिलियन अधिक हैं। लाओस में अमेरिका ने इतने क्लस्टर बम दागे थे कि दुनिया भर में इन बमों के शिकार हुए कुल लोगों में से आधे लोग लाओस के ही हैं। अमेरिका द्वारा लाओस पर की गई बमबारी को लेकर हुए खुलासों के अनुसार अमेरिका ने नौ सालों तक प्रतिदिन 2 मिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ लाओस पर बमबारी करने में ही खर्च किये थे। इस युद्ध में अमेरिका ने उन वनों को विनष्ट करने के लिये जहाँ वियतनामी सैनिक छिपते थे लगभग 20 मिलियन गैलन खरपतवार एवं पादपनाशी रसायनों का छिड़काव किया जिसके परिणामस्वरूप बाद के अध्ययनों में उस क्षेत्र के जैव एवं वानस्पतिक वैविध्य का अत्यंत ह्रास पाया गया। इन युद्धों में पर्यावरण की भी अपूरणीय क्षति हुई तथा युद्ध उपोत्पाद के रूप में पर्यावरण प्रदूषण, नाभिकीय विकिरण तथा पर्यावरणीय पशु-पक्षियों का विलोपन भी हुआ। इस घटना ने मानव समाज को स्पष्ट संदेश दिया कि यदि भविष्य में युद्धों को नहीं रोका गया तो युद्ध मानव संवृद्धि एवं कल्याण को छिन्न-भिन्न कर देंगे।

वर्तमान समय विज्ञान एवं तकनीकी की प्रगति का युग है और इसी प्रगति के एक उत्पाद के रूप में युद्ध एवं विनाशक हथियारों के निर्माण की दुनिया भर में होड़ लगी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के प्रारंभ में दुनिया भर में करीब 13400 परमाणु हथियार थे जिनका 90 प्रतिशत संकेन्द्रण संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस के पास है। परमाणु हथियारों के अतिरिक्त भी दुनिया भर में एक से बढ़कर एक नवीन तकनीक युक्त विध्वंसक एवं लंबी दूरी के मारक हथियारों व मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है। SIPRI की ही अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वर्ष 2010-14 की तुलना में वर्ष 2015-19 में 5.5 फीसदी अधिक शस्त्र हस्तांतरण हुए हैं। उपर्युक्त रिपोर्ट दुनिया भर के तमाम देशों के युद्धोन्माद की पुष्टि करती है। निश्चित तौर पर इन विनाशक हथियारों के प्रयोग से मानव समुदाय ही नहीं वरन् प्रकृति के अन्य जैविक एवं अजैविक समुदाय अस्तित्व भी संकट में आ जाएंगे। वर्तमान समय में युद्ध हथियारों का बदलता स्वरूप मानव अस्तित्व को और अधिक संकट में डाल रहा है। आज विश्व समुदाय रासायनिक हथियारों की खोज एवं उन्नति से आगे बढ़ते हुए जैविक हथियारों के विकास एवं अनुप्रयोग पर बल दे रहा है। जैविक हथियार ठीक परमाणु हथियारों की भाँति अपने प्रयोग के पश्चात् भी कई वर्षों तक मानव एवं प्राकृतिक पारिस्थितिकी के लिये संकट उत्पन्न करते रहेंगे अर्थात् युद्ध के तात्कालिक दुष्परिणामों के अतिरिक्त दूरगामी दुष्प्रभाव भी हमारे अस्तित्व को चुनौती देते रहेंगे।

निबंध प्रतियोगिता

प्रिय पाठको,

इस प्रतियोगिता के अंतर्गत निबंध का एक विषय दिया जाता है। आप इस विषय पर अधिकतम 1500 शब्दों में निबंध टाइप कराकर निर्धारित तिथि तक हमें भेज सकते हैं। आपके प्रोत्साहन के लिये 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की तरफ से पुरस्कार का प्रावधान भी किया गया है जिसके अंतर्गत **प्रथम तीन विजेताओं को क्रमशः एक साल, 9 महीने एवं 6 महीने तक 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' पत्रिका निःशुल्क भेजी जाएगी।**

प्रतियोगिता के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ इस प्रकार हैं-

निबंध प्रतियोगिता क्रमांक-63

विषयः हमारा समाज मानसिक रूप से इतना परिपक्व नहीं हो पाया है कि वह बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार दे सके।

प्रतियोगिता के नियमः

1. निबंध अधिकतम 1500 शब्दों में ही होना चाहिये।
2. निबंध मुद्रित (टाइप) कराकर ही भेजें। यदि ई-मेल द्वारा निबंध भेज रहे हैं तो वर्ड फॉर्मेट में भेजें। ध्यान रखें कि हस्तलिखित निबंध स्वीकार नहीं किये जाएंगे। पिछली प्रतियोगिताओं में देखने में आया है कि कुछ प्रतिभागियों के विचार तो अच्छे होते हैं परंतु उनमें शाब्दिक अशुद्धियाँ प्रचुर मात्रा में होती हैं। आपसे निवेदन है कि इसका ध्यान रखें। निबंधों के मूल्यांकन में इसका भी ध्यान रखा जाता है।
3. निबंध की प्रविष्टि दिये गए पते पर रजिस्टर्ड डाक या ई-मेल द्वारा ही भेजें। प्रविष्टि भेजने का पता है- कार्यकारी संपादक, दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 तथा ई-मेल आईडी है- purushottam@groupdrishti.com। लिफाफे के ऊपर 'निबंध प्रतियोगिता के लिये प्रविष्टि' ज़रूर लिखें।
4. निबंध की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होनी चाहिये।
5. अपनी प्रविष्टि के साथ इसी पृष्ठ पर दिये गए फॉर्म में अपना व्यक्तिगत परिचय लिखकर अवश्य भेजें। ध्यान रखें कि इस फॉर्म के बिना भेजे गए किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. आपकी प्रविष्टि ***20 अक्तूबर, 2020*** तक पहुँच जानी चाहिये। उसके बाद पहुँचने वाली प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रतियोगिता का परिणाम ***दिसंबर*** अंक में प्रकाशित होगा।
7. आपके विचार मौलिक होने चाहिये। किसी भी रूप में पूर्व-प्रकाशित व पुरस्कृत निबंधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. निबंध के परिणाम के संबंध में सर्वाधिकार 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के पास सुरक्षित हैं। पुरस्कार विजेताओं के नाम पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित किये जाएंगे। प्रतियोगिता के परिणाम के संदर्भ में किसी भी किस्म का पत्राचार अथवा टेलीफोन न करें।

नोटः जो प्रतिभागी निबंध प्रतियोगिता हेतु प्रथम, द्वितीय और तृतीय में से कोई भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं उनकी प्रविष्टियों पर उस अंक से लेकर अगले एक वर्ष के अंक तक कोई विचार नहीं किया जाएगा। आप हमें डाक के अतिरिक्त ई-मेल द्वारा भी निबंध भेज सकते हैं। ई-मेल आई डी ऊपर दिये गए नियमों में उल्लिखित है। कृपया निबंध भेजने में इस बात का ध्यान रखें कि आप डाक या ई-मेल में से एक माध्यम से ही निबंध भेजें। दोनों माध्यमों से भेजने पर निबंध पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

निबंध प्रतियोगिता क्रमांक-60 के सभी विजेताओं को ढेरों बधाइयाँ, प्रथम तीन विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं- प्रथम पुरस्कार- विद्यार्णवेन्दु त्रिपाठी (फतेहपुर, उत्तर प्रदेश), द्वितीय पुरस्कार- सुरेन्द्र सिंह रावत (शेषपुरा देलवाड़ा, राजस्थान), तृतीय पुरस्कार- भवेश कुमार (बाड़मेर, राजस्थान)।

निबंध प्रतियोगिता का फॉर्म

(कृपया इस फॉर्म को फाड़कर अपने निबंध के साथ संलग्न करें। मूल फॉर्म ही भेजें, फोटोकॉपी नहीं।)

प्रतिभागी का नाम .... मोबाइल नंबर ....

पत्राचार हेतु पता ....

....

माइंड मैप

सामान्य अध्ययन के टॉपिक्स पर सटीक व बिंदुवार सामग्री

सर्वोच्च न्यायालय

परिचय

- भारतीय संविधान के भाग-V के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, शक्तियाँ, उसके न्याय क्षेत्र और प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है।

गठन

- सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 34 न्यायाधीश होते हैं।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किंतु मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है।
- अनुच्छेद 124 (6) में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञापन करेगा।
- अनुच्छेद 126, भारत का राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।
- अनुच्छेद 127, यदि कभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति न हो तो तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है।
- अनुच्छेद 128, आवश्यकता होने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिये बुलाया जा सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 125(1) में न्यायाधीशों के वेतन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 125(2) में यही बात न्यायाधीशों को मिलने वाले भत्तों, विशेषाधिकारों, पेंशन अवकाशों आदि के लिये कही गई है।
- संविधान के अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर होंगी जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन को समय-समय पर नियत करेगा।
- संविधान के अनुच्छेद 124(2) में ही इस बात का ज़िक्र किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होगा? न्यायाधीशों के संबंध में सिर्फ इतनी व्यवस्था की गई है कि वे 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। और वे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं एवं संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से निर्मुक्त भी किया जा सकता है।

न्यायाधीशों की अर्हताएँ

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह किसी उच्च न्यायालय या एकाधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो।
- वह किसी उच्च न्यायालय या एकाधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम-से-कम 10 वर्षों तक वकील रहा हो।
- वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो।

हटाए जाने की प्रक्रिया

- अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीशों को हटाए जाने अर्थात् उनके महाभियोग की प्रक्रिया संक्षेप में बताई गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 124(5) में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकेगी।
- संसद के किसी भी सदन में न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है बशर्ते कि प्रस्ताव लोकसभा में 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही अध्यक्ष सभापति को दे सकता है।
- प्रस्ताव के स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश, दूसरा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति तथा तीसरा एक परंपरागत विधिवेत्ता हो।

सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता

- न्यायाधीशों का एक मंडल ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
- 65 वर्ष की आयु तक कार्य करने की सुरक्षा दी गई है जिसे विधायिका या कार्यपालिका छीन नहीं सकती हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति अनुच्छेद 129 के अंतर्गत प्रदान किया गया है एवं संविधान के अनुच्छेद 121 में स्पष्ट किया गया है कि किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किये गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी।
- अधिकारिता में कटौती नहीं: अनुच्छेद 138, 139 तथा 134(2)। इसके अलावा अनुच्छेद 146 में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सके।

करेंट अफेयर्स
पर आधारित प्रिलिम्स अभ्यास प्रश्न

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है?

(a) गृह मंत्रालय

(b) ग्रामीण विकास मंत्रालय

(c) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(d) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

2. नया सवेरा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये तैयार करना है।
2. यह योजना चयनित कोचिंग संस्थानों में अधिसूचित अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

3. राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (National Recruitment Agency, NRA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. एनआरए (NRA) एक स्वतंत्र निकाय है।
2. इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (Societies Registration Act) के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया है।
3. सीईटी परीक्षा मुख्य रूप से 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी।
4. यह सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-राजपत्रित पदों (Non-gazetted posts) पर भर्ती के लिये साझा पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test, CET) का आयोजन करेगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3

(d) 1, 2, 3 और 4

4. निंजा यूएवी (Ninja UAV) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) यह भारतीय रेलवे की एक ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली है।

(b) यह भारतीय नौसेना की एक ड्रोन निगरानी प्रणाली है।

(c) कोविड-19 के दौरान होने वाले लॉकडाउन को सही प्रकार से कार्यान्वित करने के लिये विकसित की गई एक ड्रोन निगरानी प्रणाली है।

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

5. उचित और पारिश्रमिक मूल्य (Fair And Remunerative Price, FRP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य (FRP) में बढ़ोतरी की अनुमति दी है।
2. राज्यों के पास यह अधिकार होता है कि वे अपने राज्य का मूल्य (State Advised Price) निर्धारित कर सकें और यह मूल्य सामान्यत: एफआरपी (FRP) से ज्यादा होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

6. नई उड़ान योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है?

(a) अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

(b) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(c) मानव संसाधन और विकास मंत्रालय

(d) जनजातीय मामलों का मंत्रालय

7. भादभुत परियोजना (Bhadbhut Project) का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

(a) गोदावरी नदी (b) नर्मदा नदी

(c) तुंगभद्र नदी (d) कावेरी नदी

8. सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

1. एक वर्ष में तीन से अधिक पुरस्कार नहीं दिये जाते हैं।
2. इस पुरस्कार को किसी भी परिस्थिति में मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

करेंट अफेयर्स से जुड़े

संभावित प्रश्न-उत्तर

(मुख्य परीक्षा के लिये)

खंड संयोजन- शशि भूषण (विवेक राही)

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

आधुनिक भारत

प्रश्न: ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के विकास में सहायता प्रदान की? साथ ही एक साम्राज्यवादी राष्ट्र के रूप में जापान के उद्भव पर चर्चा कीजिये।

उत्तर: 'साम्राज्यवाद' का अर्थ है एक देश द्वारा अपनी सीमा के बाह्य क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर अपनी शक्ति, नियंत्रण या शासन का विस्तार करना। ऐसा सैन्य एवं अन्य साधनों के माध्यम से, विशेष रूप से 'उपनिवेशवाद' अथवा विजय या अन्य प्रकार से, उपनिवेशों के अधिग्रहण और उन्हें निर्भर बनाने के रूप में किया जाता है।

विश्व के विभिन्न देश हाल के वर्षों तक किसी न किसी साम्राज्यवादी शक्ति के अधीन थे। साम्राज्यवाद के विकास में कई कारकों ने अपना योगदान दिया:

औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न मांग

औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप वस्तुओं के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई जिनकी खपत घरेलू उपभोग से नहीं हो सकती थी। एशियाई और अफ्रीकी देशों को इस अतिरिक्त उत्पादन को खपाने के लिये उपयुक्त बाज़ार के रूप में देखा गया।

परिवहन और संचार में सुधार

- औद्योगिक क्रांति के साथ परिवहन और संचार माध्यमों में आए परिवर्तन ने साम्राज्यवाद के प्रसार को सुगम बना दिया।
- पुराने जहाज़ों की तुलना में वाष्पचालित जहाज़ों ने यूरोपीय देशों और उपनिवेशों के मध्य वस्तुओं के तेज़ी से परिवहन को बढ़ावा दिया।
- रेलमार्गों और अंतर्देशीय जलमार्गों ने महाद्वीपों के आंतरिक भागों से कच्चे माल की उगाही और आंतरिक प्रदेशों के बाज़ार तक तैयार उत्पाद की आपूर्ति को सुगम बना दिया।

चरम राष्ट्रवाद

- 19वीं सदी का उत्तरार्द्ध चरम राष्ट्रवाद का काल था। कई राष्ट्रों ने अन्य मानव समूहों पर अपनी श्रेष्ठता के मिथक गढ़े जिन्हें उपनिवेशों पर नियंत्रण प्रतिष्ठा व शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा गया। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में साम्राज्यवाद तेज़ी से प्रसारित हुआ।
- इंग्लैंड, फ्राँस और जर्मनी के निवासियों द्वारा साम्राज्यवाद के विचारों को प्रोत्साहन दिया गया और अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को 'साम्राज्य' की संज्ञा देना गौरवपूर्ण माना जाने लगा।
- उपनिवेशों के अधिग्रहण से एक शृंखला प्रतिक्रिया का आरंभ हुआ। एक उपनिवेश के अधिग्रहण के बाद इसकी रक्षा के लिये दूसरे उपनिवेश पर नियंत्रण की आवश्यकता पड़ी।

सभ्य बनाने का अभियान

- यूरोपीय मनोदशा में साम्राज्यवादी विस्तार एक महान विचार था। वे मानते थे कि एशिया और अफ्रीका के लोगों को सभ्य बनाना उनके देश का नैतिक कर्त्तव्य है। रूडवार्ड किपलिंग ने अवधारणा को 'श्वेत शक्ति का बोझ' (White man's burden) की संज्ञा दी।
- ईसाई धर्म प्रचारक (मिशनरी) ईसाई धर्म के प्रसार को लेकर समर्पित थे। इसने भी साम्राज्यवाद के विचार को बढ़ावा दिया।

खोजी और साहसी अभियानकर्त्ता

- इन्होंने अज्ञात व अल्पज्ञात क्षेत्रों की यात्रा की और आवश्यक सूचनाएँ एकत्र कर अपने देश वापस लौटे जिनमें व्यापार एवं विकास के अवसरों से संबंधित जानकारियाँ निहित थीं। यूरोप द्वारा अफ्रीका के अधिग्रहण में इन अभियानकर्त्ताओं का योगदान विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण रहा।

जापान ने अपने साम्राज्यवादी विस्तार का आरंभ 19वीं सदी के अंतिम दशक में किया।

- वर्ष 1853 तक जापान एक बंद अर्थव्यवस्था बना था। कमोडोर पेरी के नेतृत्व में अमेरिकी युद्धपोतों के हमले के बाद जापान अमेरिकी जहाज़रानी और व्यापार के लिये अपनी अर्थव्यवस्था खोलने को बाध्य हुआ।
- हालाँकि जापान अन्य एशियाई देशों के अनुभव व नियति से बचने में सफल रहा। वर्ष 1867 में सत्ता परिवर्तन जिसे मेइजी पुनर्स्थापना (Meiji Restoration) कहा जाता है, के बाद जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण शुरू किया। कुछ ही दशकों में जापान विश्व के सर्वाधिक औद्योगिक देशों में से एक बन गया।
- अपने उद्योगों के समर्थन के लिये सीमित आंतरिक संसाधन के कारण जापान ने बाहरी स्रोतों की ओर देखना शुरू किया। जापान की साम्राज्यवादी अभिकल्पना के लिये चीन ने व्यापाक अवसर प्रदान किये।
- वर्ष 1894 में कोरिया के लिये चीन और जापान के बीच हुए युद्ध ने चीन में जापानी प्रभाव में वृद्धि कर दी।
- वर्ष 1902 की आंग्ल-जापानी संधि ने जापान को प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के समान एक शक्ति के रूप में चिह्नित किया।
- जापान ने वर्ष 1904-05 में रूस को पराजित करते हुए उसके सखालिन द्वीप के दक्षिणी आधे हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया।
- जापान ने लिआओदोंग प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से के साथ-साथ पोर्ट आर्थर पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया जो उसे पट्टे पर (कोरिया का जापानी उपनिवेश बन जाने के बाद) प्राप्त हुआ था।
- साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जापान का उदय दर्शाता है कि साम्राज्यवाद किसी नस्ल या क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा का परिणाम था जो किसी भी देश की नस्ल अथवा सांस्कृतिक दावे के परे उसकी नीति का हिस्सा था।

प्रिलिम्स मॉडल अभ्यास प्रश्न-पत्र

(यू.पी.एस.सी. आपका मूल्यांकन करे, इससे पहले अपना मूल्यांकन स्वयं करें)

प्रिय पाठको, प्रारंभिक परीक्षा में जितना महत्त्व साल भर चलने वाली तैयारी का होता है, उतना ही इस बात का कि आप परीक्षा के 2 घंटों में कितना सटीक प्रदर्शन कर पाते हैं। इस प्रदर्शन को सुधारने का एक ही तरीका है और वह यह कि आप बार-बार 2 घंटों की समय-सीमा में प्रश्न-पत्र हल करने का अभ्यास करें। इस अंक में हम सामान्य अध्ययन के लिये 4 प्रश्न-पत्र दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि इनका अभ्यास कर लेने के बाद आप खुद को काफी बेहतर स्थिति में पाएंगे।

आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।

परीक्षण पुस्तिका

सामान्य अध्ययन

समय : दो घण्टे **पूर्णांक : 200**

अनुदेश

1. **परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद, आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें कि इसमें कोई बिना छपा, फटा या छूटा हुआ पृष्ठ अथवा प्रश्न आदि न हो। यदि ऐसा हो तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका से बदल लीजिये।**

OPEN

2. **उत्तर-पत्रक में सही स्थान पर परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम** A, B, C **या** D **यथास्थिति स्पष्ट रूप से कूटबद्ध कीजिये।**
3. इस पंक्ति के साथ में दिये गए कोष्ठक में आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। परीक्षण पुस्तिका पर **और कुछ न** लिखें।
4. इस परीक्षण पुस्तिका में **100** प्रश्नांश (प्रश्न) दिये गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश में चार प्रत्युत्तर (उत्तर) दिये गए हैं। इनमें से एक प्रत्युत्तर को चुन लें जिसे आप उत्तर-पत्रक पर अंकित करना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही हैं तो उस प्रत्युत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे। प्रत्येक प्रश्नांश के लिये केवल एक ही प्रत्युत्तर चुनना है।
5. आपको अपने सभी प्रत्युत्तर अलग से दिये गए उत्तर-पत्रक पर ही अंकित करने हैं। उत्तर-पत्रक में दिये गए निर्देश देख लें।
6. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
7. इससे पहले कि आप परीक्षण पुस्तिका के विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर उत्तर पत्रक पर अंकित करना शुरू करें, आपको प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ प्रेषित अनुदेशों के अनुसार कुछ विवरण उत्तर-पत्रक में देने हैं।
8. आप अपने सभी प्रत्युत्तरों को उत्तर-पत्रक में भरने के बाद तथा परीक्षा के समापन पर केवल उत्तर-पत्रक अधीक्षक को सौंप दें। आपको अपने साथ परीक्षण पुस्तिका ले जाने की अनुमति है।
9. कच्चे काम के लिये कुछ पत्रक परीक्षण पुस्तिका के अंत में संलग्न हैं।
10. **गलत उत्तरों के लिये दंड:**
वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिये गए गलत उत्तरों के लिये दंड दिया जाएगा।

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गए एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गए अंकों का **एक-तिहाई** दंड के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे **गलत उत्तर** माना जाएगा, चाहे दिये गए उत्तरों में से एक उत्तर सही हो, उस प्रश्न के लिये उपर्युक्तानुसार ही दंड दिया जाएगा।

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिये **कोई दंड नहीं** दिया जाएगा।

प्रैक्टिस पेपर-1

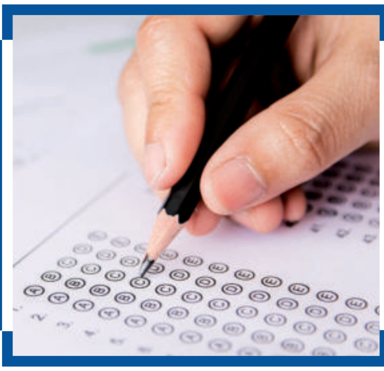

1. 18 दिसंबर, 2019 को भारत और अमेरिका के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के बीच वाशिंगटन में 'टू प्लस टू वार्त्ता' संपन्न हुई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. भारत और अमेरिका के बीच आयोजित यह दूसरी 'टू प्लस टू वार्त्ता' है तथा अमेरिका में आयोजित पहली 'टू प्लस टू वार्त्ता' है।
   2. इस वार्त्ता के तहत दोनों देशों ने 'इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स' नामक समझौते को मंज़ूरी दी है।
   3. 'टू प्लस टू वार्त्ता' एक ऐसी मंत्रिस्तरीय वार्त्ता है, जो दो देशों के दो मंत्रालयों के मध्य आयोजित की जाती है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. 'सुशासन सूचकांक' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. इसे कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर, 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर जारी किया गया।
   2. इस सूचकांक का उद्देश्य सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में शासन की स्थिति की तुलना करने के लिये प्रामाणिक आँकड़ा प्रदान करना है।
   3. इस सूचकांक के अनुसार, संघशासित प्रदेशों के मामले में दिल्ली प्रथम एवं लद्दाख अंतिम स्थान पर है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही **नहीं** है/हैं?

   (a) केवल 3 (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

3. 'सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. नीति आयोग द्वारा विकसित सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के द्वितीय संस्करण को 30 दिसंबर, 2019 को लॉन्च किया गया।
   2. यह सूचकांक वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का व्यापक दस्तावेज़ है।
   3. इसका उद्देश्य देश और उसके राज्यों तथा राज्यों की सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय स्थिति पर समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
   (c) केवल 3 (d) केवल 2

4. 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, 2019' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एक अर्द्धवार्षिक प्रकाशन है, जो भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है।
   2. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 20वाँ अंक नीति आयोग द्वारा 25 नवंबर, 2019 को जारी किया गया।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

5. 'रायसीना डायलॉग' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. 14-16 जनवरी, 2020 के मध्य रायसीना डायलॉग के पाँचवे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
   2. रायसीना डायलॉग 2020 की थीम- 'नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी' थी।
   3. रायसीना डायलॉग की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही **नहीं** है/हैं?

   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

6. हाल ही में नेपाल की 'सेके' भाषा विश्व भर में चर्चा का विषय बनी रही। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. इंडेंजर्ड लैंग्वेज अलायंस के अनुसार, वर्तमान में 'सेके' भाषी लोगों की संख्या विश्व में मात्र 700 ही रह गई है।
   2. 'सेके' भाषा को यूनेस्को की निश्चितरूपेण संकटग्रस्त भाषाओं की सूची में रखा गया है।

प्रैक्टिस पेपर-2

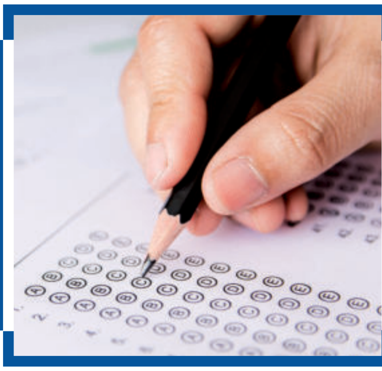

1. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये:

पक्षी अभयारण्य		**राज्य**
1. घाना पक्षी विहार	–	भरतपुर, राजस्थान
2. रंगनथिट्टु पक्षी विहार	–	मैसूर, कर्नाटक
3. मालापट्टी पक्षी विहार	–	नेल्लौर, आंध्र प्रदेश

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अवमानना के लिये दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
   2. अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तथा अन्वेषण आदि से संबंधित आदेशों का प्रवर्तन कराने संबंधी शक्तियाँ प्राप्त हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

3. निम्नलिखित में से कौन-से स्थान बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं?
   1. पश्चिमी घाट 2. हिमालय
   3. भारत-बर्मा क्षेत्र 4. सुंडालैंड

कूट:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

4. मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत का सबसे पहला स्थल, जो 1990 में शामिल हुआ और आज तक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है-

(a) लोकटक झील
(b) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
(c) चिल्का झील
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

5. निम्नलिखित में से 'स्व-स्थाने' में शामिल है/हैं-
   1. राष्ट्रीय उद्यान 2. चिड़ियाघर
   3. जीन बैंक 4. वन्यजीव अभयारण्य
   5. आरक्षित वन 6. पवित्र उपवन और झीलें

कूट:

(a) केवल 2 (b) केवल 1, 4, 5 और 6
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

6. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये:

जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र		**राज्य**
1. अगस्त्यामलाई	:	महाराष्ट्र
2. अचानकमार	:	मध्य प्रदेश
3. सिमलीपाल	:	झारखंड
4. सेशाचेलम पहाड़ियाँ	:	आंध्र प्रदेश

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सुमेलित **नहीं** है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1 (d) 1, 2, 3 और 4

7. 'केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है-

(a) बंगलूरू में (b) हैदराबाद में
(c) ओडिशा में (d) अहमदाबाद में

8. 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' की 'राष्ट्रीय कार्यकारी समिति' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. इसका गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिये आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-8 के तहत किया जाता है।
   2. केंद्रीय गृह सचिव इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
   3. यह समिति एक समन्वयक और निगरानीकर्त्ता निकाय के रूप में कार्य करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

9. 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. यह 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956' के तहत एक सांविधिक निकाय है।
   2. यह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक मुख्य संस्था है।
   3. इसका व्यापक उद्देश्य गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना एवं एक मज़बूत ग्रामीण सामुदायिक भावना का निर्माण करना है।

प्रैक्टिस पेपर-3

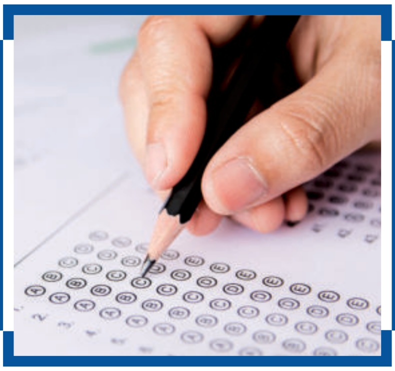

1. पोंजी स्कीम है-
   (a) धोखाधड़ी युक्त निवेश घोटाला
   (b) सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिये बीमा योजना
   (c) ऊर्जा बचत से संबंधित एक स्कीम
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

2. 'वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, 2020' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा जारी की गई है।
   2. रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2020 में अधिकांश स्कूल बंद रहने के दौरान दुनिया भर के लगभग 91 प्रतिशत छात्र स्कूल से बाहर थे।
   3. रिपोर्ट के अनुसार, निम्न और मध्यम आय वाले लगभग 40 प्रतिशत देश इस संकट के दौरान गरीब,भाषायी अल्पसंख्यकों और विकलांग छात्रों को शिक्षा उपलब्ध करा पाने की स्थिति में नहीं थे।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये:

1. मुखिया जल स्वावलंबन अभियान	:	राजस्थान
2. नीरू चेट्टू कार्यक्रम	:	तेलंगाना
3. जलयुक्त शिवहर अभियान	:	महाराष्ट्र
4. मिशन काकतीय कार्यक्रम	:	आंध्र प्रदेश

   उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित **नहीं** है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 4
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

4. वारकरी संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. वारकरी संप्रदाय एक पूर्ण भक्ति संप्रदाय है, जो शंकराचार्य के 'अद्वैत दर्शन' में विश्वास करता है।
   2. ज्ञानदेव या ध्यानेश्वर को वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है।
   3. वारकरी परंपरा का विकास दक्षिणी महाराष्ट्र में पंढरपुर के आस-पास अधिक हुआ है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 3 (d) केवल 2 और 3

5. ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व अवस्थित है-
   (a) महाराष्ट्र में (b) गुजरात में
   (c) मध्य प्रदेश में (d) सिक्किम में

6. 'लोनार झील' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. यह झील महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले के लोनार में स्थित एक क्रेटर झील है।
   2. इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था।
   3. यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू-विरासत स्मारक भी है।

   कूट:
   (a) 1, 2 और 3 (b) केवल 3
   (c) केवल 1 और 2 (d) केवल 2 और 3

7. हाल ही में 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' के नवीन अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
   (a) मार्कोस ट्रायजो (ब्राज़ील) (b) के.वी. कामथ (भारत)
   (c) अनिल किशोर (भारत) (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

8. देहिंग पटकाई एलीफेंट रिज़र्व निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है?
   (a) महाराष्ट्र (b) असम
   (c) तेलंगाना (d) ओडिशा

9. उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अवधि एक हफ्ते या इससे ज़्यादा होती है।
   2. प्रत्येक वर्ष उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम वर्णों के क्रम के मुताबिक होता है।
   3. इसके तहत चक्रवातों के नाम पुरुष और महिला के नामों पर रखे जाते हैं।

   कूट:
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रैक्टिस पेपर-4

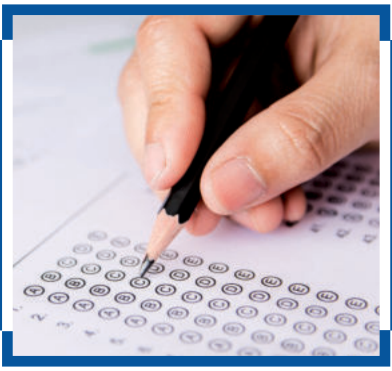

1. निम्नलिखित में से कौन-सी झील हिमाचल प्रदेश में है?
   (a) सातताल (b) डोडीताल
   (c) चंद्रताल (d) नौकुचियाताल

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. अरब सागर में गिरने वाली अधिकांश नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं।
   2. भारत में मालाबार तट सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है।
   3. ओडिशा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार कहा जाता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही **नहीं** है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. थालघाट दर्रा, नासिक को मुंबई से जोड़ता है।
   2. भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है।
   3. पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है।
   4. बड़ा-लाचा ला दर्रा हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
   (c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

4. 'प्रवाल भित्ति' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. प्रवाल भित्ति का निर्माण मूंगे या कोरल पॉलिप के चूनायुक्त अस्थि-पंजरों द्वारा होता है।
   2. अधिकांश प्रवाल भित्तियाँ सँकरे महाद्वीपीय मग्नतटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
   3. प्रवालों को 'सामुद्रिक वर्षा वन' भी कहा जाता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

5. 'ज्वार-भाटा' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. सागरीय जल के ऊपर उठने की घटना को 'ज्वार' तथा उसके नीचे गिरने की घटना को 'भाटा' कहते हैं।
   2. ज्वार-भाटा पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक आकर्षण क्रिया तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के सम्मिलित प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं।
   3. चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य के ज्वार उत्पादक बल का दोगुना होता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
   (c) केवल 2 और 3 (d) केवल 3

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. महासागरीय धाराएँ फेरेल के नियम का अनुसरण कर उत्तरी गोलार्द्ध में अपनी बाईं ओर मुड़कर प्रवाहित होती हैं।
   2. गर्म जलधाराएँ जहाँ संबंधित क्षेत्र में वर्षण की तीव्रता को बढ़ाती हैं, वहीं ठंडी जलधाराएँ संबंधित क्षेत्र में उच्च वायुदाब की दशा सृजित कर मरुस्थलीकरण को बढ़ाती हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही **नहीं** है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

7. 'सागरीय लवणता' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. अंशतः या पूर्णतः बंद सागरों की अपेक्षा खुले सागरों में लवणता कम होती है।
   2. सामान्यतः गहराई की वृद्धि के साथ लवणता में कमी दर्ज की जाती है।
   3. तापमान का लवणता से सीधा संबंध होता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

8. 'भारत के महान्यायवादी' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. महान्यायवादी की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
   2. भारत का महान्यायवादी भारत सरकार की अनुमति के बगैर किसी भी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता।
   3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-76 में भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है।

महत्त्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएँ

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

आईयूसीएन (International Union for Conservation of Nature)

- आईयूसीएन की स्थापना **अक्तूबर 1948** में हुई।
- इसका मुख्यालय **ग्लाण्ड, स्विट्ज़रलैंड** में है जो जेनेवा के निकट है।
- आईयूसीएन में सरकारी संगठन और गैर-सरकारी संगठन (NGO) दोनों सदस्य होते हैं। वर्तमान में 200 से ज़्यादा सरकारी संगठन और 1000 से ज्यादा गैर-सरकारी संगठन IUCN के सदस्य हैं।

आईयूसीएन का मिशन एवं दृष्टिकोण

- आईयूसीएन वैज्ञानिक शोध का समर्थन करता है, पूरे विश्व में फील्ड प्रोजेक्टों का प्रबंधन करता है तथा सरकारी, गैर-सरकारी, संयुक्त राष्ट्र (UN), विभिन्न कंपनियों एवं स्थानीय समुदायों को एकजुट करता है ताकि नीतियों एवं कानूनों का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो सके।
- यह संकटग्रस्त जीव-जंतुओं की एक सूची जारी करता है जिसे **'रेड डाटा बुक'** कहते हैं।

आईयूसीएन जैव-विविधता संरक्षण के अलावा चार अन्य क्षेत्रों पर भी कार्य करता है-

- जलवायु परिवर्तन (Climate change)
- संपोषणीय ऊर्जा (Sustainable Energy)
- आजीविका (Livelihood)
- हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy)

- आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र महासभा का 'पर्यवेक्षक दर्जा' (Observer Status) प्राप्त एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पर्यावरण और जैव-विविधता से संबंधित मुद्दों को देखता है। इस तरह **आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं** है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC)

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी समिति (IPCC) एक वैश्विक संस्था है जिसका कार्य मानवीय गतिविधियों से होने वाले जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना है।
- इस संस्था का गठन वर्ष 1988 में संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय **जेनेवा** में है।
- आईपीसीसी के विभिन्न समूह अलग-अलग पर्यावरणीय परिवर्तन प्रभावों का विस्तृत आकलन कर रिपोर्ट जारी करते हैं, जिसमें उन रणनीतियों का भी विवरण रहता है जिन्हें अपनाकर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटा जा सकता है।

यूनेस्को (UNESCO)

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन वैश्विक स्तर पर शिक्षा, सूचना को बढ़ावा देने, अनुसंधान कार्यों तथा सांस्कृतिक संरक्षण के लिये प्रयासरत है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। यह संगठन अन्य दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर **पर्यावरण** से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इन गतिविधियों में पर्यावरणीय गुणवत्ता, पर्यावरणीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण, मानव बस्तियों का विकास तथा पर्यावरण से जुड़े अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना शामिल है।

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF)

- वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक **अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन** है जो 1961 में स्विट्ज़रलैंड के मोर्जेस में एक **धर्मार्थ ट्रस्ट (Charitable Trust)** के रूप में गठित हुआ था।
- यह **विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण संगठन** है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिये कार्य करता है। इसका टैग लाइन **'फॉर ए लिविंग प्लेनेट'** है।
- यह एक प्रकार का कोष है जिसमें आधे से अधिक हिस्सा व्यक्तिगत, निजी स्वैच्छिक दान के रूप में आता है जबकि बाकी हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड से पूरा होता है।
- वर्तमान में इसका अधिकांश कार्य जैव-विविधता की दृष्टि से उन्नत तीन बायोम के संरक्षण पर केंद्रित है जिसमें **वन, अलवण जलीय पारितंत्र (Freshwater ecosystem)** तथा **महासागर एवं तट** शामिल हैं। अन्य मुद्दों में यह विलुप्तप्राय प्रजातियों, जलवायु परिवर्तन व प्रदूषण पर भी ध्यान देता है।
- इस संगठन का कार्यालय विश्व के अधिकांश देशों में है। भारत में भी WWF India कार्यरत है।
- 1986 से पहले इस संगठन का नाम वर्ल्ड वाइड फंड था, संगठन का यह नाम अमेरिका और कनाडा में वर्तमान में भी प्रचलन में है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)

- यूनेप का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन (स्टॉकहोम) में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस (1972) के परिणामस्वरूप हुआ।
- इसका मुख्यालय **नैरोबी (केन्या)** में है।
- संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी पर्यावरणीय निरीक्षण और परिरक्षण हेतु अंतर-सरकारी (Inter-Governmental) तरीकों के समन्वय के लिये उत्तरदायी है।

वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी (WCS)

- वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों और वन्य स्थानों को संरक्षित करने के लिये समर्पित एक संस्था वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी (WCS) है। इस कार्य को पूरा करने के लिये यह **'विज्ञान, संरक्षण कार्य और शिक्षा (Science, Protection Work and Education)** को बढ़ावा देती है।
- वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी का लक्ष्य मुख्य रूप से उन 15 क्षेत्रों को प्राथमिकता देना है जो विश्व की 50% से अधिक जैव-विविधता धारण करते हैं। इसके लिये WCS ने एक '2020 रणनीति' बनाई है।
- WCS 'विज्ञान' का उपयोग कर इस प्राकृतिक विश्व को समझने का प्रयास करता है। उसके इस ज्ञान का उपयोग नीति-निर्माता, समुदाय और लाखों लोग वन्यजीव संरक्षण के लिये उचित कदम उठाने में करते हैं।

WCS-India कार्यक्रम

- सभी भारतीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए भारत के वन्यजीवों और स्थलों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी इंडिया कार्यक्रम चलाया गया।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी और गैर-सरकारी सहयोगियों के सम्मिलित प्रयासों से बाघों व अन्य वन्यजीवों पर शोध, क्षमता निर्माण और प्रभावी स्थान-आधारित (Site-Based) संरक्षण प्रदान करना है। इसके अलावा, यह स्थानीय समुदायों के सहयोग से मानव-पशु संघर्ष को कम करने का प्रयास भी करता है।

वेटलैंड्स इंटरनेशनल (WI)

- वेटलैंड्स इंटरनेशनल आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके पुनर्स्थापन (Restoration) के लिये समर्पित एक **'गैर-सरकारी'** और **'गैर-लाभकारी'** संस्था है।
- पहले आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिये तीन संस्थाएँ कार्यरत थीं- इंटरनेशनल वाटरफाउल एण्ड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो (IWRB), एशियन वेटलैंड ब्यूरो (AWB) और वेटलैंड फॉर द अमेरिका (WA)। 1991 में इन संगठनों ने अपने एकसमान उद्देश्यों को देखते हुए साथ में काम करना प्रारंभ कर दिया और अंत में एक ही वैश्विक संगठन के रूप में अपने-आप को निरूपित कर लिया। यही वैश्विक संगठन 'वेटलैंड इंटरनेशनल' कहलाया। 1996 में इसका **मुख्यालय नीदरलैंड** में स्थापित किया गया।
- आर्द्रभूमियों के पर्यावरणीय महत्त्व और उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के आर्थिक महत्त्व को समझते हुए वेटलैंड इंटरनेशनल आर्द्रभूमियों के क्षरण को रोकने और नष्ट आर्द्रभूमियों को वापस उनकी पूर्वावस्था में लाने हेतु प्रतिबद्ध है।
- रामसर संधि से संबद्ध संगठनों में वेटलैंड इंटरनेशनल भी एक है। यह विभिन्न क्षेत्रों में फैले अपने कार्यालयों, सहयोगियों और विशेषज्ञों की मदद से अपने लक्ष्य की पूर्ति करने का प्रयास करता है।
- यह फील्ड स्तर पर विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित करता है और इसी आधार पर सरकार अथवा निजी क्षेत्रकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है।

अंतर्राष्ट्रीय

बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC)

- एक उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग समूह के रूप में बिम्सटेक (बांग्लादेश, भारत, म्याँमार, श्रीलंका और थाईलैंड तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग) का गठन जून 1997 में बैंकॉक में किया गया था।
- वर्तमान में इसमें सात सदस्य हैं जिनमें दक्षिण एशिया से पाँच देश- बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया से म्याँमार और थाईलैंड हैं।
- बिम्सटेक देशों के प्रमुखों की पहली शिखर बैठक का आयोजन थाईलैंड द्वारा जुलाई 2004 को बैंकॉक में किया गया था।

ऑस्ट्रेलिया समूह

- ऑस्ट्रेलिया समूह 43 देशों (यूरोपीय संघ शामिल) का एक अनौपचारिक समूह है।
- इसकी स्थापना 1984 में इराक द्वारा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के बाद 1985 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य उन निर्यातों की पहचान करने में मदद करना है जिन्हें नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है ताकि रासायनिक व जैविक हथियारों के प्रयोग को रोका जा सके।
- इसका यह नाम इसलिये पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यह समूह बनाने की पहल की थी और वही इस संगठन के सचिवालय का प्रबंधन भी देखता है।

मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)

- अप्रैल 1987 में जी-7 समूह के विकसित देशों ने मिलकर आणविक, जैविक व रासायनिक हथियारों से युक्त बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों के प्रसार को रोकने के लिये एक समझौता किया था, जिसे MTCR कहा गया।
- MTCR एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह विभिन्न देशों के बीच एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक भागीदारी मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है।
- यह 500 किलोग्राम के पेलोड के साथ कम-से-कम 300 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने में सक्षम मिसाइल और मानवरहित वायुयान प्रौद्योगिकी के प्रसार पर रोक लगाती है।
- 2016 में भारत को MTCR की सदस्यता प्रदान की गई है। चीन, इज़राइल और पाकिस्तान MTCR के सदस्य नहीं हैं।

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC)

- एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) 21 देशों का समूह है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी।
- वर्तमान में एपेक के 21 सदस्य हैं जिनमें से 12 सदस्य (ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूज़ीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं अमेरिका) वर्ष 1989 में इसकी स्थापना के समय बने तथा इसके बाद ताइवान, हॉन्गकॉन्ग, चीन,

- इसे शांति के लिये परमाणु (Atoms for Peace) संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय वियना (ऑस्ट्रिया) में है।
- यह एजेंसी परमाणु तकनीकों के शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित प्रयोग के लिये विश्व के अपने सदस्यों एवं अन्य भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी विश्व भर में शांति, स्वास्थ्य एवं संपन्नता के लिये परमाणु ऊर्जा के योगदान को बढ़ावा देती है।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल (कनाडा) में है।
- यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय वायु नौवहन (International Air Navigation) के सिद्धांतों एवं तकनीकों का निर्धारण करता है। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय विमानन के सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित विकास के लिये योजना निर्माण एवं उसका विकास भी करता है।
- यह संगठन वायु परिवहन के सतत् विकास के लिये सहायता तथा प्रोत्साहन देता है। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संबंधी कार्य करने के अलावा यह संगठन रणनीतिक प्राथमिकताओं का निर्धारण, नीतियों एवं मानकों का विकास, वैश्विक निगरानी में समन्वय, विश्लेषण एवं रिपोर्ट तैयार करना तथा लक्षित सहायता एवं क्षमता निर्माण का कार्य करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने रणनीतिक उद्देश्यों का भी निर्धारण किया है। वैश्विक नागरिक उड्डयन की सुरक्षा बढ़ाना एवं वायु परिवहन का पर्यावरणीय संरक्षण करना भी इस संगठन का उद्देश्य है।

नॉर्डिक परिषद (Nordic Council)

- नॉर्डिक परिषद की स्थापना मार्च 1952 में डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन द्वारा की गई थी।
- नॉर्डिक परिषद नॉर्डिक क्षेत्र की आधिकारिक अंतर्संसदीय (Inter-Parliamentary) संस्था है।
- इसका मुख्यालय कोपेनहेगन (डेनमार्क) में है। यहाँ पाँच नॉर्डिक देशों, फारो द्वीप (Faroe Island), ग्रीनलैंड तथा एलैंड (Aland) के बीच राजनीतिक वार्त्ता होती है।

हिंद महासागर आयोग (IOC)

- हिंद महासागर आयोग का गठन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों मेडागास्कर, मॉरीशस, सेशेल्स के बीच आपसी सहयोग से 1982 में किया गया था।
- वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में पाँच सदस्य देश मेडागास्कर, मॉरीशस, सेशेल्स, कोमोरोस संघ तथा फ्राँस/रीयूनियन द्वीप (France/Reunion Island) शामिल हैं।
- इस संगठन का उद्देश्य हिंद महासागर देशों के मध्य सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग संघटित और विकसित करना है।

'आपके पत्र'

दृष्टि करेंट अफेयर्स के विगत पाँच वर्षों के सभी अंक मेरे पास सुरक्षित हैं। करेंट अफेयर्स प्रतियोगी पत्र-पत्रिकाओं के मोड़ से अलग एक अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी है। विकास दिव्यकीर्ति सर के पन्ने, संपादक की कलम से नए-नए विषयों पर, प्रतियोगियों को जो संदेश मिलता है, उसमें प्रतियोगियों में नई उमंग (जोश) पैदा होती है। इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में तथ्यात्मक विवेचन किया जाता है तथा इसके आलोचनात्मक पक्ष की भी सम्यक् विवेचना की जाती है। साथ ही 'हिंदू', इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र जैसी उपयोगी पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, तथ्यों के एक जगह संकलित होने से छात्रों को एक स्थान पर अध्ययन सामग्री मिल जाने से समय की बचत तथा सभी पत्रिकाएँ जुटाने से छुटकारा मिल जाता है। 'टॉपर से बातचीत', जैसे स्तंभ से प्रतियोगियों में कुछ नया कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है। 'क्लासिक पुस्तक' स्तंभ में प्रमुख विचारकों, लेखकों की कृतियों से प्रतिभागी अवगत होते हैं, वहीं निबंध खंड में, बैठे-बैठे ही निबंध लेखन कला की बारीकियों को समझने में मदद मिलती है। अंत में पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि करेंट अफेयर्स टुडे हर दृष्टि से एक संपूर्ण पत्रिका है।

-शैलेंद्र कुमार पांडेय, पटना, (बिहार) (पुरस्कृत पत्र)

दृष्टि जो एक संस्थान के रूप में अपना स्थान बना रही है, जो लाखों-करोड़ों लोगों के दिल में बस गई है। मैं आज बीएड फाइनल का छात्र हूँ पर मैं दृष्टि को 5 वर्षों से लगातार पढ़ रहा हूँ यानी कि मैं 12वीं से इसे पढ़ रहा हूँ। किशोरावस्था से ही मैंने इसको अपना जीवन बनाने के लिये साथ ले लिया है और आगे भी जब मैं एक अध्यापक बन जाऊँ तो भी आने वाली पीढ़ी को मैं दृष्टि पढ़ने के लिये ज़रूर प्रेरित करता रहूंगा। इसकी भाषा सरल व सुगम है। धन्यवाद दृष्टि एवं पूरी टीम

-कु. हर्षराज सिंह चौहान

मैं जून 2019 से दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे का नियमित पाठक रहा हूँ। इसकी नवाचार की प्रवृति मुझे सबसे प्रिय लगती है। फिर विकास सर का 'संपादक की कलम से' लेख जहाँ मेरे लिये अंधेरे में मार्गदर्शन दीपक सिद्ध हुआ है तो 'टॉपर्स से बातचीत' ने मेरी तैयारी को और अधिक सटीक बनाया है। इसमें संकलित 'लेख खंड' मुझे तमाम स्रोतों की पूर्वाग्रहों से पुष्ट जानकारी से बचाता है और एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है, इसी के साथ, जिस्ट के माध्यम से योजना और कुरुक्षेत्र जैसी पत्रिकाओं और खंडवार करेंट अफेयर्स संकलन भी कम अद्भुत नहीं है, जिसकी रैंटिंग द्वारा प्रस्तुति मुझे बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। वहीं समय-समय पर मुख्य परीक्षा और प्रिलिम्स से संबंधित सामग्री की उपलब्धता व मानचित्र और माइंड मैप द्वारा विषयवस्तु की प्रस्तुति इसे औरों से कहीं श्रेष्ठ सिद्ध करती है। इसलिये दृष्टि 'चरैवेति, चरैवेति'।

-देवेंद्र चौधरी मुरसान, हाथरस (उत्तर प्रदेश)

मैं दृष्टि पत्रिका का पिछले 2 वर्षों से नियमित पाठक हूँ। इस पत्रिका की शुरुआत "संपादक की कलम से" होती है जिसकी हमेशा प्रतीक्षा रहती है क्योंकि इसे पढ़ने के बाद नई सीख के साथ ही अपार ऊर्जा मिलती है। इस पत्रिका के नियमित अध्ययन से ही मेरा चयन उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सिविल सेवा, 2019 की प्रारंभिक परीक्षाओं में हुआ है। इसके लिये मैं डॉ. विकास दिव्यकीर्ति सर तथा पूरी दृष्टि टीम को कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ।

-अभिषेक कुमार, आज़मगढ़ (उत्तर प्रदेश)

मैं दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे का विगत 1 वर्ष से नियमित पाठक हूँ, 'संपादक की कलम' खंड से न केवल सोच का दायरा विकसित हुआ है बल्कि इस पर एक विस्तृत दृष्टिकोण बनाता है। 'संक्षिप्तियाँ' करेंट अफेयर्स खंड की परीक्षा समय के अंतिम क्षणों के लिये बहुत ही उपयोगी साबित हुई हैं न सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग के लिये अपितु राज्य लोक सेवा आयोग के लिये भी, "जिस्ट" खंड जिसमें योजना, कुरुक्षेत्र जैसी महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार समाहित होता है आसानी से यहीं उपलब्ध होता है। उसके लिये अलग से पत्रिका लेने की आवश्यकता नहीं होती है। "माइंड मैप और मानचित्र अध्ययन" तो तैयारी में "गागर में सागर" भरने जैसा है। समय-समय पर अभ्यास प्रश्न रखा जाता है जिससे करेंट अफेयर्स के साथ विषयों की भी तटस्थता सुनिश्चित होती है।

-ऋषिकेश यादव, जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

मैं सिविल सेवा की मुख्य धारा में प्रवाहमान इस मासिक पत्रिका का पिछले एक वर्ष से नियमित अध्येता रहा हूँ। यह पत्रिका जहाँ परीक्षा प्रणाली के अनुरूप अध्ययन सामग्री का अतुलनीय संकलन है। वहीं दूसरी तरफ प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक प्रशासनिक व्यक्तित्व की छवि की निर्मात्री भी है। कहने को बहुत कुछ है, इस पत्रिका में, पर जो सबसे अनुपम है वह है इसका सारल्य और सुगम्य स्वरूप। अंग्रेज़ी भाषा से प्राप्त विभिन्न अध्ययन सामग्री का इतना सरल और सहज रूप कि लगता है कि जैसे ये घटनाएँ, ये तथ्य मूल रूप में हिंदी भाषा में ही संकलित हों। इसकी इसी विशेषता ने इसे हिंदी भाषा-भाषी प्रशासनिक सोच के व्यक्तित्वों में बेहद लोकप्रियता प्रदान की है।

-बृजेश यादव 'नद्वेष' प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)

मैंने आज तक बहुत सारे करेंट अफेयर्स पढ़े लेकिन जब दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे पहली बार उठाया तो लगा कि अभी तक न जाने मैं कहाँ और किस जगह विचरण कर रहा था। और मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि इस प्रकार के करेंट अफेयर्स का संकलन मैं करता हूँ। बात पास होने की नहीं बल्कि ज्ञानार्जन की है। जो कहीं न कहीं दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे अपने में एक पूर्ण रूप से ज्ञान का भंडार है।

-अतुल कुशवाहा, देवरिया (उत्तर प्रदेश)

इनके भी पत्र मिले- *देवेंद्र कुमार, मोहित वाजपेयी, सीतापुर (उत्तर प्रदेश), आकाश सिंह, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)।*

आप सभी पाठकों की बहुमूल्य प्रतिक्रिया के लिये हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएँ हमें हौसला देती हैं एवं निरंतर बेहतर करने के लिये प्रोत्साहित करती हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कार्यकारी संपादक की ई-मेल आईडी *purushottam@groupdrishti.com* पर भेजें। आपकी चुनिंदा प्रतिक्रियाओं को हम आपके नाम के साथ मैगज़ीन में छापेंगे तथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया भेजने वाले को उपहारस्वरूप अगले तीन महीने की मैगज़ीन भेजेंगे। *धन्यवाद*

Postal Regn. No. : DL(N)/353/2019-21
Posted at New Subji Mandi
PO Delhi, 9-10 September, 2019
ISSN: 2455-6025
RNI : DELHIN/2015/63103
Publishing Date : 4th September, 2019

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़

6 पुस्तकों का संपूर्ण सेट

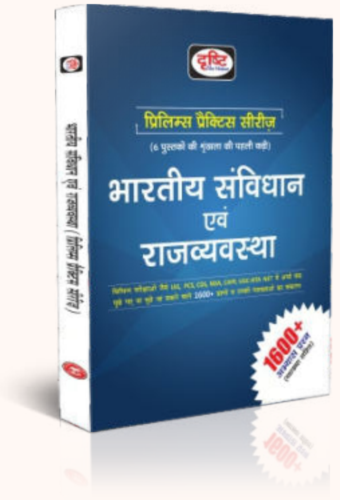

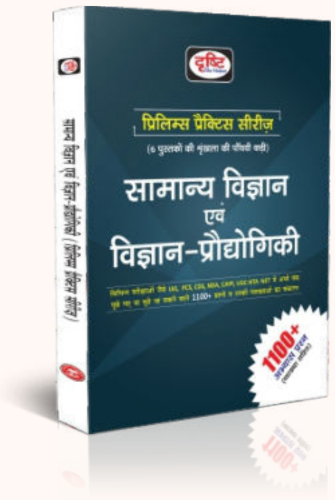

6 पुस्तकों के संपूर्ण सेट को 15% की विशेष छूट के साथ प्राप्त करने के लिये
इस QR Code को स्कैन करें या आज ही इंस्टॉल करें

Drishti Learning App

- करेंट अफेयर्स से जुड़े दैनिक अपडेट्स के लिये देखें हमारी वेबसाइट : drishtiias.com, हमारा YouTube चैनल और Drishti Learning App
- अब आप 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' को Drishti Learning App से भी खरीद सकते हैं।

ISSN 2455-6025